खण्ड-204, अंक-3
गुरूवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1881
(2 अप्रैल, 1959 ई0)

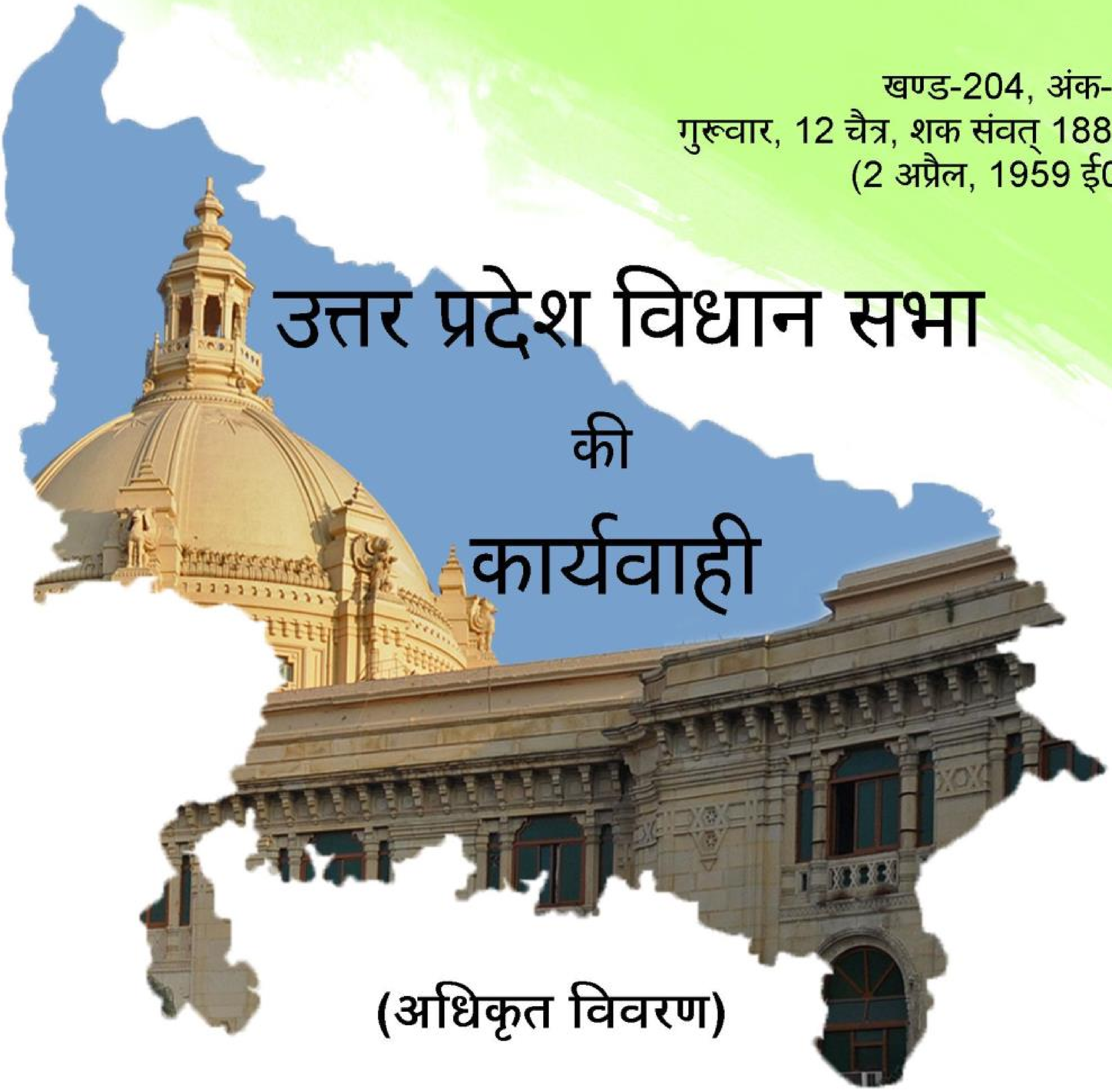

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 204 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री

गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीरामगुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुरसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९५९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश न सम्मिलित करने का आदेश

१--श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ ई० में सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश प्रसारित हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों के सरकारी छुट्टियों के एक दिन पूर्व या पश्चात् छुट्टी लेने पर सरकारी छुट्टी की भी गणना जो छुट्टी लेने में कर दी जाती थी अब ऐसा न करके केवल जिस दिन की छुट्टी ली जायगी उसकी ही गणना छुट्टी लेने में की जायगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां ।

श्री माताप्रसाद--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश किस तिथि से लागू हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किस तिथि से लागू हुआ है यह तो मैं ठीक नहीं बतला सकता ।

श्री माताप्रसाद--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश जिला परिषद् के अध्यापकों तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं क कर्मचारियों पर भी लागू ह ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते होंगे कि वह लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह प्रश्न भारत सरकार के सामने भी आया और प्रादेशिक सरकार के सामने भी आया कि इस किस्म का कोई नियम न होने से छुट्टी के मामले में सरकारी कर्मचारियों को बहुत नुकसान में रहना पड़ता है । कैजुअल लीव साल में १४ दिन की उनको मिल सकती है । कैजुअल लीव के माने हैं कि जब कोई विशेष आवश्यकता उनको पड़ती हो । तो एक दिन की आवश्यकता किसी को छुट्टी की हुई और इत्तफाक से आठ-सात दिन की दूसरी कोई छुट्टी भी हुई तो आठ नौ दिन छुट्टी में चले जाते हैं जिससे कि उनकी छुट्टी का हक बिलकुल चला जाता है । इसलिये ऐसा करना पड़ा कि जितने दिन छुट्टी वह मांगें, उतने ही दिन मानी जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने छुट्टी के सम्बन्ध में जो सुविधा सरकारी कर्मचारियों को दी है वह सुविधा गैरहाजिरी के दिनों के सम्बन्ध में इस सदन के सदस्यों को भी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि सदन के सदस्य यह समझ लें कि वे सरकार की आज्ञा पर निर्भर हैं तब तो यह हो सकेगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्थानीय निकायों के कर्मचारी जिनको कि सरकार अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी मानती है उनके लिए भी ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे इसमें सन्देह है कि हम ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों के लिए तो वही नियम बना सकते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने यह पूछा था या उसने इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाया है या कोई आज्ञा दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा नियम बनाया है ।

साम्प्रदायिक आधार पर छुट्टियां न देने तथा रविदास जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश देने की प्रार्थना

****२--**श्री माताप्रसाद--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ ई० में धर्म सम्प्रदाय के आधार पर जो वर्गीय छुट्टियों की सूची बनाई गई है उसकी सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्योंकि इन सम्प्रदायों के बहुत थोड़े व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं और यह उचित नहीं समझा गया कि केवल उनसे सम्बन्धित त्योहारों पर सभी कार्यालय पूर्णरूप से बन्द रखे जायं तथा प्रदेश में छुट्टियों की संख्या व्यर्थ ही बढ़ाई जाय ।

ऐसा छुट्टियों सम्बन्धी सामान्य नीति के अन्तर्गत किया गया था ।

**३--श्री माताप्रसाद--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माघी पूर्णिमा को 'सन्त रविदास जयन्ती' के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी देने पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

श्री माताप्रसाद--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि इस प्रकार की छुट्टी स साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप राय पूछ रहे हैं । मिला है, यह आप पूछ सकते हैं ।

श्री माता प्रसाद--साम्प्रदायिकता को बल मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--रत्ती भर नहीं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब अन्य जयन्तियों के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टियां दी जाती हैं तो 'सन्त रविदास जयन्ती' के अवसर पर छुट्टी क्यों नहीं दी जाती ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किसी काम को करने की बाबत कारण बताना आसान होता है मगर न करने की बाबत कारण बताना मुश्किल है । कई और सन्त हुए हैं नाभा डोम और सन्त सदन कसाई, उनकी जयन्तियों के अवसर पर भी हम छुट्टी नहीं करते ।

श्री माताप्रसाद--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय दलित वर्ग संघ, उत्तर प्रदेशीय हरिजन विधायकों और बहुत से जिलों के हरिजन सम्मेलनों तथा संस्थाओं की ओर से रविदास जयन्ती के अवसर पर सरकार से सार्वजनिक छुट्टी की मांग की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सब संस्थाओं के नाम तो याद नहीं हैं, लेकिन यह हुआ था कि कई संस्थाओं और व्यक्तियों की ओर से यह इच्छा प्रकट की गई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साम्प्रदायिक आधार पर जो छुट्टियां देने का सरकार ने निश्चय किया उसमें केन्द्रीय सरकार से भी कोई सलाह ली गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन सन्त महानुभावों के जन्म दिवस तथा मृत्यु दिवस पर छुट्टियां घोषित की गई हैं वह किस आधार पर तय की गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य उन नामों को देखें । उनमें कई ऐसे हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है । केवल भारतवर्ष या किसी प्रदेश में नहीं बल्कि सारी पृथ्वी पर उनका नाम है । प्रायः यही चीज हमारे सामने रहती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि परिगणित जाति अब संविधान में एक अलग एन्टिटी मानी गई है और उनकी एक मात्र इस रविदास जयन्ती की छुट्टी की मांग है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उन्होंने यह मांग की है मैं कह नहीं सकता परन्तु हम ऐसे प्रश्न पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक और सहानुभूति के साथ विचार करते हैं ।

चीनी मिल, जरवल रोड से संबंधित गुमनाम पत्र

**४--श्री उग्रसेन--क्या मुख्य मंत्री के पास आर० बी० लक्ष्मन दास शुगर ऐन्ड जनरल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जरवल रोड, जिला बहराइच के मजदूरों की ओर से गुमनाम शिकायती पत्र दिनांक १०-३-५९ का आया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--जी हां। गुमनाम होने के कारण पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस गुमनाम शिकायती पत्र के अलावा दूसरी शिकायत चीनी मिल मजदूरों की ओर से आई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय मन्त्री जी के पास जो गुमनाम पत्र आया उसी पत्र की बातों से सरकार ने फायदा उठाने की कोशिश की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आमतौर से हम गुमनाम पत्रों के पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते।

मेरठ विश्वविद्यालय कमेटी की रिपोर्ट की मांग

**५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या गृह मन्त्री कृपा कर मेरठ विश्वविद्यालय कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है या उपलब्ध नहीं हो सकी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सम्भव है कि रिपोर्ट तैयार हो गयी हो, इसकी पूरी सूचना मुझे नहीं है, क्योंकि काफी दिन हुए कमेटी बनी थी। उसने काम किया है, लेकिन रिपोर्ट हमारे पास आयी नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी मेरठ में विश्वविद्यालय की बहुत दिनों से इस मांग को देखते हुए कमेटी से बात-चीत करके यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां वह विश्वविद्यालय खोलने का इरादा रखते हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कमेटी तो इसीलिये बनायी गयी है और सरकार की पूरी सहानुभूति है मेरठ की इस मांग की ओर। किस प्रकार विश्वविद्यालय बन सकता है, कितनी उसकी सम्भावना है, कहां से उसके लिए प्रबन्ध करना पड़ेगा, इत्यादि बातों को जानने के लिए ही कमेटी बनायी गयी है। सरकार तफसील जानना चाहती है, वह आने पर ही निश्चय होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मेरठ विश्वविद्यालय कमेटी जो है इसके सदस्य कौन-कौन हैं ? क्या यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है ? इसके टर्म्स आफ रेफ़रेंस क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो मैंने निवेदन किया कि एक प्रकार से फैक्ट फाइंडिंग ही है कि वह इस चीज की सम्भावना को देखे कि वहां विश्वविद्यालय बनाने में किन चीजों की आवश्यकता होगी और कितनी उसकी उपयोगिता होगी। सदस्यों की नामावली मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन उसमें विभाग के अधिकारी हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट कब तक संकलित हो जायगी और कबतक सदन की मेज पर रखने की हालत में आ जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेज पर रखने की आवश्यकता होगी या नहीं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूं एक आध महीने में रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस कमेटी को मेरठ विश्वविद्यालय के बारे में रिपोर्ट देने का काम कब सौंपा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि ५-६ महीने सम्भवतः हुए ।

होली के अवसर पर लखनऊ में गोली चलना

६---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २५ मार्च, १९५९ को लखनऊ में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के क्या कारण हैं और उसके फलस्वरूप कितने आदमी आहत हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२५-३-५९ को राजाबाजार, थाना चौक, के निकट कुछ मुसलमानों पर रंग पड़ने पर हिन्दुओं और मुसलमानों में झगड़ा शुरू हुआ और ईंट पत्थर फेंके गए, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और उत्तेजना बढ़ी । मैजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया परन्तु भीड़ नहीं हटी तो एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक मंगवाकर ६ फायर किए गए जिसके फलस्वरूप ३ व्यक्तियों के साधारण चोटें आईं और एक के खराश आई ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोली चलाने के पहले अश्रु गैस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अश्रु गैस का प्रयोग करने के लिए उसका प्रबन्ध करना पड़ता है और यह एक सहसा परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसम कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---४६ आदमी पकड़े गये ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने आदमियों का चालान हुआ झगड़े में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---४६ आदमी पकड़े गये और सभी जमानत पर छोड़ दिये गये हैं और तफतीश जारी है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय गृह मन्त्री जी को ज्ञात है कि दंगा होने से पहले किसी एक स्थान पर कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर एक योजना बनाई थी कि होली पर दंगा किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या यह सही है कि इस घटना के समय किसी निजी घर से भी गोली चलाई गई जिससे लोग घायल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---घटना के समय जो गोली चलाई गई वह निजी बन्दूक तो जरूर थी लेकिन गोली पुलिस के हेड कांस्टेबिल ने ही चलाई ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या गृह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग जख्मी हुये थे उनकी दशा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---किसी को कोई विशेष चोट नहीं आई। ६-७ नम्बर के जो मामूली छर्रे होते हैं उनको चलाया गया था इस विचार से कि भीड़ तितर-बितर हो जाय। तीन आदमियों के चोटें आई हैं जो साधारण सी हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां पर पीस कमेटी की स्थापना की गई थी और वहां की हालत इस समय कैसी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, लखनऊ के नागरिकों ने वहां शांति समिति स्थापित करली है और अब वहां की स्थिति ठीक है और शांति विराज रही है।

[प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

रामपुर स्थित रजा व बुलन्द शुगर फैक्टरियों में हड़ताल

*१---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर स्थित रजा व बुलन्द शुगर फैक्टरियों में गत जनवरी मास का वेतन मजदूरों को मिल-मालिकों द्वारा समय से न दिये जाने का क्या कारण था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---कथित दोनों शुगर फैक्टरियों में वेतन समय से वितरित न होने का कारण यह था कि २ फरवरी, १९५९ से मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई तथा उसके फलस्वरूप मिल मालिकों द्वारा ४ फरवरी, १९५९ से तालाबन्दी की गई।

*२---**श्री त्रिलोकीसिंह**---क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों को वेतन न मिलने की दशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस सम्बन्ध में श्रम अधिकारियों ने निरीक्षण लेख द्वारा दोनों फैक्टरियों के प्रबन्धकों का ध्यान वेतन वितरण अधिनियम, १९३६ [Payment of Wages Act, 1936] की ओर आकर्षित किया था। परन्तु, २६ फरवरी, १९५९ को तालाबन्दी उठाए जाने के पश्चात् ५ मार्च, १९५९ तक ५ या ६ कर्मकारों को छोड़कर, जो वेतन लेने हेतु प्रस्तुत नहीं हुये थे, अन्य सभी कर्मकारों का वेतन वितरित कर दिया गया था। अतः इस सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २ फरवरी, १९५९ से मजदूरों ने जो हड़ताल की उसके प्रमुख कारण क्या थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वहां के मिल मालिकों और मजदूरों में कुछ वर्षों से मांग के सिलसिले में झगड़ा चला आ रहा था, इसी कारण से उन्होंने हड़ताल की।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मजदूरों को समय पर वेतन न मिल सका उसके लिये सरकार ने मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किसी कार्यवाही का सवाल नहीं उठता, जिस समय लाक-आउट स्ट्राइक खत्म हुआ उनको वेतन मिला।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ५-६ कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे खयाल से उनको पत्र भेजा जाय तो वह बता सकेंगे कि क्यों नहीं आये ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि वहां पर जो संघर्ष चल रहा था, खास करके श्री जे० डी० बाजपेई अनशन कर रहे थे, वह समाप्त हो गया, उसमें नार्मलसी आगई है, वहां पर सरकार की ओर से प्रयास किया जायगा कि मामला सुलझ जाय और मजदूरों की मांगें मान ली जांय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं कह चुका हूं कि जब नार्मल हालत हो गई तो जो मांगें हैं उनके सम्बन्ध में जो कानूनी तरीका है वह बरता जायगा ताकि मामला सुलझ जाय ।

महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर की बन्दी की सूचना

*३---श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में महेश्वरी देवी जूट मिल को प्रबन्धकों ने बन्द कर देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब से और इस बन्दी के कारण क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां । प्रबन्धकों ने मिल को २४ मार्च, १९५९ से बन्द करने का नोटिस २३ फरवरी, १९५९ को दिया था, जिसमें बन्दी के निम्न कारण दिये गये थे :—

१---आगामी आर्थिक हानि उठाने में असमर्थता;

२---कच्चे माल और बने हुए माल के मूल्यों में बढ़ते हुए अन्तर के कारण घटता हुआ अन्तर (margin);

३---श्रमिकों के असहयोग द्वारा अत्यन्त कम उत्पादन के कारण उत्पादन के मूल्य में वृद्धि;

४---यंत्र-जात तथा यंत्र (Plant and Machinery) की दशा में खराबी;

५---व्यापार तथा उद्योग की सामान्य असंतोषजनक स्थिति ;

६---उद्योग की वर्तमान स्थिति में यंत्र-जात के आकार (size) के कारण मिल का एक अलाभकर प्रतिष्ठान (unit) होना ।

अब दूसरी नोटिस दिनांक २३ मार्च, १९५९ द्वारा प्रबन्धकों ने बन्दी की तिथि २४ मार्च से बढ़ा कर २५ अप्रैल, १९५९ कर दी है ।

*४---श्री उमाशंकर शुक्ल---इस जूट मिल की बन्दी से कितने मजदूर बेकार होंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---बन्दी से १,२९० श्रमिक प्रभावित होंगे ।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके सदप्रयत्नों के बाद जो १ महीने की अवधि मिल मालिकों ने बढ़ा दी है उसके बाद क्या मिलबन्द हो जायगी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस बेकारी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक महीने की मियाद इस आशा में बढ़ाई गई है कि उसके बाद मिल को बन्द करने की आवश्यकता नहीं होगी । मिल मालिकों का कहना था कि उनको कुछ रुपये पैसे की जरूरत होगी, मशीनरी इत्यादि के लिये, और इस प्रश्न पर केन्द्रीय और प्रादेशिक दोनों सरकारें विचार कर रही हैं और मिल को कोई भी मदद करके उसे चालू रखवाने में हमको खुशी होगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस मिल के मालिक जो माल कलकत्ते के बाजार में बेचकर लाभ उठा रहे हैं वह न करने पावें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इन बातों को अपने मुंह से नहीं कह सकता। जितना मैंने कहा उससे आगे कुछ कहने में असमर्थ हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या इस मिल की बन्दी की घोषणा से पूर्व सरकार से इसके मालिक कोई धन प्राप्त कर चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नोटिस की जरूरत होगी।

ईंट के भट्ठों पर फैक्टरी ऐक्ट लागू करने का आदेश

*५—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में ईंट के भट्ठों के संबंध में फैक्टरी ऐक्ट लागू करने का कोई आदेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, मुख्य कारखाना निरीक्षक की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति इस संबंध में जारी की गई है जिसकी प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८५ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करने से पहले फैक्टरी प्रबन्धकों से कोई राय ली गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—राय लेने की आवश्यकता नहीं थी। १९४८ के ऐक्ट के मुताबिक दिल्ली में फैक्ट्री के चीफ इंसपेक्टर्स की कानफ्रेन्स में तय हुआ था कि चालू भट्ठों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाय और फैक्टरी ऐक्ट के मातहत उनके मजदूरों पर वे नियम लागू किये जावें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या इन नियमों के लागू करने के साथ जो बहुत सी विशेष परिस्थितियां होती हैं और जिनके कारण प्रबन्धकों को दिक्कतें पड़ेंगी उन पर भी सरकार ध्यान देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आवश्यक बातों पर सरकार जरूर विचार करेगी।

श्री उग्रसेन—फैक्टरी ऐक्ट की सभी धारायें लागू होंगी या कुछ मुख्य-मुख्य ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री विश्रामराय—इस ऐक्ट के लागू करने से भट्ठों के मालिकों को और मजदूरों को क्या सुविधायें मिलेंगी और क्यों इसकी जरूरत पड़ी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—फैक्टरी ऐक्ट में यह सब लिखा है, कृपया उसे देख लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी के पास कोई इस तरह की तालिका है कि प्रदेश में कितने भट्ठों पर यह कानून लागू हो सकेगा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या साप्ताहिक छुट्टी का वेतन भी सरकार दिलावेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कानून के मातहत ही कार्य होगा।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि फैक्टरी ऐक्ट के लगने से हफ्ते की छुट्टी और ऐक्ट में दी हुई सभी सहूलियतें मिलेंगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐक्ट लागू होने पर उसकी सुविधायें मिलेंगी ।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[उन्नीसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जे० के० काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल, कानपुर के डाइरेक्टर

*७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३-३-५९ के प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर में वित्त मंत्री ने जिस अधिकारी को बताया वे कौन हैं तथा उक्त कम्पनी को ९० लाख रुपया कब व किस शर्त पर दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—श्री विपिन बिहारी लाल, आई० सी० एस०, आयुक्त तथा वित्त सचिव, सर्वश्री जे० के० काटन स्पिनिंग तथा वीविंग मिल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कानपुर के सरकार द्वारा मनोनीत डाइरेक्टर हैं । उक्त कम्पनी को ९० लाख रुपया मार्च, १९५६ में दिया गया था । इस कर्ज की मुख्य शर्तें संलग्न †तालिका में दी गयी हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन शर्तों में तेरहवीं शर्त के मुताबिक दूसरे डाइरेक्टर अभी तक क्यों नहीं नामांकित किये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस पर गवर्नमेंट विचार करेगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—१२ कैलेंडर महीनों के भीतर इसकी पांचवीं शर्त के अनुसार क्या इसकी इमारत वगैरह मार्गेज हो गई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिन वित्त मंत्री के संबंध में उल्लेख किया गया है क्या उनके उसमें भाग लेने के समय आफिशियल लीव देने का भी कोई प्रबन्ध है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह ड्यूटी पर समझे जावेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—शर्त के मुताबिक अभी तक सरकार ने दूसरे डाइरेक्टर की नियुक्ति पर विचार क्यों नहीं किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे याद पड़ता है जिस काम के लिये रुपया दिया गया था अभी तक वह बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है । जिस समय काम आगे बढ़ जायगा तो जरूर दूसरे डाइरेक्टर की नियुक्ति होगी ।

कुन्दन चीनी मिल, अमरोहा के फाटक पर कथित अनशन

*८—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसको सूचना मिली है कि कुन्दन चीनी मिल, अमरोहा के दो मजदूर मिल-गेट पर आमरण अनशन कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस समय कोई आमरण अनशन नहीं कर रहा है ।

*९—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्यों ? और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

† तालिका छापी नहीं गयी ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलावेंगे कि जिस समय का यह प्रश्न है, अर्थात १६-३-५९ का, उस समय सरकार की सूचना के अनुसार कोई लोग अनशन कर रहे थे या नहीं ? यदि हां, तो किस लिये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---एक व्यक्ति जो वहां मजदूर नहीं था उसने १-३-५९ से मिल के फाटक पर अनशन शुरू किया था। कुछ समझाने बुझाने के बाद उसने ५ मार्च को अनशन तोड़ दिया।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि मिल मालिकों में और अनशनकारी नेता में समझौते के फलस्वरूप अनशन टूटा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां।

[२ अप्रैल, १९५९ के लिये निर्धारित प्रश्न]

कानपुर में श्रम आयुक्त के कार्यालय में क्लर्कों का स्थायीकरण तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक के कार्यालय का विकेन्द्रीकरण

*१---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रम आयुक्त यू० पी०, कानपुर के कार्यालय में कितने क्लर्क कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में इस समय ४२३ क्लर्क कार्य कर रहे हैं।

*२---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त क्लर्कों में से ३१ अगस्त, १९५८ तक कितने स्थायी कर दिये गये और कितने अभी अस्थायी रूप में काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपरोक्त क्लर्कों में १५० स्थायी हैं, तथा २७३ अस्थायी रूप में काम कर रहे हैं।

*३---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य कारखाना निरीक्षक, कानपुर के कार्यालय के क्षेत्र-गत विकेन्द्रीकरण करने के फलस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय वार्षिक बढ़ गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रमुख कारखाना निरीक्षक, कानपुर के कार्यालय के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप १२,६०० रु० वार्षिक अतिरिक्त व्यय बढ़ गया है।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में अस्थायी कर्मचारियों की तरक्की

*४---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में १ जनवरी, १९५७ से १५ दिसम्बर, १९५८ तक कितने और किस प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को प्रोमोशन दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१८३ कर्मचारियों को प्रोमोशन दिया गया, जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८६-२८८ पर)

श्री मुक्तिनाथराय---मान्यवर, सूची के देखने से मालूम होता है कि पदोन्नति कहीं टेस्ट के आधार पर और कहीं सीनियरिटी के आधार पर और कहीं दोनों के आधार पर की गयी है। इन दोनों का समन्वय किस प्रकार से होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रेस में कुछ स्थान ऐसे हैं जिन पर टेस्ट के द्वारा प्रोमोशन होता है और कुछ जगहें ऐसी हैं जिन पर सीनियारिटी के जरिये से प्रोमोशन होता है।

श्री मुक्तिनाथराय---सूची को देखने से मालूम होता है कि कई विभाग ऐसे हैं जहां सीनियारिटी और टेस्ट दोनों को आधार माना गया है तो एक ही बार में इस सीनियोरिटी और टेस्ट दोनों का समन्वय किस प्रकार से होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां दोनों का ध्य न रख कर प्रोमोशन होता है।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रकार से एक ही विभाग में अलग-अलग आधार मुकर्रर करके जो लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं हुआ है उसके लिये इसमें सुधार करने की भविष्य में कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अभी इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है।

यू० पी० हैण्डलूम वीवर्स कान्फ्रेंस के प्रस्ताव

*५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार का ध्यान उन सुझावों और प्रस्तावों की ओर गया है जो यू० पी० हैन्डलूम वीवर्स कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने दिसम्बर, १९५८ के अन्त में क्रमशः दिये और पास किये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यू० पी० हैन्डलूम वीवर्स कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा पास किये गये प्रस्ताव संख्या २, ३ व ६ सरकार को प्राप्त हुए हैं।

*६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वे सुझाव और प्रस्ताव क्या हैं और सरकार ने उनके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रस्तावों की प्रतिलिपि संलग्न है। सरकार ने उनके संबंध में जो कार्यवाही की है उसकी सूचना संलग्न नोट में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २८९-२९१ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---प्रश्न नंबर ६ के उत्तर में जो सूची संलग्न की गयी है, उसमें प्रस्ताव संख्या तीन के सम्बन्ध में लिखा गया है कि २,६१,७७३ हाथ करघे हैं जिनमें से १,६०,००० करघे विभागीय सहकारी समितियों के द्वारा संगठित किये जाते हैं तो क्या सरकार बतायेगी कि बाकी जो १,६०,००० के करीब करघे हैं, उनको संगठित करने की कोई संगठित योजना है ? अगर है तो क्या है ? अगर नहीं, तो सरकार प्रति वर्ष कितने करघे संगठित करने की आशा करती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---उद्योग विभाग इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो करघे बाकी हैं उनको संगठित किया जाय। वह कितने समय के अन्दर हो सकेंगे यह तो लोगों की दिलचस्पी पर ज्यादा मुनहसिर करता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---हथ करघों को शक्तिचालित करघों में परिवर्तित करने का प्रश्न कब उठाया गया और इस पर कब तक विचार समाप्त हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस प्रकार से हथकरघों को संगठित करने का कार्य उद्योग विभाग कर रहा है उसी प्रकार से सरकार जिला उद्योग अधिकारी और गांवों की सहकारी समितियों से सहायता लेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वे तो सहायता करेंगे ही।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जनता की अधिक दिलचस्पी इसमें हो इसके लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उद्योग विभाग की तरफ से बराबर जिलों में प्रचार किया जाता है। उद्योग विभाग के कार्यकर्त्ता लोगों को इस बात के लिये प्रोत्साहन देते रहते हैं।

इलाहाबाद सेन्ट्रल प्रेस की निरीक्षण रिपोर्ट

*७—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जुलाई तथा सितम्बर, सन् १९५६ के बीच में श्री अग्रवाल, डिप्टी सेक्रेटरी अथवा अन्डर सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद सेन्ट्रल प्रेस का कुछ गलतियों के बारे में निरीक्षण कर के कोई रिपोर्ट दी थी? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, श्री अग्रवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट को लोक हित में सदन की मेज पर रखना वांछनीय नहीं है।

*८—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गलती हुई एक व्यक्ति से या दो चार व्यक्तियों की गलती होगी, तो इसे लोकहित का स्थान देने का क्या कारण है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—लोकहित का स्थान तो एक व्यक्ति की गलती पर भी हो सकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह गलती जो है वह सामाजिक है या आर्थिक है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अब यह तो समझने की बात है कि यह सामाजिक है या आर्थिक है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गलतियों की तरफ श्री अग्रवाल ने संकेत किया है अपनी रिपोर्ट में, सरकार ने उस संबंध में कोई कार्यवाही की है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जो शिकायतें थीं उन शिकायतों के संबंध में उनको समझा दिया गया और उसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जो गलतियां हैं, उनमें किसी आफिसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की भी शिकायत है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह तो रिपोर्ट देखने के बाद ही मालूम होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री की बतलाने की कृपा करेंगे कि वे मुख्य मुख्य गलतियां क्या थीं या एक की जो गलती थी वह क्या थी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—रिपोर्ट को पब्लिश करना किन्हीं कारणों से उचित नहीं समझा गया। जिस किस्म का सवाल हुआ है उसका उत्तर देने में हम असमर्थ हैं।

आगरे से जुता व्यापारियों के कर्मचारियों का आवेदन-पत्र

*९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास शू मर्चेन्ट्स एम्प्लाईज (जूते के व्यापारियों के कर्मचारियों) की यूनियन का कोई आवेदन-पत्र दिसम्बर, १९५८ में या उसके निकट आया है? अगर हां, तो सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री बलदेवसिंह आर्य--(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा की किसी यूनियन से दिसम्बर, सन् १९५८ या जनवरी, सन् १९५९ में किसी प्रकार का कोई आवेदन-पत्र आया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, एक प्रार्थना-पत्र आया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--वह प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिये आया था ।

गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये गन्ना उत्पादकों की हड़ताल

*१०--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ने का दाम एक रुपया बारह आना प्रति मन सरकार द्वारा निर्धारित न किये जाने पर १४ जनवरी, १९५९ से प्रदेश भर में चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई न करने के उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव केन यूनियन फेडरेशन के निश्चय की सूचना जो उक्त फेडरेशन की साधारण सभा में गत २३ दिसम्बर को किया गया था सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सरकार की तरफ से गन्ना किसानों की इस मांग पर क्या कदम उठाया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां । गन्ने का न्यूनतम मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सीजन पूर्व निर्धारित किया जाता है । समाचार-पत्रों से विदित हुआ है कि केन्द्रीय सरकार १९५७-५८ तथा १९५८-५९ सीजन के लिये नियत किये गये न्यूनतम गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है । फिर भी सरकार ने संबंधित तत्वों से बातचीत कर इस प्रश्न को सुलझाने की चेष्टा की पर वह सफल न हुई । अब अन्य कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*११--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, १९५८ में राज्य की किन-किन चीनी मिलों में गन्ना हड़ताल हुई तथा चीनी उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--गत दिसम्बर, १९५८ में गन्ना आन्दोलन के कारण प्रदेश की जिन चीनी मिलों में जितनी अवधि के लिये गन्ना सप्लाई नहीं हो सका उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है । कुछ नहीं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९२ पर)

श्री मदन पांडेय--क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेगें कि गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग के सम्बन्ध में मिलमालिकों से जो बात चीत हुई उसमें सरकार ने किसानों की कौन कौन सी मांगों को मनवाने के लिए सुझाव रखे और उन्होंने उनको मानने के लिए किन किन कारणों से इन्कार कर दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उन बातों का जिक्र तो सदन में कई बार आ चुका है । उस का ब्योरा तो मुझे याद नहीं है और उसकी अब आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मिल मालिकों ने उन बातों को नहीं माना यह कहकर कि उनका उस में घाटा होता है ।

*१२-१३--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[न्याय मन्त्री से सम्बन्धित चौदहवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१४--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[हटा दिया गया ।]

फैक्टरियों में दुर्घटनायें

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि फैक्टरियों के चीफ इन्स्पेक्टर की गत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की फैक्टरियों में गत दस वर्षों की अपेक्षा सन् १९५६ में सब से अधिक दुर्घटनायें हुई थीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

*१६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की फैक्टरियों में हुई, १९५४, १९५५ तथा १९५६ की दुर्घटनाओं में कितने मजदूरों की मृत्यु हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—
सन् १९५४ में १४,
सन् १९५५ में २७ और
सन् १९५६ में ३७।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मुख्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि साल दर साल घटनाओं की बढ़ने वाली संख्या को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह घटनायें तो आकस्मिक होती हैं, उनको रोकने की हर तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन आकस्मिक घटनाओं का रोकना बड़ा कठिन है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मुख्य मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिन फैक्टरियों में घटनायें हुई हैं उनमें मजदूरों की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में कितने फैक्टरी मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उसमें फैक्टरी के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फैक्टरी ऐक्ट में इस सम्बन्ध में जो कुछ किये जाने की गुंजाइश है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

डाक्टर जयगोपाल—क्या सरकार इस पर गौर करेगी कि जिन फैक्टरियों में यह घटनायें हुई हैं वहां पर सेफ्टी कमेटियां बनायी जायें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि दो तीन साल के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो कि किसी फैक्टरी में परसिस्टेंटली ऐसी घटनायें होती हैं तो ऐसी बात पर जरूर विचार किया जायगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घटनाओं में जिन मजदूरों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति के लिये कितनी धनराशि दी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका कारण यह होता है कि मजदूर स्किल्ड नहीं होते ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह तो जो फैक्टरी वाले मजदूर हैं वही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि घटनायें किस तरह से होती हैं।

गन्ना आन्दोलन में गिरफ्तारियां

*१७—श्री उग्रसेन—प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल में १५ दिसम्बर, १९५८ से ७ फरवरी, १९५९ तक कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कितने पर मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रदेश में गन्ना आन्दोलन के कारण निर्दिष्ट अवधि के अन्दर २१८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा १८७ व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं।

*१८—श्री उग्रसेन—क्या सरकार अब भी मिल मालिकों एवं गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों के त्रिदलीय सम्मेलन को बुलाने की योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गन्ने का न्यूनतम मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सीजन पूर्व निर्धारित किया जाता है। वे १९५८-५९ सीजन के लिए नियत किये गये गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी सरकार ने सम्बन्धित तत्वों से बातचीत की। चूंकि सरकार को यह स्पष्ट हो गया है कि गन्ना उत्पादकों और मिल मालिकों के दृष्टिकोण में मेल की गुंजाइश नहीं है अस्तु सरकार इस प्रश्न पर त्रिदलीय सम्मेलन बुलाना आवश्यक या समयोचित नहीं समझती है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि २१८ व्यक्तियों के अलावा बहुत से गन्ना किसान मिलों पर पकड़े गये और उन्हें पचास-पचास, साठ साठ मील की दूरी पर पुलिस वालों ने लारी में ले जाकर छोड़ा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी सूचना नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल व्यक्ति किन किन जिलों के हैं और कितने कितने ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—यह लोग जो गिरफ्तार किये गये वह गन्ना वालों को रोकने की दफा में गिरफ्तार किये गये या अपने आप सत्याग्रह करने में ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, रोकने वालों में गिरफ्तार हुये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। अभी जो माननीय दीपनारायणमणि जी ने कहा कि किस दफा में गिरफ्तार किये गये और उसमें जोर के साथ माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इसमें गिरफ्तार हुये। सारा मामला अदालत में चल रहा है तो मैं समझता हूं कि यह पूछना ही उचित नहीं है और न यह कहना उचित है कि किस जुर्म में गिरफ्तार किये गये हैं। यह किस आधार पर माननीय मन्त्री जी बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—जो चार्ज लगाया जाता है उसमें तो जुर्म रहता ही है। उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं, चूंकि अब नार्मल कन्डीशन आ गयी है इसलिये सरकार उनके मुकदमे वापस लेने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, अभी कोई विचार नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—वह कौन सा कारण पैदा हुआ जिसके कारण मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों में मेल नहीं खाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इसी के पहले एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि मिल मालिक कहते हैं कि उत्पादकों की बात मानने से हमारा नुकसान होगा। मुश्किल से पांच मिनट हुए होंगे बताये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह मालूम है कि इसी सदन में एक बार मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि मिल मालिकों को पौने तीन रुपया तक प्रति मन चीनी पर मुनाफा होता है ?

श्री अध्यक्ष--यह किस प्रश्न से सम्बधित है ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी--प्रश्न १८ के उत्तर से सम्बन्धित है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मैंने कहा था।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--जब मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था तो किस आधार पर उनका कहना है कि मिल मालिकों को चीनी के व्यवसाय में घाटा पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य मेरी बात को न सुनें तो क्या करूं। मैंने कहा कि इस वक्त इतना फायदा है। मिल मालिक कहते हैं कि इतने दाम बढ़ाये गये तो इतना नुकसान होगा। मिल मालिकों की बात को दोहराता हूं, मैं तो।

श्री गेंदासिंह--किसने बात नहीं मानी ? मिल मालिकों ने या किसान ने, जिस लिए त्रिदलीय सम्मेलन नहीं बुलाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जाहिर बात है, किसान दाम बढ़वाना चाहते हैं, मिल मालिक तैयार नहीं हैं। इस लिए नहीं मिल मालिकों ने मानी।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जो आदमी गिरफ्तार किये गये, वह इस लिए गिरफ्तार किये गये कि मिल एरियाज में १४४ लगी और गिरफ्तारी उसी दफा में हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, १४४ में भी हुई होगी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो न्यायोचित बात है उस को मिल मालिकों से मनवाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरे में इतना आत्मबल होता तो बहुत से काम कर सकता। लेकिन नहीं कर सकता हूं।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज, लखनऊ द्वारा कागज की कथित खरीद

*१९--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Employment Exchange लखनऊ ने यू० आई० सी० पेपर मिल, लखनऊ से अगस्त, १९५८ में कितना कागज खरीदा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगस्त, १९५८ में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज, लखनऊ ने यू० आई० सी० पेपर मिल, लखनऊ से कोई कागज नहीं खरीदा।

*२०--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस-किस किस्म का कागज खरीदा गया और खरीद की दरें प्रति पौंड क्या थीं ?

*२१---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कागजों की दरें Director General of Supplies Disposal नयी दिल्ली के यहां से क्या निर्धारित थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न ही नहीं उठता।

किच्छा चीनी मिल में ली गयी भूमि का मुआवजा

*२२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल किच्छा, जिला नैनीताल की स्थापना में कितनी एकड़ भूमि किसानों की ली गयी है और उन में से कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है और किस रेट से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उक्त मिल की स्थापना के लिए किसानों की १४६.८ एकड़ भूमि प्राप्त की गयी और उनमें से २७ किसानों को सर्किल रेट के चार गुने के हिसाब से मुआवजा देने के लिए कार्यवाही हो रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि यह जमीन आज से ढाई साल पहले ली गयी थी ? यदि हां, तो आज तक किसानों को मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कार्यवाही करने में कुछ समय लग ही जाता है। कभी किसानों की तरफ से कोई उज्र हुआ, कभी उसमें जांच पड़ताल में देर हुई ; इसलिए विलम्ब हुआ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस कारखाने के उपयोग के हेतु यह जमीन ली गयी थी वह कारखाना लगने वाला है या स्थगित कर दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह तो कारखाना बन ही रहा है वहां पर।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो उस कारखाने में फारेन एक्सचेंज की रुकावट हो रही थी उसे क्या सरकार ने हल कर दिया है ? यदि हां, तो कब तक कारखाना चालू हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं बता देता हूं। जी हां, मैं समझता हूं कि फारेन एक्सचेंज की कठिनाई दूर हो गयी।

श्री प्रतापसिंह—कब तक खुल जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब मशीनरी आ जायगी तो खुल जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या यह सही है कि शुगर मिल किच्छा के लिए जो जमीन किसानों से ली गयी थी उस के लिये उन किसानों से इस बात का वायदा किया गया था कि उन्हें फिर बसाने के लिए अलग जमीन दी जायगी और वह आज तक जमीन नहीं दी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिन किसानों की जमीन ली गयी है उनको जमीन देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है और जमीन ढूंढी जा रही है कि कहां-कहां उनको बसाया जाय।

इन्दारा रेलवे स्टेशन के निकट सहकारी चीनी मिल खोलने की प्रार्थना

*२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर जिले की सीमा पर स्थित इन्दारा रेलवे स्टेशन के पास कोई सहकारी चीनी मिल खोलने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसके खुलने की आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ जिलों के आस-पास के क्षेत्र का कुछ वर्ष पहले सर्वेक्षण भी कराया गया था इस काम के लिए ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, सर्वेक्षण तो सब जगह हुआ लेकिन जिस जगह के सम्बन्ध में पूछा गया है उस जगह के बारे में कोई निश्चय नहीं हो पाया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या इस क्षेत्र की आवश्यकता को जो बहुत दिनों से महसूस की जा रही है, ध्यान में रखते हुए उस स्थान में नहीं, किसी पास के स्थान पर इस मिल को खोलने का इरादा सरकार का है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इरादे की बात तो मैं नहीं कह सकता किन्तु मेरी इच्छा जरूर है कि इस क्षेत्र में कोई मिल खुले। लेकिन मैं आशा ऐसी करता हूं कि जो माननीय सदस्य इन जिलों के हैं वह कोशिश करेंगे ताकि लोगों में उत्साह पैदा हो और लोग कोआपरेटिव मिल खोलने के लिए तैयार हों। यदि ऐसा हुआ तो हम जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि सहकारी मिल को खोलने के लिए सरकार ने अब तक कोई रूपरेखा तैयार की है ? यदि हां, तो कितने रुपये की लागत से यह मिल खोलने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---रूप रेखा तैयार तो नहीं की उसके लिए खास तौर से। लेकिन जो और कोआपरेटिव मिल इस प्रदेश में खुली हैं उस अनुभव से लोगों से ३०-४० लाख रुपये की आशा करनी चाहिए। फिर बाकी तो सरकार मदद कर ही देती है।

देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों से वृद्धावस्था पेन्शन के आवेदन-पत्र

*२४---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जुलाई, १९५८ तक देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों में कितने वृद्धों को कितना धन प्रति जिला पेंशन के रूप में दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसका ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९३ पर)

*२५---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार जिलाधीशों को आदेश देगी कि वृद्धावस्था पेन्शन के आवेदन-पत्रों की जांच में ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार पेशन के लिए भेजे गये आवेदन-पत्रों की जांच-पड़ताल का पूर्ण उत्तरदायित्व तहसीलदार पर है। आवश्यकता पड़ने पर तहसीलदार लेखपाल, स्वास्थ्य अधिकारी तथा ग्राम सभा से सहायता लेते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले से कितने आवेदन-पत्र आये जिनमें केवल ९ को ही मिली ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---गोरखपुर से कुल १७ प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से ९ को पेंशन दी गयी।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरा मतलब है कितने लोगों ने वृद्धावस्था पेशन के लिए गोरखपुर जनपद से दरख्वास्त दी। यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---उसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि तहसीलदार के अलावा ग्राम पंचायत के सभापति या ग्राम पंचायतें इसकी जांच का अधिकार लें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो उत्तर में बता दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह ग्राम सभापति से भी पूछ लिया करते हैं।

डायर-मायकिन ब्रिवरीज के लिये गाजियाबाद के निकट कथित भूमि

*२६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या डायर-मायकिन ब्रिवरीज (Dyer Meakin Breweries) के आवेदन-पत्र पर गाजियाबाद के निकट कुछ भूमि को अधिकृत (acquire) करने का निर्णय सरकार के विचाराधीन है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं।

*२७--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त ब्रिवरीज के पास पहले से ही पर्याप्त भूमि गाजियाबाद के निकट अधिकृत है जिसका कोई उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न नहीं उठता।

आगरा कमिश्नरी के तीन पुलिस कप्तानों के विरुद्ध शिकायत

*२८--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी में जो कप्तान पुलिस हैं, उनमें ऐसे कप्तान पुलिस कितने हैं जिनकी इन्तजाम सम्बन्धी या रिश्वत लेने की शिकायतें सन् १९५७ व १९५८ में सरकार के पास आई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तीन ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी के जिन तीन पुलिस कप्तानों के खिलाफ रिश्वत लेने या इन्तजाम सम्बन्धी शिकायतें आयी हैं वे कौन-कौन से जिलों के कप्तान पुलिस हैं और वे शिकायतें क्या थीं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य नाराज न हों, मैं उनको बताये देता हूं। (हंसी)। एक शिकायत तो अलीगढ़ जिले के कप्तान पुलिस श्री पांडे के खिलाफ थी, लेकिन वह गुमनाम थी इसलिये हमने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी शिकायत मथुरा के पुलिस कप्तान श्री के० आर० भटनागर के खिलाफ थी। उसको भेजने वाले २ व्यक्ति थे--रमणलाल और गिरिराज शर्मा। उन्होंने अपने नाम दिये थे और पते भी दिये थे, लेकिन पूरी तलाश की गयी, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के नाम और पते पर किसी ऐसे व्यक्ति का पता ठिकाना नहीं लगा। इसलिये उस शिकायत को भी गुमनाम ट्रीट किया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तीसरी शिकायत भी वहीं के एक श्री डी० आर० वर्मा हैं उनके खिलाफ थी। वहां के एक जर्नलिस्ट हैं श्री शर्मा उन्होंने दी थी। उसमें नाम भी दिया था और पता भी दिया था। उन्होंने शिकायत में कहा था कि उन्होंने दो पेड़ चुराये हैं। इसके ऊपर पुलिस कप्तान ने श्री शर्मा पर डिफेमेशन का मुकदमा चलाया और श्री शर्मा को ६ महीने का रिगरस इम्प्रीजनमेंट और ५ सौ रुपये के जुर्माने की सजा हुई। इसलिये इस शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जो घटना पेड़ चुराने की है और उस पर मुकदमा चलाने के बाद सजा हुई है वह अलीगढ़ की नहीं है मथुरा की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहरहाल, हैं वह आगरे के दायरे के भीतर ही। (हंसी)

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन दरख्वास्तों पर नाम न होने की वजह से जांच तो नहीं हो सकी लेकिन जो उसमें चार्जेज लगाये गये थे क्या उनके बारे में किसी आधिकारिक तरीके से जांच करायी गयी कि वह चार्जेज सही थे या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने अभी एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अगर कोई शिकायत करता है और किसी के खिलाफ कोई चार्ज लगाता है तो उसमें हिम्मत होनी चाहिये कि वह अपना नाम और पता भी सही सही दे जिससे जांच हो सके। वरना ऐसा नहीं होता है तो जो चाहे किसी की बेइज्जती इस तरीके से कर सकता है, चाहे सरकारी आदमी हो और चाहे गैर सरकारी आदमी हो। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि जांच करने से जो इस प्रकार शिकायत करता है उसका काम बन जाता है। इसलिये नियम यह है कि जब तक शिकायत गुमनाम हो तब तक उस पर कोई जांच नहीं करनी चाहिये।

*२९--**श्री मदन पांडेय**--[हटा दिया गया।]

खीरी जिले से कुछ अधिकारियों का तबादला करने की प्रार्थना

*३०--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन विभागों के वह कौन-कौन से गजटेड आफिसर्स जिला खीरी में हैं जिनका ३१-३-५९ तक तीन वर्ष पूरे होने पर आदेश नं० 2542/II-A—1958, दिनांक २८ मार्च, १९५८ के अनुसार तबादला होना चाहिये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना संलग्न सूची में दर्ज है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २९४ पर)

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पांच अधिकारी जो तीन साल से अधिक समय से लखीमपुर में विराजमान हैं उनके तबादला करने में क्या बाधा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई बाधा नहीं है। जहां तक पहले हैं वह एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं। उनकी बाबत यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का नियम यह है कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में वह प्रायः तबादला नहीं करते जब तक कोई विशेष कारण न हो। फाइनेंशल ईयर ३१ मार्च को खत्म हो गया। अब वह सोच रहे हैं और आशा है कि बहुत जल्द उनका तबादला हो जायगा।

दूसरे इंजीनियर साहब हैं सिंचाई विभाग के। उनके तबादले का भी प्रबन्ध कर रहे हैं और जल्द ही उनका तबादला हो जायगा।

तीसरे एक जिला कृषि अधिकारी हैं। उनका भी तबादला होने वाला है। उनका तबादला रोकने का एक खास कारण यह था कि जिस पद पर वे थे उसके लिये पबलिक सर्विस कमीशन को लिखा गया था और यह खयाल था कि वह जल्दी ही नामजद कर देंगे तो थोड़े दिनों के लिये उनको क्यों हटाया जाय। अब पब्लिक सर्विस कमीशन से नाम आ गया है इसलिये अब वे वहां से हटाये जा रहे हैं।

चौथे सज्जन, वह कृषि विभाग के हैं और कालोनाइजेशन के चार्ज में थे। अब पीलीभीत में कालोनाइजेशन के चार्ज में हैं। यहां से उनका तबादला हो गया है लेकिन खीरी में कुछ काम बाकी है और उन्हें पूरा करना बाकी है। उसको पूरा होने के बाद उनका तबादला हो जायगा।

अन्त में एक सज्जन हैं डिस्पेंसरी के उनके तीन साल खत्म हुये अभी १५, २० दिन हुये हैं और वे भी जल्द ही चले जायंगे।

*३१--३२--**श्री विश्रामराय**--[उन्नीसवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३३--**श्री विश्रामराय**--[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित बीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नोट--तारांकित प्रश्न ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मद्य निषेध बोर्ड की नियुक्ति

*३४--श्री जगदीशप्रसाद--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि वर्तमान प्रदेशीय मद्य-निषेध बोर्ड की नियुक्ति कब हुई तथा तब से अब तक उसकी कितनी मीटिंग हुईं ?

डाक्टर सीताराम--प्रदेशीय मद्यनिषेध बोर्ड की नियुक्ति १२ मार्च, १९५८ को हुई और उसकी अभी तक एक मीटिंग हुई है।

आजमगढ़ जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड

*३५--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में इस वित्तीय वर्ष में कोई राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलने जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में और किन-किन स्थानों पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में सरकार ने निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, आजमगढ़ जिले में खोले हैं। इन राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों को तहसीलों के नाम भी खंडों के सामने दिये गये हैं :--

स्टेज १ ब्लाक

१--जहानागंज १-४-५८ से--तहसील मोहम्मदाबाद

प्रि-एक्सटेन्शन ब्लाक

२--तरवा १-४-५८ से--तहसील लालगंज

३--बिलरियागंज १-१०-५८ से--तहसील सागरी

४--तहबरपुर १-१०-५८ से--तहसील सदर।

लखनऊ के मोतीमहल में स्थित कार्यालयों का किराया

*३६--श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मोतीमहल में कितने सरकारी दफ्तर हैं और उनका कितना किराया मासिक मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी को दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मोतीमहल में दो सरकारी दफ्तर हैं जिनका किराया कुल १,००० रु० मासिक मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी को दिया जाता है।

*३७--श्री सुरथबहादुरशाह--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोती महल की इमारत कितने वार्षिक किराये पर म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ में असेस्ड है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३२,९६६ रु०।

सचिवालय के सचिवों को हिन्दी का ज्ञान

*३८--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी सचिवालय में कितने ऐसे सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव हैं (क) जो हिन्दी नहीं जानते हैं, (ख) जो हिन्दी जानते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--समस्त सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथा संयुक्त सचिवों को कार्य करने योग्य हिन्दी का ज्ञान है।

*३९--श्री मोतीलाल अवस्थी--हिन्दी जानने वाले उक्त पदाधिकारियों में से कितने ऐसे हैं जो सरकारी काम हिन्दी में नहीं करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आवश्यकतानुसार समस्त पदाधिकारी हिन्दी में कार्य करते हैं।

*४०-४१--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित ६ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सहारनपुर रोजगार दफ्तर से हरिजनों को नौकरी

*४२---श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि जिला सहारनपुर में रोजगार दफ्तर के द्वारा १९५६ से १९५९ तक कितने हरिजनों को नौकरी प्राप्त हुई है और किन-किन विभागों में नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला सेवा योजना कार्यालय सहारनपुर द्वारा सन् १९५६-५७ तथा ५८ में क्रमशः ३०८, २५४ तथा ५३४ हरिजनों को नौकरी प्राप्त हुई। सन् १९५९ की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

किन किन विभागों और पदों पर वे नियुक्त हुये यह सूचना १९५८ तक के समय की उपलब्ध है जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

मार्च, १९५८ से पहले का लेखा राज्य सरकार के नियम के अन्तर्गत समाप्त किया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २९५ पर)

अमृत पत्रिका को सहकारिता के आधार पर चलाने के संबंध में जानकारी

*४३---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव देने का विचार कर रही है कि वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐक्ट का क्षेत्र व्यापक कर अमृत पत्रिका और अमृत बाजार पत्रिका के लिये अथराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

*४४---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या राज्य सरकार से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रतिनिधियों ने यह कहा है कि वे अमृत पत्रिका को सहकारिता के आधार पर चलाने के लिये तैयार हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या सहायता करने को तैयार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। अलबत्ता सेक्रेटरी, बेनेट कोलमैन ऐंड कं० इम्प्लाईज यूनियन (दी टाइम्स आफ इंडिया प्रेमिसेज) दिल्ली का एक पत्र सरकारी हस्तक्षेप द्वारा इस कम्पनी को तुरन्त चलवाने की प्रार्थना करते हुए अवश्य प्राप्त हुआ था और उस पत्र में यह भी कहा गया था कि इसमें असफलता होने पर श्रमिकों को सहकारिता के आधार पर इसे चलाने दिया जाय।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

चपरासियों को खादी की वर्दी देने के लिये आदेश

*४५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में चपरासियों की वर्दी खादी भंडार के कपड़े की बनाई जाय इसके लिये क्या कोई सरकारी आज्ञा निकाली गई है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। उक्त आदेश के अनुसार प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में चपरासियों की गर्मी की वर्दी का कपड़ा और जाड़े की वर्दी के अस्तर का कपड़ा खादी का होगा।

फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत मुरादाबाद जिले की फैक्टरियां

*४६---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कुल कितनी छोटी और बड़ी फैक्टरीज हैं जो फैक्टरीज ऐक्ट के अन्तर्गत आती हैं और वे कहां-कहां हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला मुरादाबाद में सात शुगर फैक्टरीज हैं जो फैक्टरीज ऐक्ट के अन्तर्गत आती हैं--- ये फैक्टरियां अमरोहा, केल्सा (पो० आ० डिडोली) राजा का साहसपुर, रज्जाबपुर, मुजाहिदपुर, दर्नी (पो० आ० सिवदना) व चन्दौसी में स्थित हैं।

*४७---श्री महीलाल---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में गन्ना फैक्टरीज के अतिरिक्त अन्य कितनी फैक्टरियां हैं जहां फैक्टरीज ऐक्ट लागू हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी ५६ फैक्टरियां हैं।

राज्य में फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत फैक्टरियां

*४८---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में उन फैक्टरियों की कुल संख्या क्या है जिन पर फैक्टरी ऐक्ट लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी फैक्टरियों की संख्या २,४३९ है।

*४९---श्री देवनारायण भारतीय---[उन्नीसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५०-५१---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित बीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १०१-१०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५२---श्री राम सूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---[उन्नीसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय शिल्पकला महाविद्यालय, लखनऊ से आर्की टेक्चर का डिप्लोमा

*५३---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार राजकीय शिल्प कला महाविद्यालय, लखनऊ में Architecture Class के खोलने का भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो सफल विद्यार्थियों को Degree दी जायेगी न कि Diploma दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---राजकीय शिल्पकला महाविद्यालय, लखनऊ में १९५६-५७ के शैक्षिक सत्र से Architecture Class खोला गया है। सफल विद्यार्थियों को Diploma दिया जायगा।

बदायूं तहसील से सिंचाई के कुओं के लिये तकावी की मांग

*५४---श्री श्रीकृष्णगोयल (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले की बदायूं तहसील में सिंचाई के कुयें बनाने के लिये तकावी के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और सरकार उनको जल्द स्वीकार कराने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केवल ६ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। इन पर आगामी वर्ष १९५९-६० में जिले के लिये तकावी की मंजूरी हो जाने पर विचार किया जायेगा।

*५५-५६---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---[उन्नीसवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर क्षेत्र में कण्डक्टरों की ट्रेनिंग

*५७---श्री उग्रसेन---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५, १९५६ तथा १९५७ में गोरखपुर रीजन में कितने व्यक्तियों को प्रति वर्ष कन्डक्टर की ट्रेनिंग दी गई तथा उनमें से कितने काम में लगे हैं और कितने वेटिंग लिस्ट में हैं ?

डाक्टर सीताराम--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रशिक्षित ग्राम सेवक

*५८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री ४-१२-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७, १०८ और १०९ के उत्तर के क्रम के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रशिक्षित ग्राम सेवकों में से कितने पंचायत मंत्री के पद पर नियुक्त किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन शेष बचे हुये प्रशिक्षितों में से १३६ प्रशिक्षितों को पंचायत मंत्री के पद का नियुक्ति पत्र दिया गया था किन्तु इनमें से केवल ९३ प्रशिक्षितों ने पंचायत मंत्री पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

*५९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, सन् १९५७ में प्रशिक्षित ग्राम सेवकों में से अभी बहुत से ग्राम सेवक बाकी हैं, पर सन् १९५८ में प्रशिक्षित "ए" श्रेणी के ग्राम सेवकों को स्थान दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५७ में प्रशिक्षित ग्राम सेवक, प्रशिक्षण-फल के आधार पर आंकी गई अपनी-अपनी योग्यता अनुसार, क्रमशः "ए", "बी" और "सी" श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किए गए थे; और इसी प्रकार सन् १९५८ के प्रशिक्षितों को भी श्रेणीबद्ध किया गया था। सन् १९५७ के जो प्रशिक्षित ग्राम सेवक-पदों पर नियुक्त नहीं किए जा सके, वे "ए" श्रेणी के (जो उच्चतम श्रेणी है) नहीं थे। उनकी अपेक्षा सन् १९५८ के "ए" श्रेणी के प्रशिक्षितों को ग्राम सेवक-पदों पर नियुक्त करना उचित समझा गया। क्योंकि "ए" श्रेणी के प्रशिक्षित अन्य निम्नतर श्रेणियों के प्रशिक्षितों से अधिक योग्य थे।

*६०--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षित ग्राम सेवकों से ३ वर्ष तक काम करने के लिये जो बांड भराया गया था, क्या वह रद्द कर दिया गया। ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। दिसम्बर, १९५७ में उन प्रशिक्षितों पर से, जिन्हें ग्राम सेवकों की जगहें नहीं दी जा सकीं, इस विभाग में ३ वर्ष तक सेवा करने का प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

अधिकारियों को स्टाफकारों की वापसी

*६१--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास इस आशय के सुझाव आये हैं कि जिन अधिकारियों से स्टाफ कारें ले ली गयीं थीं उनमें से कुछ अधिकारियों को वह वापस कर दी जावें ? यदि हां, दो किन-किन अधिकारियों के लिये सिफारिशें की गयी हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। सूची सदस्य की मेज पर रख दी गई है। सूची में अधिकारियों, विभागों के नाम दिये हैं जिनको गाड़ियां अब दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २९६ पर)

मिण्टो पार्क, इलाहाबाद में माननीय मदनमोहन मालवीय की मूर्ति स्थापित करने की प्रार्थना

*६२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के मिन्टो पार्क में माननीय मदन मोहन मालवीय की मूर्ति स्थापना के लिये वहां के नागरिकों ने कोई मेमोरेन्डम भेजा है ? यदि हां, तो वह मेमोरेन्डम क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टांडा म्युनिसिपल बोर्ड के पावरलूम

*६३—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि टांडा म्युनिसिपल बोर्ड (फैजाबाद) के भीतर पावर लूम (Power Loom) बिना लाइसेन्स के चल रहे हैं और समय की पाबन्दी भी नहीं करते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*६४—श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि पावर लूम का बना कपड़ा हथकरघे कपड़े के नाम पर बेचा जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

गोला चीनी मिल में नया शुगर प्लांट

*६५—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोला गोकरननाथ, जिला खीरी में सन् १९५७–५८ में कोई नया शुगर प्लान्ट बैठाला गया है, यदि हां, तो उस में कितना फारेन एक्सचेन्ज लगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । फारेन एक्सचेन्ज रु० ६४.१२५ लाख का ।

परगना हाकिमों के मुख्यावास

*६६—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाकिम तहसीलों के हेडक्वार्टर्स उनके तहसीलों के हेडक्वार्टर पर बनाया जाना चाहिये, इस सरकारी योजना में अब तक क्या प्रगति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस दिशा में विशेष प्रगति न हो सकी ।

हाथरस रोडवेज स्टेशन की इमारत में खराबी

*६७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस रोडवेज स्टेशन की इमारत बने कितना समय बीत गया है और उसमें कार्यालय आदि कब से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—हाथरस रोडवेज की स्टेशन की इमारत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो, तीन माह हुये बनाई गई और उसमें २६ जनवरी, १९५९, से कार्यारम्भ हुआ ।

*६८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार को यह पता है कि इस इमारत के स्तम्भ, फर्श और सीढ़ियां कई-कई इंच जमीन में धंस गई हैं और दीवारों की ईंटें निकलना शुरू हो गयी हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । इमारत का फर्श व सीढ़ियाँ कई स्थानों पर जमीन में धंस गई हैं और दरारें पड़ गई हैं ।

रोडवेज बस स्टेशन गोरखपुर

*६९—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या रोडवेज बस स्टेशन गोरखपुर बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत लगी है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । बस स्टेशन १८,३२१ रुपये में बना है ।

*७०—श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त बस स्टेशन की छत फट गई है और उसकी मरम्मत भी शुरू है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं । छत नहीं फटी, बल्कि छत के ऊपर गिट्टी ठीक नहीं पड़ी थी । उसको ठेकेदार से बाद में ठीक कराया गया । कोई खर्च सरकार का इस पर नहीं पड़ा ।

औद्योगिक प्रदर्शनी आगरा के लिये चद्दर के परमिट

*७१—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में गत दो सालों से जो औद्योगिक प्रदर्शनी लगायी जा रही है उसके संचालकों को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है ? तथा प्रति वर्ष कितनी नालीदार चद्दर के परमिट दिये गये हैं तथा किस प्रयोजन के लिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) उद्योग विभाग द्वारा अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

(ख) सन् १९५७–५८ में ३० टन तथा १९५८–५९ में ३५ टन के परमिट प्रदर्शनी के स्टालों के बनाने के लिये दिये गये ।

मद्य-निषेध आर्गेनाइजर

*७२—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि मद्य निषेध के आर्गेनाइजर किन-किन जिलों में हैं तथा उनके कार्यों की सरकार के पास क्या रिपोर्ट है तथा किसके द्वारा रिपोर्ट प्रमाणित होती है ?

डाक्टर सीताराम—वांछित विवरण संलग्न है । ये लोग जिला आबकारी अधिकारियों की देख-रेख में कार्य करते हैं और उनके मासिक कार्य का विवरण जिला आबकारी अधिकारी संबन्धित क्षेत्रीय मद्यनिषेध अधिकारियों को भेजते हैं और वे रिपोर्ट को संकलित करके विशेषकार्याधिकारी 'मद्यनिषेध' को भेजते हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २९७ पर)

परिवहन विभाग में कण्डक्टर्स के वेतन-क्रम में अन्तर

*७३—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री परिवहन कृपा कर बतायेंगे कि क्या परिवहन विभाग में कन्डक्टर, ड्राइवर व सीनियर व जूनियर स्टेशन इंचार्जों के वेतन में दो प्रकार का क्रम रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—केवल कन्डक्टरों की श्रेणी में हाई स्कूल पास कन्डक्टर अपना काम सुचारु रूप से करते हैं, इसलिये उन्हें अधिक वेतन-क्रम में रखा गया है । सिटी बस सर्विस के गैर हाई स्कूल पास कन्डक्टरों को रूरल गैर हाई स्कूल पास कन्डक्टरों से अधिक काम करना पड़ता है, इसलिये उन्हें भी अधिक वेतन-क्रम में रखा गया है । क्लीनर कन्डक्टर का काम और जिम्मेदारी कन्डक्टर की अपेक्षा कम है, इसलिये उन्हें कन्डक्टर से कम वेतन-क्रम में रखा गया है । और किसी श्रेणी के वतन-क्रम में अन्तर नहीं है ।

खदोंली बस स्टेशन निर्माण योजना

*७४—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा में एतमादपुर बस स्टेशन को तोड़ने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—यह बस स्टेशन तोड़ा नहीं जा रहा है ।

*७५—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या मंत्री परिवहन यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा में खदोली बस स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम—इस बस स्टेशन के निर्माण का आयोजन वित्तीय वर्ष १९५९-६० में है ।

नियोजन विभाग के स्थायी पद

*७६—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन विभाग में कितने स्थान स्थायी हैं और उन स्थानों पर कितने कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियोजन विभाग में कुल ४,८५१ पद स्थायी हैं और इन पदों में से, १२४५ पदों पर कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हैं ।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों को सुविधाएं

*७७—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सीमेंट फैक्टरी चुर्क में कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारी स्थायी हैं व कितने अस्थायी हैं ? सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फैक्टरी में कुल १,०२६ कर्मचारी हैं । फैक्टरी में सब पद अस्थायी हैं । २४० अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं तथा शेष ७८६ कर्मचारियों को फैक्टरी के स्टैन्डिग आर्डर लागू हैं, जिनमें ७२७ को स्टैन्डिग आर्डर्स के अन्तर्गत रेगुलर (regular) बना दिया गया है ।

सरकार द्वारा जो सुविधाएं कर्मचारियों को उपलब्ध हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आग पृष्ठ २९८ पर)

लखनऊ क्षेत्र में बस कण्डक्टरों को गुड कण्डक्ट एलाउन्स

*७८—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या रोडवेज उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर पर कार्य करने वाले कन्डक्टरों को सन् १९५५ में कोई तरक्की दी गई थी और "गुड कन्डक्ट एलाउन्स" उन कर्मचारियों की तनख्वाह में मिला देने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह गुड कन्डक्ट एलाउन्स लखनऊ रीजन में भी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रानी सराय विकास खण्ड, आजमगढ़ में अस्पताल न खुल सकना

*७९—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि रानीसराय विकास खंड, आजमगढ़ में अब तक अस्पताल खोलने का कार्य न आरम्भ होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५८-५९ के आय-व्ययक में इसके लिये आवश्यक प्राविधान न होने के कारण अस्पताल नहीं खोला जा सका । १९५९-६० में यहां पर एक अस्पताल खुल जायगा ।

विकास खण्ड अमरौधा में प्राइमरी हेल्थ सेण्टर

*८०—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अमरौधा सघन विकास क्षेत्र में अभी तक हेल्थ स्कीम क्यों लाग नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विकास खंड अमरौधा के अन्तर्गत पुखरायां में एक प्राइमरी हेल्थ सेण्टर स्थापित कर दिया गया है ।

*८१--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार को मालूम है कि अमरौधा से ५ मील से अधिक दूरी पर एलोपैथिक अस्पताल पुखरायां में है, किन्तु ब्लाक के ऐसे भी गांव हैं जहां से यह अस्पताल आठ और दस मील की दूरी पर हैं ? क्या सरकार अमरौधा में हेल्थ स्कीम शीघ्र लागू करने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा कि कहा जा चुका है, एक प्राइमरी हेल्थ सेण्टर स्थापित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में ही सट्टी, गोसगंज और अमरौधा में एक-एक मैटरनिटी ऐण्ड चाइल्ड हेल्थ सब-सेण्टर स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दादरा ग्राम में नर भक्षी जानवर का आतंक

*८२--श्री उल्फतसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं, थाना जरीफनगर, ग्राम दादरा में कुछ जानवर इस प्रकार के आ गये हैं जो बच्चों को खाते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जांच करने से पता चला है कि लगभग एक माह पहले इस गांव में एक ६-७ साल की लड़की को दो बघरों ने मार डाला था । मौजा धर्मपुर में भी एक बच्चे के घायल किये जाने की सूचना मिली है ।

पुलिस ने लाइसेन्सदारों के सहयोग से इन गांवों के खेतों इत्यादि में खोज की, किन्तु किसी जानवर का पता नहीं चला । जिला अधिकारियों का खयाल है कि यह जानवर अब किसी दूसरी जगह चले गये हैं ।

*८३--श्री टीकाराम--[उन्नीसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मैनपुरी जिले में मद्य निषेध सम्बन्धी अभियोग

*८४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५७ व १९५८ ई० में नशीली चीजों को इस्तेमाल करने या बेचने के सिलसिले में कुल कितने मुकदमे सरकार की ओर से चलाये गये हैं ? जो उपर्युक्त मुकदमें चलाये गये हैं उनमें कितने अदालतों से छूट गये हैं और कितनों में सजा हुई है और कितने विचाराधीन हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २९९ पर)

काशीपुर चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*८५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि 'केन कमिश्नर' तथा अन्य अधिकारियों द्वारा विधानतः काशीपुर चीनी मिल के विरुद्ध किसानों का बकाया रुपया पेमेंट न करने हेतु 'सर्टिफिकेट' जारी किये जाने पर भी अभी तक arrears of Land Revenue के बतौर वसूली नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम १९५३ की धारा १७(४) के अनुसार गन्ना आयुक्त द्वारा काशीपुर चीनी मिल के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये जाने पर arrears of Land Revenue के बतौर गन्ना किसानों के बकाया की वसूली हो रही है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय के कर्मचारियों को गृह निर्माणार्थ अग्रिम ऋण

*८६—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पांच वर्षों के अन्दर सचिवालय के कितने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण दिया गया और कितने कर्मचारी सरकार से ऋण लेकर मकान बनवाने के बाद स्वयं नमें र रहे हैं और कितों ने मकानों को किराये पर उठा दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत पांच वर्षों में, सचिवालय के १६७ कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये अग्रिम धन दिया गया है ।

२—मकान बनवाने के बाद उनमें स्वयं रहने वाले तथा अपने मकानों को किराये पर उठा देने वाले कर्मचारियों के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है ।

रोडवेज विभाग में ए० टी० आइज तथा जनरल क्लर्क

*८७—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रोडवेज विभाग के अन्दर ए० टी० आइज तथा जनरल क्लर्कों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहें क्या हैं और उनमें से कितने स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इलाहाबाद जिले में रहटों के लिये तकावी तथा नलकूप योजना

*८९—कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में तहसीलवार १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितने व्यक्तियों की रहटों की तकावी की दरख्वास्तें प्राप्त हुईं और कितने व्यक्तियों को तकावी दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३०० पर)

*९०—कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला इलाहाबाद में कितने नलकूप बनाने की योजना है और कहां-कहां पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शाहजहांपुर जिले में सिंचाई के कुओं के लिये तकावी

*९१—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में खेती के कुओं का निर्माण करने के लिये कितने किसानों को कितनी-कितनी तकावी १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में दी गई है तथा प्रत्येक तहसील में कितने-कितने कुयें स्वीकार किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(१) शाहजहांपुर जिले में खेती के कुओं के निर्माण के लिये ४ किसानों को क्रमशः ४००, ७५०, ८५० और १,००० रुपये की तकावी वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में दी गई ।

२---प्रत्येक तहसील में स्वीकृत किये गये कुओं की संख्या इस प्रकार है :

सदर	२
तिलहर	१
पुवाया	२
जलालाबाद	५

सीतापुर जिले में बांस और मूंज के रोजगार को प्रोत्साहन देने की प्रार्थना

*९२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार सीतापुर जिले में बांस और मूंज की पैदावार तथा इनसे हस्तकला द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिये व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

मछलीशहर तहसील से सिंचाई के कुओं की तकावी की वापसी

*९३---**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में (३१ दिसम्बर, १९५८ तक) जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील के कितने किसानों से सिंचाई के कुयें के लिये दी गई तकावी वापस ली गई ?

*९४---तकावी वापस लिये जाने के कारण क्या रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में १९५७-५८ में २४ व्यक्तियों से तथा १९५८-५९ (३१ दिसम्बर, १९५८ तक) में १३ व्यक्तियों से तकावी वापस ली गई ।

तकावी वापस लेने का कारण यह था कि निश्चित समय के अन्दर सिंचाई के कुओं का निर्माण नहीं किया गया और दी गई तकावी धनराशि का दुरुपयोग किया गया । अतः नियमानुकूल तकावी वापस ली गई ।

मिश्रिख तहसील में सिंचाई के कुओं के लिये तकावी

*९५---**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर की मिश्रिख तहसील में सन् १९५२ से दिसम्बर, १९५६ तक प्रति परगना कितना-कितना रुपया कुयें की तकावी में दिया गया ? यदि हां, तो कितने कुयें अब तक बने, कितने नहीं बने, और इनके न बनने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर-देवरिया रीजनल रोडवेज कर्मचारी संघ की मांगें

*९६---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर-देवरिया रीजनल रोडवेज कर्मचारी संघ के द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र अपनी मांगों के साथ जनवरी सन् १९५९ के महीने में गोरखपुर क्षेत्र के परिवहन विभाग के जनरल मैनेजर के पास आया है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया है ?

डाक्टर सीताराम---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कानपुर–कालपी सड़क पर बस के किराये में अन्तर

*९७ –श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभागीय आदेश के अनुसार रेलवे के निकट से गुजरने वाली सड़कों पर चलने वाली बसों की निम्न श्रेणी का किराया ६ पाई प्रति मील है ? यदि हां, तो कानपुर–कालपी रोड पर भोगनीपुर–दुखरायां से कानपुर तक चलने वाली बसों का किराया साढ़े छः पाई प्रति मील निम्न श्रेणी का क्यों है ? सरकार क्या इस किराये को विभागीय आदेश व नीति के अनुसार करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम---आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अनरजिस्टर्ड मजदूर यूनियनें

*९८---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार ऐसे मजदूर यूनियनों की नामावली सदन के सम्मुख रखेगी जिनकी रजिस्ट्री की दरख्वास्तें प्राप्त हुये ६ महीने से अधिक हो चुके हैं, फिर भी रजिस्ट्री नहीं हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नामावली सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३०१–३०३ पर)

*९९---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार ऐसी यूनियनों की रजिस्ट्री न होने के कारणों पर भी प्रकाश डालेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त नामावली में प्रत्येक यूनियन के नाम के आगे कारण उल्लिखित हैं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३०१–३०३ पर)

रानीखेत में चीनी मिलों के श्रमिकों के लिये ग्रीष्मावकाश भवन निर्माण योजना

*१००---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के चीनी मिलों के श्रमिकों के लिये पहाड़ी स्थानों पर छुट्टी बिताने के निमित्त सरकार की ओर से ग्रीष्मावकाश निर्माण किये जाने की योजना विचाराधीन है । यदि हां, तो किस स्थान पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(१) ग्रीष्मावकाश काल बिताने के हेतु भवन की व्यवस्था करने की योजना विचाराधीन है ।

(२) रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में ।

*१०१---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त ग्रीष्मावकाश के निर्माण में कितना धन व्यय होगा तथा उसमें से कितना केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(१) इसकी जांच की जा रही है ।

(२) केन्द्रीय सरकार से क्या मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता ।

*१०२---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त ग्रीष्मावकाश काल में ग्रीष्मावासों में जाने-आने तथा आवास-व्यय-भार किस प्रकार सरकार तथा मिल मालिकों पर वितरित होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस पर अभी विचार हो रहा है ।

बुलन्दशहर जिले में हरिजनों को उद्योग विभाग से सहायता

*१०३--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में उद्योग विभाग की ओर से १९५६-५७ व १९५७-५८ में हरिजनों को उद्योगों के लिये कितनी-कितनी सहायता दी गई ? क्या सरकार उक्त सहायता पाने वाले व्यक्तियों की सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में १९५६-५७ में १६ आवेदक हरिजनों को ४,७०० रुपये ऋण तथा १९५७-५८ में २१ आवेदक हरिजनों को ३२,३५० रुपये ऋण दिया गया ।

उक्त सहायता पाने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३०४-३०७ पर)

अतारांकित प्रश्न

१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[उन्नीसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मद्य-निषेध संबंधी अभियोग

२--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में नशाबन्दी कानून लागू है उनमें प्रत्येक में नशा से सम्बन्धित चीजों को बेचने या इस्तेमाल करने के मुकदमे सन् १९५८ ई० में कितने-कितने चलाये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना उपलब्ध नहीं हुई है ।

आगरा रोजगार दफ्तर से नौकरी

३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा रोजगार दफ्तर (Employment Exchange) में कितने व्यक्तियों ने १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में रजिस्ट्रेशन कराया ? उनमें से कितनों को रोजगार मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--क्रमशः २४,८६१ तथा २६,१८१ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और १,८१५ तथा १,९८९ को रोजगार मिला ।

७० वर्ष से अधिक आयु वाले निराश्रित व्यक्ति

४--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार ७ फरवरी, १९५९ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८-६० के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ७० वर्ष से अधिक आयु के जो निराश्रित लोग हैं उनकी जिलेवार कितनी-कितनी संख्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--७० वर्ष से ऊपर वाले लोगों की तादाद सेन्सस रिपोर्ट १९५१ में उपलब्ध है, लेकिन उनमें कितने निराश्रित हैं इसकी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सहसवान तहसील से सिंचाई के कुओं के लिये तकावी संबंधी प्रार्थना-पत्र

५--श्री उल्फतसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं, तहसील सहसवान में सिंचाई के कुओं को बनाने के लिये १९५७-५८ में ५०० रुपये तक की तकावी के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये, कितने स्वीकृत हुए और कितने खारिज ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला बदायूं तहसील सहसवान में सिंचाई के कुओं के बनवाने के लिए १९५७-५८ में ५०० रुपये तक की तकावी के लिए ३२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । उनमें से २१ प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये और ४ प्रार्थना-पत्र जमानत आदि पूरा न होने के कारण खारिज हो गये। ७ प्रार्थना-पत्र तकावी धन समाप्त हो जाने के कारण १९५८-५९ वर्ष के लिए रख लिए गये ।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कल यह सूचना दी गयी थी कि सदन आज उठ कर फिर १३ तारीख से बैठेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि १३ तारीख से जब सदन बैठेगा तो कितने दिन असरकारी कार्य के लिये दिये जायंगे ? मेरे पूछने का मंशा यह हो सकता है कि अभी जो ३ दिन दिये जा रहे हैं वे ३ दिन तो दिये ही जायं, लेकिन १, २ दिन पहले के भी बाकी हैं, वे भी दे दिये जायंगे या नहीं ? मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ८९--९० की ओर दिलाना चाहता हूं, उनमें दिया गया है कि किसी भी रिजोल्यूशन के लिये १२ दिन का नोटिस मिलना चाहिये । ३ असरकारी दिवस के अलावा और दिन भी लिये जा सकें तो फिर हम लोग फर्दर रिजोल्यूशन्स दे सकते हैं और उन पर बैलट लिया जा सकेगा ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--सदन की बैठक छोटी हुई तो ३ दिन से ज्यादा नहीं हो सकेंगे, लेकिन बाकी जो दिन हैं वे हमारे ऊपर ऋण हैं और वे ऐसे वक्त से दिये जायंगे कि माननीय सदस्य अपने प्रस्तावों को बैलट कर सकें ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--१३ तारीख को सदन की बठक फिर होगी । बीच में रामनौमी और देवी जी की अष्टमी आती है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में लिखा भी था । वे कृपया इस पर प्रकाश डालें यह बेहतर होगा यदि २० तारीख से यह सदन बैठे, क्योंकि बीच में हिन्दुओं के भी त्योहार हैं ।

श्री अध्यक्ष--यह आपका सुझाव है । उन्होंने उस पर विचार करके उत्तर नहीं दिया था । १३ तारीख को ही सदन की बैठक होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, अभी भुवनेश भूषण शर्मा जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए थे । यह मालूम हो जाय कि उनका निश्चय क्या रहा ?

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--इसके पहले कि मुख्य मंत्री जी उत्तर दें मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि १३ तारीख की बैठक को बदल दिया जायगा तो बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ने लगेगी ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे यह बतलाया गया कि शायद प्रजा समाजवादी दल, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ तथा कम्युनिस्ट पार्टी ये चार पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि सदन की बैठक १३ तारीख से कुछ टाल दी जाय, क्योंकि रामनौमी आदि त्योहार हैं । यदि अधिकांश माननीय सदस्यों को इसमें सुविधा प्राप्त होती है तो हमें इसमें कोई आग्रह नहीं है कि १३ तारीख के बदले एक हफ्ता टाल कर सदन की बैठक २० तारीख से हो जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन १३ अप्रैल के बजाय २० अप्रैल स बैठ ।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें । नियम के अनुसार तो मैं यह घोषित करता हूं सत्र के बीच में कि कितने रोज़ तक सदन नहीं बैठेगा नेता सदन की सलाह और परामर्श से । तो उन्होंने परामर्श दे दिया और वही होगा । सदन मे इसके ऊपर कोई राय नहीं ली जायगी ।

यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ४०६४--पी । ३३--७२५-५७, दिनांक २१ जनवरी, १९५९ तथा संख्या ४२८-प । ३३--४८९-५८, दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९५७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--पंचायत रूल्स के बारे में मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मंत्रीजी ने जो पंचायत रूल्स सदन की मेज पर रखे मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं और मुझे उस कमेटी का मेम्बर होने का सौभाग्य है जो श्रीमान् के द्वारा बनायी गयी है, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी कहते हैं । ये रूल्स जनवरी में बने और अप्रैल में सदन में लाये जा रहे हैं । पहले भी सान्यबर की व्यवस्था हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और अर्लियस्ट अपार्चुनिटी पर सदन में आ जाया करेंगे । पंचायत राज ऐक्ट की धारा ११० में भी इस बात की व्यवस्था है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी ने साफ तौर से लिखा है कि इसमें देर होती है, इसलिये मैं उन कारणों को जानना चाहता हूं जिनकी वजह से इतनी देर रूल्स को सदन की मेज पर रखने में हुई ।

श्री अध्यक्ष--आप लोग जरा खामोशी से सुनें । जब एक सवाल उठाया गया है तो उसका जवाब शान्तिपूर्वक सुनिये ।

श्री रामस्वरूप यादव--अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है कि क्यों देरी हुई । मैं इसको जब कल के बाद फिर सदन बैठेगा तो बता सकूंगा कि क्या कारण है ।

श्री अध्यक्ष--अगर आज शाम तक इसका पता आपको लग जाय तो मैं मौका दे दूंगा ।

श्री रामस्वरूप यादव--जी, अच्छा ।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, स्टैंडिंग कमेटीज के नाम निर्देशन आदि के लिये कोई कार्यक्रम निश्चित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि २० तारीख से जब सदन बैठेगा तो क्या चुनाव के लिये कार्यक्रम निर्धारित कर दूं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मेरी राय में तो कर देना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
†छापे नहीं गये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--ऐसा तो नहीं है कि जो २० तारीख की आज घोषणा हो रही है यह भी स्थगित कर दी जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

प्रश्नों का उत्तर देर से दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--श्री ब्रजनारायण तिवारी और श्री गौरीशंकर राय जी ने कई प्रश्नों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है कि बहुत देरी से प्रश्नों के उत्तर दिये जा रहे हैं। तो इसकी तो जांच करके ही मैं यह कह सकता हूं कि जानबूझ कर कोई देर हुई और नियमों का उसमें उल्लंघन हुआ या नहीं। ३०-४० प्रश्न गौरीशंकर राय जी ने बताये हैं और २-३ ब्रजनारायण तिवारी जी ने बताये हैं। तो इन सब की जाँच करनी पड़ेगी। मैं आज निर्णय नहीं दे सकता हूं। नोटिस मिल गयी, यह बात ठीक है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, और भी प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर समय से नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष--आप सब को शामिल कर दीजिये मैं तहकीकात कर लूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक काम रोको प्रस्ताव श्री भुवनेशभूषण शर्मा जी ने दिया है जो विशेष महत्त्व का न होने के कारण मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग लापरवाही से मोटर चलाते हैं किसी सड़क पर उस विषय में ही वे कहना चाहते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--अध्यक्ष महोदय, लापरवाही की बात नहीं है। उसमें ऐसा है कि आस पास के गांव वाले दो सौ ढाई सौ की तादाद में इकट्ठे हो कर मोटरों पर पत्थर मारते हैं जिससे वहां आतंक मच गया है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन वह काम रोको प्रस्ताव का विषय तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि किसने पत्थर फेंके।

इलाहाबाद में बलुआघाट पर नाले का गन्दा पानी गिरने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--अब नियम ५२ के अनुसार श्री कल्याणचन्द मोहिले ने यह विषय दिया हुआ है कि उन्होंने इलाहाबाद के बलुआघाट पर गन्दा पानी चाचर नाले का गिरने की सूचना दी थी जिसके उत्तर में माननीय उपमंत्री महोदय ने माननीय सदन में कहा था कि दो दिन में नाले का पानी घाट पर नहीं जायगा परन्तु उन्हें जो सूचना मिली है तथा, माननीय सदस्य ने जो स्वयं उस घाट पर जा कर निरीक्षण किया था, घाट पर गन्दगी उसी प्रकार की बढ़ती चली जा रही है। उस घाट पर हजारों की संख्या में लोग नित्य स्नान, पूजन करते तथा पानी पीते हैं। इस कारण माननीय सदस्य कहते हैं कि बीमारी वगैरह फैलने की भी आशंका है।

इस उम्बन्ध में मंत्री जी कोई सूचना देना चाहें तो दें।

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। मैंने कल कोशिश की मालूम करने की कि इसका क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है २० तारीख को सूचना दे दें।

श्री गेंदासिंह से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उठाये गये नये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--मैंने कल कहा था कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में कुछ आरोप गेंदा सिंह जी के ऊपर लगाये गये थे कि उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना इस जांच के बीच में की। इसके संबंध में पहले निर्णय दे दूंगा। इसके बाद दूसरी कार्यवाही होगी। श्री गेंदा सिंह जी के २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न. . .

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, अब तो शायद आप सजा सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। मैंने यह कहा कि विशेषाधिकार समिति ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं निर्णय दे रहा हूं कि उसके उठाने की इजाजत दूं या नहीं। गेंदासिंह जी के २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २४ से २६ तक सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर जो प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति ने दिया है उसमें समिति ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि गेंदासिंह जी की शहादत के दौरान में जब उनसे पूछा गया कि वह कृपया उस व्यक्ति का नाम बतायें जिसने उन्हें यह सूचना दी थी कि ये प्रश्न ११ तारीख को माननीय माल मंत्री के पास भेजे गये थे और १४ तारीख तक उनके पास रहे। तब माननीय गेंदासिंह जी ने उस व्यक्ति का नाम बताने से इन्कार किया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा जानबूझ कर तथ्य को छिपाने का प्रयास किया गया और समिति का अवमान हुआ और विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। श्री गेंदासिंह जी के नाम न बताने पर तथा अन्य सबूत भी न देने पर समिति जब इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि जो आरोप लगाया गया था उसमें तथ्य नहीं है। ऐसी अवस्था में जब तथ्य नहीं था तो तथ्य छिपाने का प्रश्न नहीं उठता और कथन में तथ्य न होने के कारण सदन ने उन्हें दंडित करना स्वीकार किया। इसलिये मैं इस प्रश्न को नियम ६४ के अन्तर्गत उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रश्न पर विवाद हुआ अगर इजाजत न देने की बात थी तो क्या मैं जान सकता हूं कि दो दिन तक विवाद करके किसी व्यक्ति का मानसिक रूप से अवमान करने से क्या लाभ हुआ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन में मेरा ध्यान आकर्षित किया था और उसके द्वारा कोई दंड देने का प्रश्न नहीं था। अगर माननीय सदस्य चर्चा न करते तो अच्छा होता। लेकिन मैं जानता हूं कि सदन की कार्यवाही में एक माननीय सदस्य को क्या बोलना चाहिये, किस बारे में बातचीत उठाई जाय या नहीं, इस विषय में पूरे तौर से वैधानिक ज्ञान हर एक को यकसां नहीं होता है। इसलिये बीच में बोलते हुये हर एक को टोक नहीं सकता कि इस बारे में मत बोलिये। लेकिन बहुत से लोगों ने भी इस प्रश्न को उठाया था। प्रतिवेदन में क्यों आया, इसके ऊपर टीका क्यों की गई? मैं समझता हूं कि इस बात पर चर्चा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रतिवेदन में स्पष्ट दिया हुआ है कि समिति की राय में समिति के समक्ष श्री गेंदासिंह ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है जिसकी ओर माननीय अध्यक्ष का ध्यान उचित कार्यवाही के लिए आकृष्ट किया जाता है। नियम ६४ में यह दिया हुआ है कि विशेषाधिकार की अवहेलना व अवमान को किस प्रकार सदन की सूचना में लाया जाय--किस सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा अथवा किसी समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा सदन की सूचना में लाया जा सकेगा। विशेषाधिकार समिति अपने प्रतिवेदन द्वारा मेरी सूचना में वह इसे ले आये। उसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिये थी जब तक मेरी इजाजत न ले ली गई होती। लेकिन कुछ लोगों

ने यह समझा कि प्रतिवेदन का वह भाग है और जो काम समिति के सुपुर्द किया गया था उसका ही यह भाग है और शायद इसके ऊपर भी सदन उनको कोई दंड देने वाला है। इस तरह की बात किसी की समझ में आई और उन्होंने बहस शुरू कर दी। तो उसके लिए मैंने उस वक्त यह उचित नहीं समझा कि मैं रोकूं लेकिन आप ने प्रश्न ठीक उठाया। आइन्दा ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, जैसा मैंने आप से कहा, मैं नम्रतापूर्वक आप से कहना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति के सदस्यों ने जिनमें माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य और माननीय बेचन राम जी गुप्त थे उनकी तरफ से ऐसी बात कही गई और इसके सम्बन्ध में उन्होंने सभी अपने तर्क उपस्थित किये। अगर कोई मेम्बर जो कि विशेषाधिकार समिति के बाहर का है उसने ऐसी बात कही होती तो दूसरी बात थी, लेकिन विशेषाधिकार समिति के जो सदस्य हैं उनको इतनी दूर जाने का मौका मिले यह कुछ उचित नहीं है, क्योंकि यह पहली बार भर्त्सना होने जा रही है और आप एक नई परम्परा कायम कर रहे हैं, तो क्या यह समझा जाय कि भविष्य में भी जब कोई ऐसा मौका आयेगा तो आप की यह रूलिंग सारी बहस हो जाने के बाद होगी या उससे पहले ही होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर कोई प्रश्न ऐसा समिति के प्रतिवेदन में हो तो उसके ऊपर कोई बहस होनी नहीं चाहिए क्योंकि वह तो सिर्फ सूचनार्थ है। जो विषय समिति के सुपुर्द किया गया है उस संबंध में जो जिक्र हो वही होना चाहिये।

विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री गेंदा सिंह की भर्त्सना

श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आप यह मौका देंगे कि अगर मैं क्षमा भी मांगना चाहूं तो मांग लूं।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त?

श्री गेंदासिंह---जी हां। तो मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा मेरे माफी मांगने से बढ़े तो मुझको इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती कि मैं माफ़ी मांग लूं और यह माफी भी ऐसी होगी जिससे सदन की मर्यादा बढ़े। माफी भी एक नियम के भीतर है, उसी नियम के भीतर हमसे यह कहा गया है कि या तो मैं माफी मांग लूं.....

श्री अध्यक्ष---उसकी खूबसूरती को आप मत खत्म कीजिए।

श्री गेंदासिंह---उसकी खूबसूरती को रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सदन ने कुछ नियम बनाये और उन नियमों के अनुसार जितना मुझे चलना चाहिए उससे ज्यादा मिनिस्टर साहबान को चलना चाहिए। मिनिस्टर साहबान अगर सदन के नियमों को तोड़ते हैं तो उनको कोई लाइसेन्स इस सदन से नहीं मिलना चाहिए कि वह नियम तोड़ें।

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक ही है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आप से बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि क्या आज भी उस तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी---जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर साहब स्वतः बैठे हुए ह यह कहने को तैयार हैं कि इन प्रश्नों के सम्बन्ध में खास तौर से---कोई दूसरे नियमों को तोड़ें, लेकिन सदन के जो नियम बने हुए हैं---२० दिन में माननीय सदस्यों को उत्तर मिले, ३ दिन में अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर मिलें---अगर यह आज भी कहा जाय उस तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुये हैं---उन्होंने खुद नियम तोड़ा है, आज उन्होंने नियम तोड़ा है...

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस वक्त यह मौका नहीं है कि कोई शर्त कराई जाय।

श्री गेंदासिंह---मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि अगर ऐसी बात कही जाती है उस तरफ से इस समय भी तो यह मामला बहुत खबसूरती के साथ निभ जाता है। और

[श्री गेंदासिंह]

जिस तरह से आप आज्ञा देंगे बहुमत के उस फैसले के सामने मैं अपना सिर झुकाऊंगा, लेकिन अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होते हुये भी नियमों को तोड़ने के लिये उसको लाइसेन्स मिलता है तो मैं आप के उस फैसले का और बहुमत के उस फैसले का आदर नहीं करूंगा और उसे नहीं मानूंगा।

श्री अध्यक्ष---कल उन्होंने उत्तर इस विषय में दे दिया था कि वह नियमों का पालन करते चले आ रहे हैं और करते चले जायेंगे। जब तक कि यह साबित न हो जाय---मतलब यह प्रश्न उठाया गया है, कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया है प्रश्नों के संबंध में---तो जब तक यह सदन जांच कर के यह न कहे कि जानबूझ कर कोई नियम का तोड़ना हुआ है और विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है तब तक सरकार से यह पूछना कि नियम का पालन करोगे कि नहीं---उचित नहीं है। पालन करना उनका कर्त्तव्य है और पालन कराने का काम इस सदन का है, सदन के प्रति वह जिम्मेदार हैं। तो सदन अपने नियमों का पालन अवश्य कराएगा? मैं तो जानता हूं कि सरकार हो या चाहे दूसरी तरफ के लोग हों सब से ही नियमों का पालन कराना सदन का कर्त्तव्य है और सदन कराएगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह प्रश्न किया था तब इसी उद्देश्य से किया था। मेरे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर उस समय ही मिल जाता तो मेरा विश्वास है कि इस सदन का वातावरण बदल जाता और सर्वसम्मति से कोई निर्णय हो जाता और मेरा खयाल यह है कि उस निर्णय को माननीय गेंदा सिंह जी जैसा कि आज कहते हैं उसी समय मान लेते और वह बातें न होतीं जो उस दिन हुईं। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि मेरे पास जो उसकी रिपोर्ट पहुंची टाइप की हुई मेरे प्रश्न की उस प्रश्न में मैंने केवल दो बातें कही थीं और पहली बात पहले कही थी कि अगर हमारी यह शिकायत है कि मेम्बरों को देर में मिलता है और ठीक तरह से नहीं मिलता है। अगर हमारी यह शिकायत गलत हो तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय हमें बुलाकर अपने कमरे में ही आश्वस्त कर दें कि तुम्हारी शिकायत गलत है हम मान जायेंगे, लेकिन अगर सही पायें तो आइन्दा ऐसा न होने पाये इस बात का आश्वासन दे दें। इन दोनों बातों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। या तो वह मेरे प्रश्नों को समझ नहीं पाये---मैं जानता हूं जानबूझ कर वह ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों को कोई समुचित उत्तर उसका नहीं मिला। अगर ऐसी कोई चीज हो जाय तो माननीय गेंदा सिंह जी ही नहीं बल्कि हम सब तैयार हैं बहुमत के इस फैसले को मानने के लिए, लेकिन जब तक यह भी नहीं होता कि हमारी शिकायत अगर गलत हो तो वह हमको आश्वस्त कर दें कि तुम्हारी शिकायत गलत है और सही हो तो गलती दूर करने का आश्वासन दे दें तब तक हमारे लिये यह कठिन है कि हम उन बातों को उतनी खूबसूरती के साथ मान लें।

श्री अध्यक्ष---एक चीज मैं स्पष्ट कह दूं। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि जो आदमी यह नहीं मानता हो कि उसने कानून तोड़ा है वह बगैर जांच किए हुए यह स्वीकार कर ले आप के कहने से कि वह अब तक जानबूझ कर नियम भंग करता आया है और अब आइन्दा ऐसा नहीं करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैंने तो यह कहा कि हमारी शिकायत गलत हो तो वह हमें बता दें और यदि सही हो तो आइन्दा के लिए आश्वासन दे दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस वक्त जो बात हो रही है वह मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि मेरे ऊपर भी कोई अभियोग है। मेरे से मेरा मतलब है गवर्नमेंट के ऊपर कि हम यदि अपना अपराध स्वीकार कर लें तो कोई और व्यक्ति उस अपराध को स्वीकार करे जो कि इस विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उसने किया है। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जो वस्तुस्थिति की बात थी कल ही जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट करना सम्भव था, मैंने कर दिया था। मैंने यह कहा था

कि जानबूझ कर अपनी तरफ से गवर्नमेंट प्रश्नों के उत्तर देने में गलती नहीं करती। जानबूझ कर देर नहीं करती। और यह भी मैंने कहा था कि हम हमेशा इस बात की कोशिश करेंगे कि जो नियम हैं उनका हम पालन करेंगे। यह बात मैंने कल भी कही थी और आज फिर कहता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं जरा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने जब अपनी बात कही थी तो कोई शर्तिया बात नहीं थी। मेरी तरफ से आज भी कोई शर्तिया बात नहीं है। मेरी जो बात पहले थी और आज भी जैसा कि स्वयं मुख्य मंत्री महोदय ने कहा मेरे दुर्भाग्य से वह समझ नहीं पाये। मैंने यह अभियोग न उन पर लगाया है न उनकी सरकार पर लगाया है कि वह जान बूझकर देर करते हैं। मेरा कहना यह है कि हम लोगों को शिकायत यह है कि प्रश्नों का उत्तर देर में दिया जाता है। जानबूझ कर न देते हों, अनजान में होता है और अगर अनजान में भी देर में दिया जाता है तो भी अगर मुख्य मंत्री महोदय हमें अपने कमरे में बुलाकर के आश्वस्त करदें कि ऐसा नहीं होता है तो हम मान लेंगे। माननीय मुख्य मंत्री को इसमें क्या आपत्ति है? न शर्त की बात है और न कोई दूसरी तरह की बात है, लेकिन जब तक इस तरह की बातों का भी उत्तर नहीं मिलता है तो हमारे लिये बड़ा कठिन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—अब तो यह बात हो गई और अधिक समय इसके लिये नहीं है क्योंकि अब शर्तिया बातें चल रही हैं। तो अब मैं सदन के आदेश को अमल में लाता हूं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री गेंदा सिंह जी, तारीख ३१ मार्च सन् १९५९ को आपकी मौजूदगी में ही सभापति, विशेषाधिकार समिति के प्रस्ताव पर सदन ने निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया है:

> "श्री गेंदा सिंह ने २१ फरवरी, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २४ से २६ के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय तथा श्री गेंदा सिंह को प्रतिवेदन में उल्लिखित दंड दिया जाय।"

श्री गेंदा सिंह जी, विशेषाधिकार समिति ने आपको निम्न शब्दों में सदन के अवमान का दोषी ठहराया है—

> "श्री गेंदा सिंह जी का व्यवहार सदन के सामने कन्ट्यूमेशस एन्ड डिसरिस्पेक्टफुल रहा है और इस प्रकार उन्होंने सदन का अवमान किया है। समिति का यह भी मत है कि श्री गेंदा सिंह जी ने जानबूझ कर सदन के सामने गलत बयानी की है और सदन को गुमराह किया है। उनके इस व्यवहार से माननीय चरणसिंह जी अवमानित हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनके इस अनुचित आक्षेप से सदन के कार्यालय के अधिकारियों पर भी आक्षेप है जो कि स्पष्ट रूप से सदन का अवमान होता है।"

जिन शब्दों में आपने रहस्योद्घाटन तथा भंडाफोड़ करने का सदन में जिक्र किया था उससे सदन के कार्यालय के अधिकारियों पर जालसाजी इत्यादि करने के भयंकर आरोप की ओर संकेत होता था और आपने उसे सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया और आपको जानकारी का स्रोत भी नहीं बताया जिससे सदन की राय में आपने अकारण ही भाषण स्वातन्त्र्य की सीमा का उल्लंघन करके आरोप किया था। समिति के सुझाव के अनुसार विशेषाधिकार की अवहेलना होने पर भी आपको क्षमा याचना का अवसर प्राप्त था जिसे न करने पर सदन की आज्ञा से मेरा यह दुखद कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं आपके सदन में किये हुए निराधार आरोप और व्यवहार की भर्त्सना करूं जो कि कम से कम दंड ऐसे कार्य के लिये दिया जा सकता है।

[श्री अध्यक्ष]

तदनुसार आपकी भर्त्सना करते हुए मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आपके द्वारा ऐसा कार्य न होगा और सदन के लिये आप अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करेंगे।

श्री गेंदासिंह---मैं आपकी इस आज्ञा का विरोध प्रकट करते हुए बाहर जा रहा हूं।

(श्री गेंदा सिंह सदन से चले गये।)

मनवा सिधौली परगने में तहसील कर्मचारियों की अभिकथित ज्यादतियों के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा ने जो कामरोको प्रस्ताव सदन के सन्मुख पेश किया था हालांकि आपने उसको अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी यह आपने आज्ञा दी थी कि उसकी तहकीकात कर ली जाय और फिर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। तो जो फिलहाल तहकीकात की रिपोर्ट मेरे पास आई है वह इस प्रकार है। जिलाधीश सीतापुर के द्वारा यह रिपोर्ट मांगी गई थी। तहसील कर्मचारियों द्वारा मनवा सिधौली परगने के कतिपय निवासियों पर की गई ज्यादतियों के संबंध में रिपोर्ट इस प्रकार है :

"मामले में जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि कथित पीटे जाने और बकायादारों को घास खाने के लिये मजबूर करने अथवा आतंक तथा क्रोध के फैले वातारण की शिकायतें सर्वथा निराधार हैं। केवल एक भगवान दीन नामक बकायेदार को कुछ थोड़े समय के लिये अदायगी के लिये रोका गया था और उसने तुरन्त रुपया जमा कर दिया। अन्य तीन बकायादारों के विरुद्ध कोई भी निग्रह प्रसर (कोयर्सिव ऐक्शन) की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी। राजनैतिक कारणों तथा कुछ व्यक्तियों के तहसील कर्मचारियों के विरुद्ध आपसी वैमनस्य के फलस्वरूप शिकायत की गई।"

दूसरी बात मुझे अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करनी है कि जहां तक इसकी अदायगी का संबंध है, चार साहबान ने १५, १६ और १७ तारीख तक जो मालगुजारी इत्यादि थी वह इस प्रकार से जमा कर दी। भगवान दीन ने १५-३-५९ को जमा कर दिया जो कुछ पैसा उनके जिम्मे था। तुलारैदास ने १७-३-५९ को, नेवाजी रैदास ने १७-३-५९ को और टिकई रैदास ने १५-३-५९ को जमा कर दिया। तो इस तरह से कामरोको प्रस्ताव जो ३१ तारीख को आया उसमें कोई तथ्य नहीं है। वह २१ को आ सकता था अगर कोई ज्यादती थी या इससे पहले आ सकता था, क्योंकि १५ से १७ तक रुपया जमा कर दिया गया था। तो यही रिपोर्ट है जो सदन के सम्मुख उपस्थित की जा रही है।

(डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब इसके ऊपर आपको सूचना मिल गयी।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---मगर मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुझको इस संबंध में जो सूचना मिली वह ३० तारीख को मिली और ३० को ही मैंने रखा। ४-५ आदमियों ने मुझसे शिकायत की कि उनको पेड़ से बांधा जाता है .....

श्री अध्यक्ष---अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्रश्न पूछें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---प्रश्नों का उत्तर तो वही देंगे जो जवाब है।

श्री अध्यक्ष---तो आप अपनी लिखित सूचना दे दें। उन्होंने जो अफसरों से जानकारी हासिल की वह दे दी।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---मैं जानना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी ने की है ?

श्री धर्मसिंह---यह रिपोर्ट जिलाधीश द्वारा मंगायी गयी है, क्योंकि आपने कामरोको प्रस्ताव ३१ तारीख को दिया था और १-३ तक सूचना मंगानी थी तो वायरलेस इत्यादि किया गया, जिलाधीश द्वारा सूचना आयी है ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---मौके पर जाकर जानकारी किस अधिकारी ने की है ?

श्री धर्मसिंह---यह तो मैंने निवेदन किया कि शार्ट रिपोर्ट है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि कौन आदमी मौके पर गया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि जब अधिकारी मौके पर जांच करने के लिये गये तो जिन्होंने आवेदन-पत्र उनके विरुद्ध दिया था उनकी भी गवाही लिखी गयी ?

श्री अध्यक्ष---उनको मालूम ही नहीं है कि किसने जांच की ।

श्री उग्रसेन---क्या इसके संबंध में सूचना मंगाकर दूसरा वक्तव्य सदन में देंगे ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । यह पूछने की बात नहीं है । आप उनको लिख कर भेज दीजिये, फिर प्रश्न उठाइये ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---इस संबंध में कुछ थोड़ी सी उदारता कर दें, श्रीमन्, बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है वहां की जनता के लिये । अगर आप इतना ही आदेश माननीय राजस्व मंत्री को दे दें कि २० तारीख को दूसरा वक्तव्य दें जांच करने के बाद तो.....

श्री अध्यक्ष---वह अगर जांच करें उस वक्त-----(श्री धर्मसिंह से) जांच आप कर लें और उसके बाद जो कुछ वक्तव्य हो, जांच करके जो वहां आपने जाना हो उसकी २० तारीख को सदन को सूचना दे दें ।

(डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा से) पहले आप लिख कर भेजें कि क्या-क्या हुआ ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे भी इस संबंध में कुछ प्रकाश डालने का अवसर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---उन्हें आप भी अपनी जानकारी भेज दें ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---आपके नाम ठेका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---इसका तो किसी के नाम ठेका नहीं है ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९†

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, उस पर विचार किया जाय ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर । मैं व्यवस्था का सवाल उठाता हूं । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १३० की तरफ दिलाना चाहता हूं । उसमें दिया हुआ है कि "किसी विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त या किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक भारसाधक सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्तुत

---

†१ अप्रैल १९५९ की कार्यवाही में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कर सकेगा ..... परन्तु यह भी है कि उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।"

श्रीमन्, इस संबंध में मैं दो शब्द यह कहना चाहता हूं कि यह महापालिका विधेयक जिस समय मूल रूप में पास हुआ था उस समय विरोधी दलों ने सदन का त्याग कर दिया था और केवल सरकारी पक्ष के लोग या दो तीन आदमी और यहां पर थे जिससे यह बिना वाद-विवाद के पास हो गया था। उसके परिणामस्वरूप आप आज देख रहे हैं कि मुश्किल से ५-६ महीने हुए होंगे और संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ गई है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन तो अभी प्रारम्भ ही हुए हैं और महापालिका का चुनाव होते होते और भी आने वाले हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विधेयक अभी कल ही सदन के सामने रखा गया और उसे आज ही पारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसको न तो किसी सदस्य ने अभी पूरा-पूरा पढ़ा या देखा ही होगा और न मूल अधिनियम को ही देख पाये होंगे और न संशोधन ही सोच पाये होंगे.....

श्री अध्यक्ष---आप का आक्षेप यह है कि आपको तीन रोज का समय नहीं मिला।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, आपको अधिकार है कि आप कह दें कि इसे इस समय नहीं लिया जायगा। मैं चाहता हूं कि आपको अपनी आपत्तियां बतला दूं कि आप इसको आज्ञा क्यों न दें। यह महापालिका अधिनियम शुरू से ही त्रुटिपूर्ण रहा है। इसमें सदन के सदस्यों ने अपनी रायें खुलकर नहीं दी हैं, न पहले ही और न उन्हें अब ही देने का मौका दिया जा रहा है। इसलिये अगर यह इसी तरह से त्रुटिपूर्ण चला जायगा तो परिणाम यह होगा कि हाईकोर्ट में जाकर.....

श्री अध्यक्ष---प्वाइन्ट आफ आर्डर पर। इतनी लम्बी स्पीच नहीं होती।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आप विरोधी पक्ष की तरफ से फैसला देंगे, सरकार की तरफ से नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष---सदन में बातचीत बहुत जोर से हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बातचीत न की जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अवस्थी जी ने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया उस पर पहले इसके कि आप अपनी व्यवस्था दें, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं। जैसे कि आम तौर से प्वाइन्ट आफ आर्डर्स उठाये जाते हैं उस प्रकार का यह नहीं है बल्कि ऐज ए राइट उठाया गया है। जो विधेयक आज आया है उसको तीन दिन की नोटिस होनी चाहिये थी, हालांकि आप ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं नियमों के अन्तर्गत कि अभी लिया जाय लेकिन इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इस सदन के नियमों का पालन करना हमारा कर्त्तव्य है। अगर आप मुझे कहने की आज्ञा दें तो मैं कहूंगा कि हम सब सर्वेन्ट्स आफ दि हाउस हैं, मास्टर नहीं हैं। मेरा निवेदन यह है कि हम २० तारीख को फिर बैठ रहे हैं और अभी नामिनेशन का भी कोई झगड़ा नहीं है। अगर नामिनेशन होता तो कहा जा सकता था कि आज ही पास हो जाना चाहिये, इसलिये इसको आज न लिया जाय। मैं आप से इस सदन के नियमों की रक्षा के लिये याचना करता हूं अपोजीशन की तरफ से कि आप ऐसी व्यवस्था दें जिससे सुचारु-रूप से काम चल सके। मैं देख रहा हूं कि सरकार की ओर से बराबर नियमों का उल्लंघन हो रहा है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अल्पसंख्यक प्रश्न के हितों की रक्षा करना आपका भी कर्त्तव्य है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतायें कि यह विधेयक २० तारीख को लाने में उन्हें क्या कठिनाई है, क्यों इतनी जल्दी है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---कोई काम नहीं है इसलिये बेकारी में ला रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी जो बात कह रहे हैं उसका उत्तर देना तो मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मुझे यह आपत्ति सुनकर दुख इस बात का है कि जिस दल की ओर से सब से ज्यादा मांग थी उसी की ओर से आज कहा गया कि इतनी जल्दी में एलेक्शन की वजह से हम पास कराना चाहते हैं । श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है । यदि माननीय अध्यक्ष यह समझते हैं कि आज का उपयोग किसी और कार्यक्रम में हो सकता है तो इसे २० अप्रैल को लेने में कोई दिक्कत नहीं है । सूचना तो पहले भी दे दी गयी थी कि यह संशोधन विधेयक आ रहा है । विधान परिषद् में यह चला, वहां से यह पारित हुआ और इसके बारे में तो विरोधी दलों की ओर से बहुत ज्यादा मांग थी कि इस धारा को संशोधित किया जाय । उस मांग के अनुसार ही यह संशोधित किया गया । वैसे चुनाव के कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी यह पास हो जाय उतना ही अच्छा है । चुनाव तो जून में कराना ही है ।

श्री अध्यक्ष---आपने जून में जो तारीख रखी है उस दृष्टिकोण से यह कब तक पास हो जाना चाहिये तथा यह गवर्नर की स्वीकृति के लिये जायगा या प्रेसीडेंट की ?

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, यह प्रेसीडेंट की स्वीकृति के लिये जायगा। इसको नामीनेशन से पहले पास हो जाना चाहिये और उसके लिये हम यह अन्दाजा कर रहे हैं कि उसके लिये मई में हम कोई तारीख रखेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में हमें केवल कल ही एजेन्डे में सूचना दी गयी है, उसकी प्रति अथवा कान्टेक्स्ट्स नहीं दिये गये हैं । कल शाम से पहले इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था । परसों ही यह परिषद् से पास हुआ है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जायं और इसके लिये प्रेसीडेंट की एसेंट भी लेनी पड़ेगी । इसके द्वारा सरकार कोई बड़ा भारी चेन्ज भी नहीं कर रही है । इसलिये इसको ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर इसकी जल्दी है तो इसको ले लिया जाना चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---केवल यह कह देना कि यह विरोधी दलों की मांग पर लाया गया है, काफी नहीं है । हम चाहते हैं कि सरकार यह बताये कि इससे पहले न ला सकने के क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष---मैंने फैसला दे दिया कि इसको जारी रखा जाय । माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, नगर महापालिका विधेयक, १९५९ को राष्ट्रपति की स्वीकृति २२ जून को प्राप्त हुई थी और २४ जून, १९५९ को यह अधिनियम बन गया था तथा प्रकाशित हो गया था । श्रीमन्, जब विधान परिषद् में इस विधेयक पर विचार हो रहा था उस समय यह बात काफी कही गयी थी और इसकी काफी आलोचना भी हुई कि डिसक्वालीफिकेशन के लिये ६ महीने का समय रखा गया है, वह ठीक नहीं है । उसी समय माननीय मंत्री जी को यह आभास हुआ था कि यह संभव हो सकता है कि इस धारा के रहने से कुछ सज्जन चुनाव में आने से रह जायं । उस समय सरकार का इरादा था कि महापालिका का चुनाव मार्च-अप्रैल में करा दिया जाय ताकि गर्मी का मौसम न आने पाये । इसलिये उस समय

[श्री रामस्वरूप यादव]

संशोधन स्वीकार किया जाना संभव न था । लेकिन क्योंकि सिद्धान्ततः यह बात ठीक समझी गयी कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि विरोधी दलों में से कोई भी दल इस बात की शिकायत कर सके, श्रीमन्, इसका अधिनियम बनाने के बाद में यह प्रयत्न किया गया कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाय । सबसे पहले मतदान सूची का ही प्रश्न था । उस सम्बन्ध में कुछ ऐसे आवेदन-पत्र आये जिनमें यह शिकायत की गयी थी कि यह जो सूची तैयार की गयी है वह तीन साल पुरानी है और इस बीच में बहुत से लोग आये और गये तथा और भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिनको दूर करना आवश्यक है । इस कारण जरूरी हो गया है कि हाउस टु हाउस जाकर इस प्रकार की जानकारी की जाय और यह मतदाता सूची तैयार की जाय । इसके ठीक करने में भी, श्रीमन्, कुछ समय लग गया जिसकी वजह से चुनाव में भी समय लगेगा और चुनाव अप्रैल–मई में नहीं हो सकेगा । हमें सीमा के बारे में भी निश्चय लेना था और अधिनियम बनने के बाद ही इस पर कार्यवाही हो सकती थी । सीमा के बारे में अब शासन का अन्तिम निर्णय हो चुका है और वह प्रकाशित भी हो गया है । इसके बाद वार्ड्स का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसके बारे में भी निश्चय हो जाय । इन सब बातों के आधार पर यह सम्भव नहीं हो सकता था कि मई के पहले चुनाव हो जाय, लेकिन कुछ ऐसे भी सुझाव आये जो ठीक ही समझे गये कि मई के महीने में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा । इस दृष्टि से कि सम्भव है जून के महीने तक मौसम में कुछ सुधार हो जाय कुछ बारिश हो जाय, लू खत्म हो जाय जिससे वोट देने वाले लोगों को दिक्कत न हो । ऐसे भी अगर जून में चुनाव हों तो नगरपालिका के चुनाव के लिये जो वार्ड्स हैं वे छोटे छोटे हैं जिससे वोट देने वालों को दूर नहीं जाना पड़ेगा । इस वजह से सरकार का भी खयाल है कि जून के अन्दर चुनाव करा दिया जाय तो कोई दिक्कत न होगी । इस दृष्टि से यह जरूरी समझा गया कि कोई धारा ऐसी हो जिसमें कोई त्रुटि हो जो सरकार के सामने आयी हो उसके लिये संशोधन लाया जाय और उनको ठीक कर दिया जाय ।

(इस समय १२ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

इस तरह की धारा, जैसा कि मैंने निवेदन किया, क्लाज ४ ही है जो मूल अधिनियम की धारा २५ में संशोधन के लिये है । उस संशोधन के हो जाने के बाद में जिस किसी व्यक्ति को दो वर्ष तक सजा हुई हो वह चुनाव में भाग ले सकेगा, दो वर्ष से अधिक वाला भाग नहीं ले सकेगा । इसके लिये एक सही कानून का बनाना जरूरी था जिसके लिये यह संशोधन लाया गया है । दूसरी यह शिकायत थी, वैसे तो इस वक्त स्थिति जैसा कि अधिनियम था, वह यह है कि चैप्टर १ और २ को नगर महापालिकाओं के कायम होने से पहले लागू किया जा सकता है । और वे लागू हैं और अगर कुछ और धाराओं की आवश्यकता समझी जाय तो उनको लागू कर दिया जाय । तो यह क्लाज भी इस वजह से प्रस्तुत किया गया है कि अगर जरूरी समझा जाय तो उस अधिनियम की और धारायें भी विभिन्न समय पर लागू की जा सकें ।

दूसरा क्लाज ५ के बारे में है । उस वक्त जिस वक्त कि यह अधिनियम बना तो एक कमेटी मुख्य नगर अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के नीचे जितने कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति करने के लिये थी । उसमें एक शब्द रह गया है जिसकी वजह से केवल मुख्य नगर अधिकारी के अन्तर्गत जो कर्मचारी चुने जाने हैं उसके दो ही सदस्य हैं मुख्य नगर अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी । लेकिन मंशा यह था कि लेखा परीक्षा अधिकारी के अन्तर्गत जो कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति के लिये कमेटी के दो सदस्य और होंगे जो एक्जीक्यूटिव द्वारा चुन कर भेजे जायं । यह जरूरी था कि मुख्य नगर अधिकारी के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के चुनाव के लिये कमेटी में भी दो मेम्बर रह सकें । इस वजह से मूल अधिनियम की धारा १०७ में संशोधन करना पड़ा । क्लाज ६ में तो बहुत मामूली सा संशोधन है जो जरूरी था कि नगर के अन्तर्गत धारा १२६ (ख) भी लागू हो जाय जो कि पहले अधिनियम में है । उसमें केवल १२६-क पर ही लागू होता था । इसी तरह से डिफिकल्टीज आर्डर के बारे में, पिछले

अधिनियम में १२ मास की सीमा थी, लेकिन अब ज्यादा समय की आवश्यकता है, क्योंकि सम्भव हो सकता है कि उतने समय में दिक्कत हो इसलिये वह समय बढ़ाकर २४ मास का किया जा रहा है ।

क्लाज ६ के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद् के भी कुछ क्षेत्र महापालिका क्षेत्र में आ जाते थे, इसका भी असर अधिनियम पर पड़ता था और उसी सम्बन्ध में इसमें क्लाज ९ जोड़ा गया है ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत निर्दोष और छोटा सा संशोधन विधेयक है जिस को लाने का कारण भी विशेषकर यही है कि हमारे सदन के माननीय सदस्य, उन दलों के जो विरोध में हैं उनकी मांग इस तरह की थी । मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इसकी प्रतियां २ दिन पहले इसलिये नहीं आ सकीं कि यह विधेयक पहले विधान परिषद् में आया था और उसके बाद ही यह सम्भव था कि उसकी प्रतियां यहां आ सकतीं । इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करेगा ।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं :—

"उपर्युक्त विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन में इस सदन में उपस्थित करे ।"

श्रीमन्, मैं यह संशोधन इस आशय से उपस्थित कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का जो चुनाव का शिड्यूल है उस में कोई अन्तर न पड़े । यदि मंत्री जी यह बतायेंगे और मुझे मालूम हो जायगा कि मेरे इस संशोधन से उनके चुनाव के टाइम-शिड्यूल में कोई अन्तर पड़ता है तो मैं उस पर पुनः विचार करूंगा और उस हालत में जैसी भी आवश्यकता होगी उस पर अपने विचार प्रदर्शित करूंगा । मेरा विश्वास है कि यह संशोधन विधेयक, जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यदि पारित न भी हो चुनाव के समय तक तब भी चुनाव में उससे कोई आवश्यक परिवर्तन या भेद की बात नहीं पड़ती । इस संशोधन विधेयक, में प्रमुखतः २ बातों की ओर संकेत किया गया है अलावा कुछ शाब्दिक संशोधनों के । एक बात तो यह है कि जो उम्मीदवार होंगे उनको यदि ६ मास से अधिक की सजा हो गई हो तो जो वर्तमान अधिनियम है उसके अनुसार वे खड़े नहीं हो सकते । माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके अनुसार वह अवधि दो साल तक बढ़ा दी है और जिनको किसी भी अभियोग में २ साल तक की सजा हुई हो वे उम्मीदवार हो सकेंगे । श्रीमन्, मेरी समझ में यह अनुपयुक्त है । मैंने प्रायः सभी जगह के कारपोरेशन ऐक्ट देखे हैं, कहीं भी ऐसा विधान नहीं है । मध्यप्रदेश के जबलपुर और नागपुर के देखें, बम्बई, बंगलौर, मद्रास और हैदराबाद इन सभी कारपोरेशनों के विधान में जो व्यवस्था है वह केवल इस बात की है कि छः महीने से अधिक की जिन्हें सजा हुई हो वे उम्मीदवार खड़े नहीं हो सकते । केवल एक उदाहरण ऐसा मिलता है देहली कारपोरेशन का जिसमें कि बताया गया है कि यदि उन्हें आई० पी०सी० १७१—एफ अथवा दो छोटे देहली कारपोरेशनों ऐक्ट के जो क्लाज हैं उनके अन्तर्गत सजा हुई हो तब तो दो साल का कोई नियम नहीं है, उनको कोई भी सजा हुई हो वे खड़े नहीं हो सकते । लेकिन बाकी में यह नियम है कि दो साल से अधिक की सजा होने पर ही उनकी डिस्क्वालीफिकेशन होती है, और पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के माफिक उसको बनाने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु हम जहां दूसरे अन्य कारपोरेशन्स को देखते हैं, उनमें सभी में छः महीने की अवधि है । मेरी सम्मति है कि छः महीने से अधिक की जिनको सजा हुई हो उनको पांच वर्ष तक जो अभी इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है, वही ठीक है और वही व्यवस्था रहनी चाहिये ।

इसमें जो कमी है उसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं । जितनी भी भारतवर्ष की दूसरी कारपोरेशन्स है उनके अधिनियमों को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अभियोग इनवाल्विंग मारल टरपीट्यूड । दो-तीन ऐसे भी कारपोरेशन्स हैं जहां पर कि उन्होंने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

"एक्सक्लूडिंग पोलिटीकल आफेन्सेज" ऐन्ड नाट इन्वाल्विंग मारल डेलिक्वेंसी" इन शब्दों का प्रयोग किया है । मेरा खयाल यह है कि हमारे इस अधिनियम में भी "इन्वाल्विंग मारल टरपीट्यूड' वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिये । यह जो अवधि प्रस्तुत हुई है उसमें जो मौलिक मतभेद मेरा है वह यह है । क्योंकि जब हम देखते हैं अपने अधिनियम में कि जिनको भी सजा हुई हो छः महीने से ज्यादा की और वे पांच वर्ष के बाद खड़े हो सकते हैं तो मेरे खयाल से इतना प्रतिबन्ध होना आवश्यक है और उसको रहना चाहिये । खासतौर से जब हम देखते हैं आजकल कि हमें स्तर बढ़ाना है अपने सदस्यों का जो कि कारपोरेशन में जाकर काम करेंगे ।

दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि इन कारपोरेशन्स के जो अधिकारी होंगे और जो कर्मचारी होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा ? इसके संबंध में सेलेक्ट कमेटी के सामने भी मैंने अपने विचार कई दफा प्रकट किये थे । मेरा विचार है कि कारपोरेशन के स्टाफ और कर्मचारियों की नियुक्ति करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है । हम जिस तरह से देखते हैं कि नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की नियुक्तियों में धांधलेबाजी होती है और अनुपयुक्त स्टाफ एक्युमुलेट हो जाता है, उसको रोकने की आवश्यकता है और इस बात की आवश्यकता है कि केवल मेरिट के आधार पर भर्ती हो । दूसरे आधारों पर जो लोग पहुंच जाते हैं उनको रोका जाय और उनके प्रशासन को उच्चस्तर पर स्थापित किया जाय । तो मैंने इस सम्बन्ध में और भी महापालिकाओं के विधानों को देखा और यह पाया कि अधिकतर जो कमिश्नर होता है, प्रमुख अधिकारी, जो एक्जिक्यूटिव हेड है, उसकी नियुक्ति प्रायः सब जगह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है । एक जगह ऐसा उदाहरण मिलता है, शायद हैदराबाद में, जहां स्टेट गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर की नियुक्ति मेयर की सलाह से करती है, लेकिन अधिकतर दूसरी कारपोरेशन्स में कमिश्नर की भी नियुक्ति का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है और मेरा खयाल है वह किसी हद तक उपयुक्त भी है । अब प्रश्न आता है दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति करने का । अब सवाल यह होता है कि आया जो दूसरे अधिकारी नियुक्ति किये जायेंगे उनकी शक्ति किसके हाथ में होगी. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--विधेयक की किस धारा के सम्बन्ध में आप भाषण कर रहे हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव--जो पांचवां क्लाज है जिसमें धारा १०७ की उपधारा (४) को बदलने का प्रस्ताव किया गया है ।

श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी ।)

श्री उपाध्यक्ष--एक परम्परा यहां कायम हो रही है कि १ से २ के बीच में माननीय सदस्यों को कोरम की मांग नहीं करना चाहिये । लेकिन अब चूंकि सवाल उठ गया है, इसलिये मैं चाहूंगा कि कोरम होना चाहिये । अगर माननीय सदस्य इस परम्परा को नहीं चाहते तो फिर मुझे नियम के अनुसार करना पड़ेगा । क्या माननीय सदस्य उस परम्परा को स्थापित करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रूर्मसिंह--मैं मांग करता हूं कि कोरम पूरा होना चाहिये ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--मैं व्यवस्था यह चाहता हूं, श्रीमन्, कि इस हाउस में पहले भी एक कनवेशन बन चुका है कि इस टाइम के बीच में अगर कोरम न भी हो तो काम चलता रहे । तो उस व्यवस्था को फिर दोबारा. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--मैंने कहा कनवेशन तो सभी सदस्यों के एक मत होने से होता है । अगर कोई भी मेम्बर कोरम चाहेगा तो नियम की पाबन्दी होगी । या तो आपस में आप लोग राय कर लीजिये सबकी सुविधा के लिये कनवेशन बने । लेकिन मैं देख रहा हूं एक मेम्बर इस प्रश्न को उठा रहे हैं । तब तो मैं नियम के अनुसार कार्यवाही करूंगा ।

श्री रामेश्वरप्रसाद--इसी चेयर से इस किस्म की व्यवस्था हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष--चेयर को यह अधिकार नहीं है । यह कहा गया कि केवल एक कनवेंशन स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है । अगर आप नहीं मानते हैं तो संविधान में यह है कि कोरम अगर पूरा नहीं होगा तो कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मान्यवर, माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाय, यह भी एक परम्परा वे बना रहे हैं कि कोरम न हो तो बिल पास कर दिया जाय ।

(कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री देवकीनन्दन विभव--तो मैं यह कह रहा था कि हमें महापालिकाओं के प्रशासन का ढांचा बनाने का अधिकार किसके हाथ में देना है ? इसमें ठीक है कि कमिश्नर को नियुक्त स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिये । मेयर को केवल इतना अधिकार दिया गया है कि वह सहायक नगर अधिकारी और लेखा परीक्षक की नियुक्तियों के लिये लिख सकता है और स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से उनकी नियुक्तियां हो सकती हैं, परन्तु उसके बाद का जो ढांचा है वह अधिकतर म्युनिसिपल कमिश्नर और जो २ दूसरे अधिकारी होंगे महापालिका के, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है । मेरा खयाल यह था कि जनतंत्र की दृष्टि से इस परम्परा में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उसके लिये मैंने सेलेक्ट कमेटी में भी यह प्रस्ताव किया था कि एक नियुक्ति कमेटी का निर्माण होना चाहिये जिसमें मेयर रहे, महापालिका के अधिकारी रहें और एक प्रतिनिधि पब्लिक सर्विस कमीशन का रहे और वह सारी नियुक्तियां करे, केवल उन स्थानों को छोड़ कर जिनका वेतन सौ रुपये से कम हो, उनको म्युनिसिपल कमिश्नर पर छोड़ दिया जाय । इससे इसके ढांचे के सेटअप में अधिक जनतंत्रात्मक भावना का प्रवेश होगा । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

यह इतना बड़ा बिल है कि जिसमें ५७३ धारायें हैं और जो मेरे खयाल से इस प्रदेश का सबसे बड़ा विधायन है और दूसरी महापालिकाओं के लिये जो अधिनियम हैं उनकी तुलना में भी बड़ा है । तो इसमें सम्भव है कि समय-समय पर कुछ त्रुटियां आवें और उनके लिये हमें समय समय पर विचार करना ही पड़ेगा । सरकार ने पांच महानगरियों में नगरपालिकायें जो बहुत दिनों से सुपरसीडेड हैं उनमें चुनाव शीघ्र ही कराने की दृष्टि से जो शीघ्रता की इस विधेयक को पारित कराने में वह बात सही है, लेकिन मेरा विचार है कि शीघ्र ही सरकार को ऐसी एक कमेटी का निर्माण करना चाहिये जो सारे प्रश्नों को गम्भीरतापूर्वक देखे ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री देवकीनन्दन विभव से) आपका जो संशोधन है उसमें केवल यह लिखा है प्रवर समिति को यह सुपुर्द कर दिया जाय और आप उसके जरिये से परिधि बढ़ाने की बात नहीं कहते, लेकिन आपका भाषण परिधि बढ़ाने के सम्बन्ध में हो रहा है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं तो अब भी नहीं कह रहा हूं कि इसकी परिधि बढ़ाई जाय । मैं तो यह कह रहा हूं कि जो प्रवर समिति अब नियुक्ति की जाय वह इन सारी बातों को देखे मैं तो सरकार को एक सुझाव देता हूं कि किसी और तिथि को जब सरकार उपयुक्त समझे एक कमेटी का निर्माण करे जो कि इन सारी कठिनाइयों को देखे और देखकर उपयुक्त संशोधन करे । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--मैं, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जिसे अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

परिधि भी विस्तृत करने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन १० दिन के अन्दर प्रस्तुत कर देवे।" श्रीमन्, अभी आपने हमारे माननीय सदस्य विभव जी के संशोधनात्मक प्रस्ताव पर भाषण सुना और उसी में थोड़ा सा संशोधन करते हुए मेरा संशोधन है जो यह चाहता है कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाय और उसे अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। मैं आपका ध्यान महापालिका विधेयक के इतिहास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह नगर महापालिका विधेयक उन महापालिकाओं के सम्बन्ध में लाया गया है जो ७, ८ साल से बिना निर्वाचित किये हुये चल रही हैं। यह विधेयक अपना महत्व रखता है और हमारे इस विधान मंडल के सामने आया है। साथ ही साथ इसका एक दुखद इतिहास भी है।

यह महापालिका विधेयक हमारे सदन में उस समय आया जब कि पिछले सितम्बर माह में विरोधी पक्ष के कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं थे और उसका परिणाम यह हुआ कि बिना इसकी समीक्षा किये हुए एकांगी रूप से यह पारित किया गया और पारित होने के बाद अब हमारे सामने इसकी त्रुटियां दिखाई देने लगी हैं और संशोधन करने की प्रस्तावना लेकर फिर यह विधेयक आया है। इसलिये यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस महापालिका विधेयक में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिये आवश्यक है कि यह सदन इसका सिंहावलोकन करे और साथ-साथ यह प्रस्तावना रखे कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय, तो यह कोई अनुचित बात नहीं होगी। हमें विश्वास है कि यह विधेयक बहुत आवश्यक है और महापालिका की रचना तुरन्त होनी चाहिये, लेकिन त्रुटिपूर्ण विधेयक के साथ न तो महापालिका की रचना उचित रूप से हो सकेगी, न शासन ठीक से हो सकेगा और न जनता का लाभ हो सकेगा। अतः विधेयक ऐसा बने जिसमें जनतंत्रात्मक विचार सन्निहित हों और जिसमें त्रुटियां न रह जायं। परिधि बढ़ा कर मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के सर्वांग हिस्सों को भी देखा जाय और जितनी त्रुटियां हैं उनको भी दूर किया जाय। इसकी दुरुस्ती की अवधि १० दिन के लिये दी गयी थी जिसका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि हम इस पक्ष में हैं कि चुनाव शीघ्र ही समाप्त किये जायं और हम नहीं चाहते कि सरकार इसके चुनाव टालती रहे और अनेक निरंकुश एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त करके अपनी नीति के मुताबिक शासन चलाती रहे। हम इसके विरोधी हैं और जनतंत्रात्मक प्रणाली के पक्ष में हैं। हम नहीं चाहते कि निरंकुश एडमिनिस्ट्रेटर्स का शासन रहे जो अनेकों वर्षों से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब किंचित् मात्र एक सैकिंड भी देरी हम नहीं चाहते इसके चुनाव में, लेकिन यह भी चाहते हैं कि जो विधेयक बने वह निर्दोष बने। इस सम्बन्ध में हमें कोई विचार-विमर्श का मौका नहीं दिया गया और इस दफा भी अगर ऐसा ही किया गया तो हम बाधित होकर यह कहना चाहते हैं कि आगे चल कर इस विधेयक की अनेक रूप से छीछालेदर होगी और इसकी त्रुटियां उभड़-उभड़ कर सामने आयेंगी।

मैं कुछ प्रमुख त्रुटियां, आपकी आज्ञा से, इस विधेयक के सम्बन्ध में रखूंगा। उपमंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनको याद दिलाऊं कि जब यह विधेयक पिछली प्रवर समिति के सुपुर्द था उस समय भी विरोधी पक्ष के प्रतिनिधियों के बार-बार अनेकों संशोधनों द्वारा बहुत सी उचित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया था, लेकिन जैसे हर जगह बहुमत कारगर होता है उस प्रवर समिति में भी वह कारगर हुआ और विरोधी पक्ष के उचित संशोधनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सम्भव है कि आज भी उसी प्रकार की अड़चनें पैदा हों। आज जो संशोधन उपमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित हुये हैं इनके बहुत कुछ अंशों को हमने उसी समय प्रस्तुत किया था लेकिन उस समय उनका मूल्यांकन न किया गया। आज उनमें से बहुत सी बातों को सरकार स्वीकारोक्ति रूप में ला रही है और चाहती है कि इसमें परिवर्तन हो। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। मैं इस रूप में तो कहूंगा कि कुछ उनके सुझाव उचित हैं, लेकिन मेरा तो यह कहना है कि इस विधेयक में कुछ मौलिक त्रुटियां हैं जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाने का प्रयत्न करूंगा।

ये जो महापालिकायें निर्मित की जा रही हैं ये प्रजातांत्रिक तरीके के ठीक विरुद्ध हैं, अप्रजातांत्रिक हैं। देखने को इसमें चुनाव होंगे, देखने को इसमें सदस्य होंगे, लेकिन सारा संचालन सरकार के भेजे हुये अधिकारियों द्वारा ही होगा और वे अधिकारी चाहे नगराधिकारी कहे जायं, चाहे परमाधिकारी कहे जायं, वे सर्वाधिकारी होंगे और उनकी निरंकुशता को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके अधिकारों की सीमा की कोई परिधि नहीं है। जब हम महापालिकायें बना रहे हैं तो नगरपतियों को हम क्यों वंचित रखें और क्यों उनके हर काम में दखल देने के लिये नगराधिकारी नाम के सदस्य या अधिकारी सरकार की ओर से भेजे जायं? मैं एक एक धारा को लूंगा और बताऊंगा कि नगराधिकारी, स्वास्थ्याधिकारी, लेखा परीक्षक, आदि जो अधिकारी हैं वे एक प्रकार की सीक्रेट डेलीगेटेड पर्सनालिटीज हैं जिनका काम ही है कि वे अपनी लिक गवर्नमेंट से रख कर उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स में भी आये दिन अपनी टांग अड़ाते रहें।

जहां तक शासन की बात है, हमारी प्रसिद्ध खेर कमेटी मौजूद है जिसने आधारभूत बहुत सी बातें रखीं कि इसमें जितने सेवक हों वे एक प्रकार के स्वतंत्र सेवक हों और उनका निरीक्षण जनता के चुने हुये सदस्यों द्वारा ही हो, न कि सेवाओं का सम्पर्क सरकार से सीधा हो, न कि नौकर हमारे हों, लेकिन उनकी सारी नकेल किसी दूसरे के हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष—जैसा आप ने कहा कि संक्षेप में ही आपको कहना है तो थोड़ा समय कम लें। इशारा कर दें जहां तक परिधि बढ़ाने का सवाल है और जो मुख्य संशोधन है उस पर विशेष रूप से कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं तो नहीं कह सकता कि अपनी बात कितने सीमित शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन आप देखें कि यह संशोधन उस विधेयक के सम्बन्ध में है जिसमें ५८० दफायें हैं और यह संशोधन सरकार के द्वारा लाया गया है। सरकार इस बात को मानती है कि इसमें त्रुटियां हैं, लेकिन यह नहीं मानती है कि इस में महान् त्रुटियां हैं। अब उन महान् त्रुटियों को दिखाना हमारा कर्त्तव्य है और हम चाहते हैं कि कुछ ठंडे दिल से बात कहने का हमें मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप ने विधेयक की परिधि बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव रखा, इसलिए जो संशोधन सरकार की तरफ से उपस्थित किये गये उन पर बोलने का हक तो आपको है, लेकिन अगर उनमें से एक एक बात को विस्तृत वर्णन करना आप शुरू करेंगे तो मैं उस की इजाजत नहीं दूंगा। क्या क्या त्रुटियां हैं उसका सारांश बताते चले जायं कि मेरी राय यह है। लेकिन मान लिया जाय कि आप के १०० प्वाइन्ट्स हैं और एक एक प्वाइन्ट पर पांच-पांच मिनट आपको बोलने दिया जाय तो वह नियमानुकूल नहीं होगा। इसलिए परिधि बढ़ाने के बारे में आप सारांश में कहें और जो मुख्य अमेंडिंग बिल है, उस पर आप विस्तार से चर्चा करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो यह कहा कि १०० चीजें ऐसी हो सकती हैं। मैं कह सकता हूं कि इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। यह हो सकता है कि आप उसके लिए समय बांध दें उसी में हम कह लेंगे, लेकिन मेरी आवश्यकता ज्यादा हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप सारांश में बता दें कि वे त्रुटियां हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—बहुत अच्छा, श्रीमन्, आप देखें कि नगराधिकारी की बात कही गयी है। वह इसका एक मुख्य अंग है और इसके सम्बन्ध में सरकार भी एक संशोधन ला रही है। वैसे मैंने कोई अलहदा बात नहीं कही। आप यह भी देखें कि महापालिका की रचना में जो अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग होगा वह एक विशेष स्थान रखता है और जिसके असर से नगरपालिका सफल होंगी या असफल होंगी।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हमारे सामने यह भी एक प्रश्न आता है कि किस उद्देश्य से हम नगरपालिकाओं की रचना करने जा रहे हैं कि हमारी जनता को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हों, लेकिन अगर यह चीज महसूस होने लगे कि इस जनतंत्र में हमारी जनता के अधिकार घट जायंगे तो हम अपने पवित्र उद्देश्य को पूरा करने से वंचित रह जायंगे। इसलिए हमें, श्रीमन्, सतर्क होना पड़ेगा और हमें अपना कदम पीछे हटाना पड़ेगा, और नियमों को बदलना होगा जिससे हम बिगड़ी हुई चीज को सुधार सकें। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि हमारे नगरपालिका विधेयक में जो संशोधन उपस्थित हैं उन में सरकार की तरफ से सोते हुए रीछ को जगा दिया गया है, जो हम समझते थे कि बड़ी विवादपूर्ण चीज है, उसको सरकार ने और भी विवाद में लाकर रख दिया है जिससे हम बाध्य हो जायं, क्योंकि आज यह महापालिकायें महत्वपूर्ण बन गयी हैं। इनके निर्माण में हम देखते हैं कि नगराधिकारी और उपनगराधिकारी होंगे। वहां पदाधिकारियों का जो निर्माण है वह बिलकुल एक नयी चीज है और न केवल एक नयी चीज है, बल्कि हमारे आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है। जब इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमें कहना पड़ता है कि सरकार अपने तरीके से इनका निर्माण करने जा रही है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एक्वीजीशन के बारे में महापालिकाओं का रूप है उसके बारे में एक सीमा तक ही इनको अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन जो अधिकार दिये गये हैं वे भी एक नये ढंग के हैं। उनके सम्बन्ध में हमें देखना है कि जनता के हित में उनका उपयोग किया जायगा अथवा अन्य रूप में किया जायगा। श्रीमन्, खंड (२) में कहा गया है कि "तदर्थ निश्चित करे" और कोर कोलन के बीच में शब्द "और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं"। श्रीमन्, अगर सरकार का ध्यान इधर नहीं जाता है तो हमें कहना पड़ता है कि सरकार अपने आगे दूसरे की बात सुनना नहीं चाहती है। हमने इस बात को कहा था आप एक निश्चित चीज लायें। भिन्न-भिन्न स्थानों पर कौन अवस्था कब आयेगी इस पर आप ने ध्यान नहीं दिया। आज सौभाग्य है सरकार का ध्यान कुछ उस तरफ जा रहा है, लेकिन दूसरे शब्दों में दूसरी तरह से आप देखें यहां पर जो संशोधन लाये गये हैं उन में मूल मूल तीन चार संशोधन कहे गये हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा तीन चार चाहे सरकार कबूल करती हो लेकिन वे हैं संशोधन ऐसे जो बताते हैं कि इस अधिनियम में अनेकों पोलें हैं, अनेक लूपहोल्स हैं, होल्स हैं और उन होल्स को फिलप करना सरकार का कर्त्तव्य है। पहले ही हमसे कहा गया है—यह दफा २५ क्वालिफिकेशन्स के बारे में है। मैं आप की आज्ञा से उसके शीर्षक को पढ़ता हूं। "कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, विशिष्ट सदस्य सभासद् अथवा चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा यदि —यानी उसका हर एक आदमी क्वालिफाइड है यदि वह इन चीजों में जो क्वालिफिकेशन दफा २४ में गिनायी गयी है उस में नहीं आता है।" इसमें सरकार कुछ माडिफिकेशन कर रही है। अब आप देखें कि यह माडिफिकेशन किस तरह से किया जा रहा है। मूल अधिनियम में दफा इस प्रकार थी—'उसे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी सिद्ध किया गया हो, तथा उसे छः महीने से अन्यून अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गयी हो।" अब इस सम्बन्ध में सरकार यह चाहती है कि यह सजा की अवधि दो वर्ष तक की हो और उसी प्रकार से छूटने की अवधि पांच वर्ष की या उससे कम अवधि बतायी गयी है। इसमें लिखा गया है कि जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे। अब दोनों ही चीजें ध्यान देने लायक हैं।

आप देखें प्रवर समिति में यह बात रखी गयी थी जो कि छः महीने की सजा की बात है, इसमें यह कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध पड़ सकता है। या तो सरकार इसको साफ कर दे या आज मैं फिर दोहराता हूं कि इसमें सरकार ने अपनी गलती को यद्यपि महसूस तो किया और देखा कि छः महीने की सजा से कोई आदमी डिबार होता है चाहे वह किसी

शासनारूढ़ पोलिटिकल पार्टी का ही क्यों न हो, इसलिए उससे तो एक्जेम्प्शन देकर उसको डिस्क्वालिफाइड होने से बचा लिया जाय। उस रूप में तो सरकार इसको लाना चाहती है लेकिन हम चाहते हैं कि यह चीज किसी पोलिटिकल वायस पर हो ही न। यह हो कि कोई व्यक्ति एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, के लिए भी जेल गया हुआ हो लेकिन अगर पोलिटिकल ग्राउन्ड पर है तो उसे डिस्क्वालिफाई न करें। अगर आप का दिल साफ है तो आप साफ बात करें। हां, अगर आप यह चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो मारेल टर्पीच्यूड में एक दिन की भी सजा पाये हुए हो तो उसको डिबार किया जाय, लेकिन जब कोई शख्स राजनीतिक आधार पर जेल गया हो, चाहे वह कितना बड़े से बड़ा कार्य किये हुए हो, चाहे वह भूल से ही आप की निगाह में आ गया हो, ३०७ में सजा पा चुका हो, लेकिन राजनीतिक आधार पर है तो उसको आप डिबार न करें। ऐसी हमारी व्याख्या इसकी है। यह बड़ी आधारभूत चीज है। आज जब कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक तरीके और पार्टियां हैं और वे पार्टियां कोशिश कर रही हैं सरकार के बदलने की, इसमें हम कुछ छिपाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार को बदलें . . .

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी)।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे इस बात का अफसोस है कि सरकार को बार-बार चेतावनी देनी पड़ती है कोरम के लिए। अब यह दूसरा मौका है और अगर इसके बाद भी कोरम की कमी हुई तो मुझे इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि मैं हाउस को मुल्तवी कर दूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—मान्यवर, यह जानकारी चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था रही है कि एक और दो के बीच में कोरम के लिए आपत्ति नहीं की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—बैठें आप, अभी शायद आप उस वक्त थे नहीं। विधान में यह लिखा है कि जब तक कोरम पूरा न हो तब तक सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती। उसके लिए मैं मजबूर हूं। परम्परा कायम करने में आपसी मेल जोल से यह बात हो सकती है कि मेरा ध्यान आकृष्ट न किया जाय। तो फिर उस समय भी कार्यवाही चलती रहेगी, लेकिन मेरी नोटिस में जब ला दिया जायगा तो मैं विधान के परिच्छेद की पाबन्दी करूंगा। परम्परा तो आपसी मेल जोल और सहयोग से बन सकती है, लेकिन कोई भी सदस्य कोरम का प्रश्न उठायेगा तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मुझे इस सदन में कोरम के लिए आग्रह करना पड़ेगा। यह लोक सभा में ऐसी परम्परा है। लेकिन व्यवस्था और परम्परा में अन्तर समझ लें आप।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दूं कि सम्बन्धित जो विषय है स्वायत्त शासन का न उसके, श्रीमन्, मन्त्री जी हैं, न उप मन्त्री जी हैं, न कोई है। खानापुरी के लिए कुछ हैं सज्जन, मैं उनका स्वागत करता हूं। पता नहीं कि वे मेरी बात को . .

श्री धर्मसिंह—नोट मैं कर रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—नोट आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठे हैं। इतना ही बहुत है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं कि अभी हाल में इस सम्बन्ध में बड़ी सख्त रूलिंग हुई है लोक सभा में और बम्बई में, अच्छी डांटें पड़ी हैं। यद्यपि हमारे यहां के मन्त्री जी बड़े ही संभ्रांत हैं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह के शब्द कहें, वे स्वयं समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन जो न समझे उसके लिए क्या कहा जाय। मैं यह कहने जा रहा था कि यह जो अवधि छः महीने से २ साल की रक्खी गयी है इसके कुछ कारण हैं और वह कारण सरकार के पास जैसे भी हों, हम जैसा महसूस करते हैं हमने आपके सामने रखा और यह हम ने बताने की कोशिश की कि इसमें यह हो सकता है कि कुछ पोलिटिकल

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

पार्टीज में डिफरेन्शियेट करके काम करना चाहते हैं। उसको इस प्रकार से लाना चाहिए था कि जिस प्रकार से मैंने रखा, लेकिन इसके साथ एक थोड़ी सी चीज बिच्छू का डंक लगा हुआ है कि जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे दे . . .

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है। आप ने अभी रूलिंग दी है। अगर ऐसे ही रहा तो जो परम्परा कायम करने की बात करते हैं उसमें एक आदमी इधर बैठा रहेगा दो आदमी उधर बैठे रहेंगे और सदन चलता रहेगा।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी।)

श्री उपाध्यक्ष—यह बात साफ है कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है कोरम के लिये बनिस्बत विरोधी दल के।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोरम का प्रश्न विधान और परम्परा के अन्दर है। लेकिन जो परम्परा पड़ती है वह तो, श्रीमन्, आपकी अनुमति से ही चल सकती है। आज तक यह परम्परा रही है कि लंच के समय एक घंटे के लिये कोरम के लिये कोई विरोधी दल के लोग ध्यान आकृष्ट नहीं करते थे। आज उस परम्परा को छोड़ा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं भी अपील करूं कि यह परम्परा कायम की जाय।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—यह शायद इसलिये हो रहा है कि तकरीर करने वाले के अलावा दूसरा शख्स उनकी तकरीर को समझने से मजबूर है। किसी की समझ में न आने की वजह से यह कोरम नहीं हो रहा है।

(कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह कह रहा था कि इसमें जो अनर्हता के लिये विशेष परिवर्तन किया गया है वह परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही जो एक डंक रखा गया है कि यदि ५ साल उस सजा पाये को न भी गुजरा हो तो सरकार की अनुमति से वह रियायत मिल सकती है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह रियायत क्या किसी हालत में उस पक्ष के लोगों को मिल सकती है, जो राजनीतिक विभिन्नता रखते होंगे? क्या सरकार किसी दशा में भी अपने विरोधियों को किसी रूप में बैक डोर से आने देना चाहेगी? इस कारण मुझे यह सन्देह पैदा होता है कि सरकार अपने हाथ में कुछ शक्ति लेना चाहती है। जिस विषय पर यहां पर एक मत रहता है उसको सरकार इसमें नहीं रखती है। सरकार अपने लाभ के लिये बात अधिक सोचती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। इसलिये आप इस पुनरावृत्ति दोष से बचने का प्रयत्न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आप यह भी देखें कि मेरी बात के बीच में जो ब्रेक हो जाता है कोरम न होने की वजह से तो कंटीनुएटी नहीं रहती। फिर पीछे की पूंछ पकड़ने की जरूरत हो जाती है, उसके बिना चला नहीं जा सकता, तो वाक्य का आखिरी हिस्सा पकड़ना ही पड़ता है।

तो यह क्वालिफिकेशन मेम्बर्स के चुनाव के सम्बन्ध में जो हमारे सामने आयी उसके सम्बन्ध में कोई विशेष त्रुटि सरकार ने इस विधेयक में नहीं पायी और १०७ दफा तक पहुंच गये हैं। इस बीच के हिस्से में अनेक चीजें कहने योग्य हैं, परन्तु आपकी आज्ञा नहीं है,

इसलिए नहीं कहूंगा। ऐसी अनेक बातें हैं, जैसे आप देखेंगे कि नगर महापालिकाओं के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनके सम्बन्ध में एक विशेषता यह है कि अध्यक्ष के पास तो पावर्स कम हैं और उपाध्यक्ष के पास ज्यादा हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि उपाध्यक्ष एक ऐसा आदमी हो सकता है जिस पर असर पड़ सकता है और अध्यक्ष पर नहीं पड़ सकता है, इसलिये उसको अधिकार न देने की बात सरकार ने सोची है। साथ ही इन नगर महापालिकाओं को चलाने के लिए एक कार्यकारिणी समिति है, उसमें १२ सदस्य हैं और आगे चल कर देखें कि दफा १५ में संशोधन है जो कि कार्यकारिणी पर बहुत असर डालने वाला है। तो मैंने इसका उल्लेख आपके सामने किया। आगे चल कर खंड ५ में बताया है कि यह कार्यकारिणी जो चुनाव करायेगी उप-नगराधिकारी के या अन्य अधिकारियों के उसमें उसका इस प्रकार से हाथ होगा साथ में दो मुकर्रर किये हुए अन्य पदाधिकारी होंगे। मैं थोड़ी सूचना दे दूं कि इस कार्यकारिणी का एक चेयरमैन होगा और १२ सदस्य होंगे और उसके आधे आदमी प्रत्येक साल में रिटायर होकर जायंगे और इस प्रकार से वह एक दो साल में नयी निर्मित होती जायगी और एक प्रकार से कैबिनेट टाइप की होगी, सर्वाधिकार संपन्न होगी, लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी यह कार्यकारिणी अपने इम्पार्टेंट एम्पलाईज़ यानी प्राधिकारियों के चुनाव में अपने अधिकारों को सीमित पाती है। मैं आपकी आज्ञा से यह बतला दूं, क्योंकि किसी सदस्य के पास यह कानून नहीं था, लाइब्रेरी में दो ही प्रतियां थीं, तीसरी किसी के पास नहीं है, हाथ में हथियार नहीं है तो लड़ाई में जाकर कोई क्या कर सकता है? अग्रवाल जी दिखा रहे हैं, वह धनी-मानी हैं, वे मंगा सकते हैं। तो दफा ५८ में लिखा हुआ है कि मुख्य नगराधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कराया जायगा। यह तो वास्तव में सरकार का ही आदमी होगा, उसके साथ प्रतिबन्ध है कि राज्य सेवा के अलावा कहीं हो तो लोक सेवा आयोग में भेजा जाय, कम्पटीशन में आ जाय, इत्यादि, लेकिन वह होगा सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ आदमी और होल टाइम डेलीगेटेड पावर्स उसको होंगी और सरकार द्वारा ही वह निकाला जा सकता है। लेकिन उप-नगराधिकारी या अन्य एप्वाइंटमेंट्स में भी सरकार का हाथ रहेगा। तैयारी है कि ऐसा न हो कि यह नगराधिकारी तो रहे, लेकिन....

श्री उग्रसेन--सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री उपाध्यक्ष--मैं सदन का ध्यान संविधान में जो व्यवस्था है उस ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद १८९ की धारा (४) इस प्रकार है :--

> "यदि राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाय।"

चार मर्तबे कोरम का प्रश्न मेरे सामने आ चुका है ऐसी दशा में मैं इस समय सदन को सवा दो बजे तक मुल्तवी कर दे रहा हूं और उसके बाद अगर कोरम नहीं होगा तो आगे कार्यवाही की जायगी।

(इस समय १ बज कर ४६ मिनट पर सदन स्थगित किया गया और २ बज कर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ५ के सम्बन्ध में यह बता रहा था कि नगर महापालिका के पदाधिकारियों का चुनाव करने का कार्यकारिणी को अधिकार होगा और यह कार्यकारिणी दो पदाधिकारी भी उनमें रखेगी। महापालिका में विशेषतौर से कुछ ऐसे पदाधिकारी रखे गये हैं जिनका निर्वाचन कुछ विशेष दशा में भी होता है। एक तो उप-नगराधिकारी, दूसरे सहायक नगराधिकारी, तीसरे नगर अभियंता, चौथे नगर स्वास्थ्य

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अधिकारी, पांचवें मुख्य नगर लेखा परीक्षक और छठा है अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी वर्ग। इन सभी की नियुक्ति के संबंध में अलग-अलग नियम हैं। इसकी उपधारा में जो दिया है, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्तियों के संबंध में जो उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा महापालिका के दो और पदाधिकारी होंगे जिनको कार्यकारिणी समिति नामोद्दिष्ट करेगी और इस समिति का सभापति मुख्य नगर लेखा परीक्षक होगा।" अब इसमें सरकार परिवर्तन करके यह चाहती है कि मुख्य नगर अधिकारी भी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के संबंध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्य नगराधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, सभापति के रूप में होंगे और उसके आगे सरकार चाहती है कि महापालिका के दो और पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी समिति नामोद्दिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगे। नियुक्ति के संबंध में चुनाव समिति को अधिकार है कि २०० रुपये मासिक से अन्यून प्रारम्भिक वेतन वाले अन्य पदों पर नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से विहित रीति के अनुसार की जायगी। इसके साथ साथ और नियुक्तियों के लिये और विशेष रूप से नगर स्वास्थ्य अधिकारी के लिये रखा गया है कि उसकी नियुक्ति होने के पहले सरकार द्वारा जो डेपूटेशन पर भेजा जाय, जहां तक हो सके उनमें से हो तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनावश्यक होगा।

श्री उपाध्यक्ष--आप विचाराधीन विषय से बाहर जा रहे हैं। इतनी तफसील में जाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। सवाल यह है कि जो संशोधन पेश हैं उन्हीं से संबंधित बातें आप कह सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरे सिर्फ आपके द्वारा यह कहना था कि पहले नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ नियुक्ति की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसके साथ साथ व्यवस्था की जा रही है और दूसरे अधिकारियों के चुनने में भी नगर अधिकारी सम्मिलित होगा यद्यपि जब उनका चुनाव होगा तो २ सदस्य और भी होंगे। लेकिन मुख्य चीज यह देखनी है कि नगर अधिकारी गवर्नमेंट का चुना हुआ होगा और जब उप-नगर-अधिकारी चुना जायगा तो उसके चुनने में भी उसका होना जरूरी होगा यद्यपि उसके हाथ में दो आदमी नगर महापालिका के और होंगे। यह एक विचित्र व्यवस्था है। अभी तक हमारी पार्टी की तरफ के सज्जन जनतांत्रिक तरीकों से सोचते आये हैं और विकेन्द्रीकरण की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सारी शक्ति जाय। लेकिन अब जो नगरमहापालिका बनायी जा रही है उनमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वह नगर अधिकारी होगा। अगर वह हो तो भी ठीक, लेकिन जब उप-नगर अधिकारी का चुनाव होगा तो वह गवर्नमेंट का भेजा हुआ व्यक्ति उसमें बैठेगा। इस प्रकार एक प्रकार से जितने भी मुख्य मुख्य अधिकारी हैं उनके एप्वाइन्टमेंट्स में गवर्नमेंट की टांग अड़ी हुई है। इसी आदमी के द्वारा उन सब अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी। यह चीज जनतंत्र प्रणाली के ठीक उल्टी है, विकेन्द्रीकरण के ठीक उल्टी है। अभी तक तो मंशा केवल यह थी कि जो भी स्पेशलिस्ट्स हैं जैसे नगर अभियन्ता हैं, स्वास्थ्य अधिकारी है, नगर लेखा परीक्षक हैं, उनका चयन स्पेशल प्रकाशन के द्वारा हो, उनके चयन में एक्सपर्ट राय ली जाय, यह तो ठीक है, लेकिन अगर उप नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी के चुनाव में भी इस प्रकार की बात हम सोचने लग जायं तो इससे साफ यह मालूम पड़ता है कि इस प्रकार से सरकार अपने आदमियों को रखने की कोशिश में है। उसके चुनाव के लिये नगर अधिकारी सभापति की जगह बैठेगा यद्यपि दो अधिकारी और सदस्य के रूप में बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--यह बात आप तीन बार कह चुके हैं। अब आप सावधानी से भाषण करें। मैं बार-बार रिपीटीशन की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने भाषण में जो बार-बार दुहरा रहे हैं, उससे समय खराब कर रहे हैं। ऐसी हालत में अध्यक्ष को अधिकार है कि वह निवेदन करे कि अपना भाषण वे समाप्त करें। यह नौबत न आये इसलिये आप सावधानी से भाषण करें। आप नियमानुकूल ही भाषण करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यदि मेरे प्रति यही भावना रही कि मैं समय बरबाद कर रहा हूं तो अच्छा है मैं पहले आपकी आज्ञा लेकर बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो ऐसा भान हो रहा है। अभी मैं निश्चित रूप से ऐसी राय कायम नहीं कर पाया हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर ऐसा ही आइडिया बन गया है.....

श्री उपाध्यक्ष—आइडिया बना नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे तो आप से बहुत आशा है कि विशेषरूप से थोड़ी बहुत विरोधी पक्ष की दिक्कतों को आप ध्यान में रखेंगे.....।

श्री रामस्वरूप यादव—उप नगर महापालिका अधिकारी का एप्वाइंटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श से ही होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन सेलेक्शन आप पहले कर लेंगे, परामर्श बाद में लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसी कुछ बातें कही जायं जिनका कोई आधार न हो तो माननीय मंत्री जी को उस तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं मंत्री जी की बात को समझ रहा हूं। यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श लिया जायगा, लेकिन वह किस स्टेज पर लिया जायगा, वह स्टेज बाद में पैदा होती है। सौभाग्य से जितना माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को देखा है उतना ही मैंने भी इसे देखा है। अब, श्रीमन, आप इसको देखें कि खंड ५ में जो इम्प्रूवमेंट है वह डेरोगेटरी है, यहां पर प्रजातांत्रिक तरीका नहीं बरता जा रहा है। रूल ६ में यद्यपि कुछ शाब्दिक हेर-फेर हुआ है जिसके संबंध में बाद में जब चर्चा आयेगी तो मैं आपकी आज्ञा से संशोधन रखूंगा; लेकिन इस मूल खंड ६ के उपखंड (३) में है कि खंड (ख) में शब्द "प्राधिकारी के" तथा "समस्त" के बीच में शब्द "नगर में सम्मिलित क्षेत्र के संबंध में" रख दिये जायं। अगर मैं अपनी बातें पूरी तरह से न कहूं तो सदन के सदस्यों को समझा नहीं पाऊंगा। अतः आप यह देखें कि इसमें जो १, २ को समाविष्ट करने की बात कही जाती है उसको कहां से लाया गया है? मूल अधिनियम की धारा १२६ की उपधारा (१) में है "नियत दिनांक से—'(क) समस्त संपत्ति और संपत्ति में स्वत्व और नकदी रोकड़ सहित आस्तियां चाहे वह कहीं भी हों, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले किसी म्युनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में जो नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के लिये स्थापित हो, अथवा ऐसे क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों ही जगह क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित थीं, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे नगर की महापालिका में निहित हो जायेंगी और उसके अधिकार में रहेंगी।" इसमें राज्य सरकार के लिये थोड़ा सा अंकुश है कि जब तक वह निर्देश न दे तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से काम नहीं चलेगा। मैं पूछता हूं कि सरकार ने विरोधी पक्ष के लोगों से भी इस संबंध में कभी कोई राय मांगी है? सरकार को चाहिये कि वह विरोधी पक्ष के लोगों को अपने विश्वास में लेकर इस तरह का निर्देश दे तो खंड (ख) में परिवर्तन किया जा सकता था। उसमें है कि आगे

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

चल कर समस्त अधिकार नगरपालिका में व्यस्त हो जायंगे जैसे कि आजकल ऐडमिनिस्ट्रेटर में हैं। तो नगरपालिका के संबंध में जैसा कि कहा गया है यह उचित ही है। . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित है तो इसके आधार पर इसे प्रवर समिति में भेजने की गुंजायश नहीं है। जो बात आपके खिलाफ जाती है उसका उल्लेख आप अनावश्यक ढंग से क्यों करते ही हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह भी हम पर लांछन किया जाता है कि टाइम पास करने के लिए और विरोध के लिए विरोध करने के लिए हम यहां बात करते हैं। तो वह बात नहीं है, जो बात बुद्धि की होती है उसे हम स्वीकार भी करते हैं, और इसलिए उसको हम ठीक कहते हैं कि बाद में न कहा जाय कि आप किसी बात को पसन्द नहीं करते और विरोध के लिए विरोध किया करते हैं।

अब मैं दफा ७ के सम्बन्ध में बात न कहकर दफा ८ पर आता हूं। यह मूल ऐक्ट की दफा ५८० के बारे में है और यह उन कठिनाइयों को दूर करने के बारे में है "यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधान को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल आज्ञा देकर यह निर्देश कर सकती है कि यह अधिनियम नियत दिन के पश्चात् १२ महीनों तक ऐसे अनुकूलनों सहित चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों प्रभावी होगा जो आवश्यक तथा इष्टकर समझे जायं।"

तो पहले जो शब्द थे उनको हटा कर "उस अवधि में जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय किन्तु जो इस धारा के प्रवर्तित होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के आगे तक न हो" रखे जा रहे हैं। तो आप देखें कि १२ मास के स्थान पर दो साल रखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद हम एक लम्बी छूट नहीं देना चाहते। इससे मालूम होता है कि सरकार खर्राटे की नींद सोना चाहती है लेकिन हम उसे खर्राटे की नींद नहीं सोने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह सचेत रहे। उसका कर्त्तव्य है, वह सचेत रहे। वह १२ मास की जगह २४ मास रख रही है कि उस अवधि में आज्ञा निर्दिष्ट की जाय, किसी किसी में आज्ञायें कमोबेश भी हो सकती हैं, ऐसा अधिकार दिया जा रहा है। यह ५८० एक आवश्यक दफा है, इसके द्वारा इसे कार्यान्वित करने में अगर सरकार को कोई दिक्कत हो तो उसके लिए यह अधिकार लिया जा रहा है। उसमें सरकार को जितनी लम्बी छूट रहेगी वह उतनी ही लापरवाही करेगी और जितनी कम छूट हम देंगे वह उतनी ही सचेष्ट रहेगी। इस सम्बन्ध में हम सरकार को अधिकार देना उचित नहीं समझते यही हमारी अनुमति है।

इसके आगे दफा ५८१ में "यू०पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम १९५३" बढ़ाया जा रहा है। इसके बढ़ाने की जरूरत मन्त्री जी ने बतायी कि यह देखा गया कि इन नगर महापालिकाओं के परिसीमन में ऐसे भी क्षेत्र शामिल हो गये हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इस अधिनियम के अनुसार लोगों को एतराज करने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी है कि लोगों को इसका मौका नहीं मिला। नगर महापालिकाओं के चुनावों के पहले ही कुछ ऐसे क्षेत्र उनकी सीमाओं में आ गये और उन पर टैक्स बढ़ाने के नोटिस भी सर्व हो गये और वहां के लोगों ने नगर महापालिका बनने के पहले ही उसके स्वाद को जान लिया। मैं अपने हलके की बात जानता हूं कि कानपुर महापालिका बनने के पहले ही उन क्षेत्रों में हाउस टैक्स के नोटिस दिये गये हैं और अब उसकी वसूली की भी तैयारियां होने लगी हैं। यद्यपि अभी चुनाव मई, जून में होंगे और उनके द्वारा टैक्स बढ़ाये जाने की सम्भावना है और आने वाली विपत्ति पहले ही अपना आना बता देती है और उस अंग्रेजी कहावत के अनुसार कमिंग ईवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर (coming events cast their shadows before), आने वाले चुनाव से पहले ही टैक्सेज की

भरमार होने लगी है। इसका कारण यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के भाग जो लिये गये हैं वे बिना वहां के रहने वालों की राय के लिये गये हैं। यह जो जिला बोर्ड ऐक्ट के अनुसार अधिकार लिया जा रहा है इसका दुष्परिणाम पहले से ही हो रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग समझते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अगर ध्यान दें तो इसमें यह है कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट तथा और कुछ ऐक्ट हैं, इनके साथ ही साथ यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, १९५३ को भी जोड़ दिया जाय। मतलब यह कि यह भी रिपील समझे जायंगे। तो एरिया बढ़ने का प्रश्न कैसे उठता है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, रिपील करने से ही उन ग्राम्य-क्षेत्रों के अधिकार अब उनसे वंचित हो रहे हैं, नहीं तो सुरक्षित हैं। उनकी जो कठिनाई है मैंने स्वयं देखी है और अनेक रिप्रेजेन्टेशन मन्त्री जी के पास भेजे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। यह दिक्कत है लोगों की कि उनके वह ग्राम्य-क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट के मुताबिक थे वे अब हरण हो रहे हैं। उनके अन्दर भय घुस गया है कि इससे जो सुधार होगा वह तो पीछे रहा, उनकी पुरानी जमीनें जिन पर पुश्तैनी हक था वे छिन जायगी। वह फैक्टरी आदि के अन्दर आ जायंगी और खेती का काम चला जायगा। इस भय को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं है।

इसके बाद कुछ परिवर्तन जो आखिर में खंड १० में किया गया है उसमें ऐक्वीजीशन के अधिकार सरकार ने ले रक्खे हैं—शिड्यूल नं० २ हमारे सामने है और उसमें कुछ परिवर्तन भी हमारे सामने हैं। लेकिन यह ऐक्वीजीशन के जो अधिकार नगरमहापालिका को मिले हैं वे भी हमारे लिए बहुत घातक हैं। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि नगर महापालिका आवे। लेकिन यह नगर महापालिकाएं यदि गरीबों के घरों को हरण करने के लिए आवें उस समय जो कीमत चाहें दे दें और उसका सौ सौ गुना मुनाफा उठाने का रास्ता खोल लें—हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट भी करें, सड़कें वगैरह निकाल दें—यह अधिकार अगर नगर महापालिकाओं को मिलता है तो इसका परिणाम दुखद होता है। हर पूर्वनिवासी जानता है कि सरकार के पास अधिकार है कि भूमि ले ले और वह ले लेती है। यह कह कर ले लेती है कि तुम्हारे सुधार के लिए ले रहे हैं।

अभी कानपुर के पास कल्याणपुर में कुछ जमीन नेशनल टेक्नोलाजिकल इन्स्टीटयूट के लिए ली गयी। उसमें जो फसल खड़ी थी वह काट कर फेंक दी गयी ठेकेदार द्वारा और कहा जाता है कि अच्छे कार्य के लिए जमीन ली जाती है। उन किसानों के लिए अच्छा काम कोई नहीं है, बल्कि खेती है। जब उनकी फसल काटी गयी तो वे रोये, चिल्लाये और जिला अधिकारियों के पास गये। तो एक्वायरमेंट के लिए सरकार के पूरे-पूरे अधिकार हैं। लेकिन उसके बाद लौटकर उन्हीं लोगों को सुविधायें मिलें और ऐसे ढंग से मिलें जो उनको ग्राह हों तब तो ठीक है। लेकिन हमारे एक्वायरमेंट के रूल्स इतने डिफेक्टिव हैं और महापालिका के अधिकार भी डबली डिफेक्टिव हैं जिस से पुअर कम्युनिटी की चीज को छीना जाता है, लेकिन लौटकर मिलना असम्भव हो जाता है। यह महानगरपालिकाएं बजाय गुण रूप के अवगुण रूप में आती हैं, बजाय सहायक रूप के श्राप रूप में आती हैं। (उप मन्त्री की ओर देखकर) चाहे आप उसको मुस्करा कर टालें, ग्रहण न करें कि गरीब की छीनी जमीन गरीब को नहीं मिलती, वह धनवान को मिलती है। इस विधेयक के द्वारा जो १० संशोधन रखे गये हैं यह सरकार ने अपने मतलब से रखे हैं, लेकिन इस अधिनियम में इतने ही नुक्स नहीं हैं बल्कि पूरा ५८० दफा का जो अधिनियम है इन में निरे अप्रजातान्त्रिक तरीके से महापालिकाओं का निर्माण हो रहा है जिसमें सरकारी अधिकारियों को निरंकुश अधिकार होगा और सरकार उन निर्धन लोगों का हित न कर सकेगी, बल्कि धनिक लोगों का हित ज्यादा कर सकेगी। इन महापालिकाओं

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

के द्वारा हो सकता है बड़े-बड़े पार्क्स इमारतें, सुन्दर सड़कें बन जायं, लेकिन कानपुर में जहां ३, ४ लाख आदमी ऐसे हैं जो रात में सड़कों पर सोते हैं, जिनके पास केवल एक झल्ली ही होती है, उनके लिए यह एक भी जगह प्राविजन नहीं ऐसा जिससे उनको सुविधा मिल सके। मैंने प्रवर समिति में भी इनके लिए कुछ प्राविजन लाने की कोशिश की लेकिन सरकार ने नहीं माना। आज भी सोचता हूं कि सरकार मेरी बात को नहीं मानेगी। नतीजा यह होगा कि यह महापालिकायें बनेंगी, इनमें बड़े धनिक लोग, प्रभावशाली लोग नगराध्यक्ष बनेंगे और उन्होंने अभी से अपने कमरों के तर्कों से सम्भाल लिया है। उनको बड़ी चिन्ता है कि जल्दी चुनाव हों। मैं इनके चुनाव में देरी के पक्ष में नहीं हूं लेकिन देखना यह है कि इनके निर्माण में उन गंदी बस्तियों में भी कोई सुधार हो पावेगा; इसके लिए भी इसमें कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन इस सारे अधिनियम के अन्दर अगर आप गौर से देखें तो उन निर्धनों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी, न खेल की व्यवस्था है, न मुफ्त दूध की व्यवस्था है, न अच्छी बस्ती की ओर न ऋण पाने की व्यवस्था है और न उनके लिए मकान बनाने की व्यवस्था है। मैं अपने नगर कानपुर की बात कहता हूं, वहां इनके निर्माण से गरीब निर्धन को कुछ नहीं मिलने वाला है वरन आज जो १,००,००,००० रु० टैक्स के रूप में वसूल होता है उसमें वृद्धि ही होने वाली है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह अधिनियम केवल सरकार के मन को शान्ति देने के लिए है और सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहती है। यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ले जाने वाला अधिनियम नहीं है। इसलिए इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि जो मौलिक त्रुटियां हैं उनको देखा जाय। हमने यह भी रखा है, समय बहुत कम रखा है, हम चाहते हैं ऐडमिनिस्ट्रेटर का शासन जल्द से जल्द खत्म किया जाय, इन अफसरों का निरंकुश शासन खत्म हो, यह हम चाहते हैं और खत्म होने के लिए चुनाव हम जल्द कराना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले हम ने चाहा कि हम सरकार को बता दें कि आपका यह अधिनियम अधूरा है, लंगड़ा है, पक्षपाती है और अप्रजातांत्रिक है और इससे वह जनता जो गरीब है और कराह रही है, उसके लिए कोई सहारा नहीं है। अतः या तो आप इसको सुधारें या इस कानून को वापस लें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिये तो बधाई नहीं दे सकता कि जब पिछले ऐक्ट की स्याही अभी सूख भी नहीं पायी थी कि उसे यह अमेंडिंग बिल प्रस्तुत करना पड़ा। श्रीमन्, बहुधा हम हेस्टी लेजिस्लेशन के दोषी ठहराये जाते हैं और मेरी राय में वह आरोप कुछ मात्रा में ठीक प्रतीत होता है। लेकिन इसके होते हुए भी मैं इसको प्रवर समिति के सौंपे जाने के प्रस्ताव का जोरों के साथ विरोध करता हूं, और वह इसलिये श्रीमन्, कि सारे प्रदेश से इस बात की मांग है कि जल्द से जल्द एलेक्शंस पूर्ण हों और जब यह कहा जा रहा है कि इसमें काफी विलम्ब हो चुका है और अब कोई विलम्ब न हो तो उसमें यदि किसी कार्य से विलम्ब हो तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, जहां तक उन धाराओं का सम्बन्ध है जिनके कारण इस बिल को प्रस्तुत किया गया है उनमें ऐसा नहीं है कि उसको जाकर प्रवर समिति में ही संशोधित कर सकें। थोड़ी सी धारायें हैं, उन पर इस सदन में ही विचार विनिमय कर सकते हैं। इसीलिए मैं यह समझता हूं कि यदि कहीं विचार विनिमय की गुंजायश है तो वह इसी सदन में कर सकते हैं और उसको यहीं पर पारित कर लिया जाय।

इसकी जो मूल धारा है, श्रीमन्, जिसके कारण इसको लाने की आवश्यकता पड़ी है, उसके बारे में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि इस धारा को लेकर हम कुछ आगे बढ़े हैं और कुछ जो अनुभव हुए हैं उनकी दृष्टि में रखते हुए सरकार ने इस धारा को रखा है। अच्छा होता यदि हम स्पष्टतया कह सकते या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा समावेशन इसमें कर सकते कि केवल जो अनर्हता की कंडीशन्स होंगी। वह केवल मारल टरपीट्यूड इन्वाल्व करने वाले

आफेंसेंज के लिये होंगी। जहां तक मारल टर्पीट्यूड का सम्बन्ध है, इस शब्द की परिभाषा अस्पष्ट है और जब जब कोई मामला आया है जिसमें मारल टर्पीट्यूड की बात आयी तो उसमें दिक्कत का अनुभव हुआ। इसीलिये मारल टर्पीटयूड को इस ऐक्ट में डिफाइन कर दिया गया है। मैंने, श्रीमन्, दिल्ली कारपोरेशन ऐक्ट को देखा। उसमें इसकी जो समकक्ष धारा ९ है उसमें उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया है कि थोड़े से आफेंसेज का जिक्र कर दें और केवल उन्हीं के लिये डिस्क्वालिफिकेशंस ऐप्लाई की जावेंगी। अब इस वक्त, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, सरकार को अधिकार होगा कि वह उन डिस्क्वालिफिकेशंस को दूर भी कर सकती है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे और विशेषतया सिद्धान्ततः इन डिस्क्वालिफिकेशंस को मारल टर्पीटयूड तक ही सीमित रखना चाहेंगे और जो अधिकार सरकार को दिया गया है वह कदाचित् इसीलिये दिया गया है कि जो ऐसे आफेंसेज है जिनमें मारल टर्पीटयूड इन्वाल्व्ड नहीं है इस शक्ल में यदि कोई डिस्क्वालिफिकेशन इन्कार होता है तो उसमें इसका प्रयोग नहीं होगा। यह मुख्य धारा है, श्रीमन्, और इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि यदि इसमें किसी तरह से यह बात और स्पष्ट हो सके जो एक अमेंडिंग बिल आया हुआ है तो अच्छा हो कि फिर हमें उसकी आवश्यकता न रहे और कुछ समय तक हम इस बात से मुक्त रहें कि दूसरे अमेंडिंग बिल की मांग आये। यह उचित होगा अगर यह और स्पष्ट हो जायगा।

और जो बातें हैं उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं और जो धारायें हैं वे नितान्त आवश्यक हैं। उनसे बिल की उपयोगिता बढ़ती है। माननीय अवस्थी जी के सारगर्भित भाषण से, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कुछ लाभ नहीं उठा सका। उनका कहना था कि इसकी जो पहली धारा है उसमें समय समय पर जो शक्ति ली गयी है वह कुछ अनोखी सी बात मालूम हो रही है। मैं आदर से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह का प्राविजन करीब-करीब सारे ऐक्ट्स में है और उसका रहना आवश्यक भी है। सारी धारायें एक समय में लागू की जा सकें, ऐसा सम्भव नहीं हो सकता।

इतना निवेदन करके मैं समाप्त करता हूं कि प्रवर समिति में भेजने से हम उस लक्ष्य की पूर्ति में बाधक होंगे जो कदाचित सबका लक्ष्य है और जिसकी तरफ सबका एक ही दृष्टि-कोण है कि एलेक्शन को जल्दी से जल्दी करने में मदद देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति की जो मांग है उसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरफ के बैठने वालों में अकेला हूं जिसने इस बिल को लिये जाने के सम्बन्ध में सरकार का साथ दिया। कुछ मित्र तो इधर के नाराज भी हो गये। लेकिन मैं सरकार को यह मौका देना नहीं चाहता, चाहे उनका बिल कितना ही गलत हो, कि विरोधी-पक्ष महापालिकाओं के चुनाव को टालना चाहता है।

श्रीमान् ने देखा होगा कि पिछली मर्तबा जब यह बिल आया था तो इधर की बेंचेज खाली थीं और फिर वह रेस ३ दिन में लगायी गयी कि एक एक दिन में १५० से २०० पर-५० तक सेक्शंस पास किये गये और शायद दुनिया की तवारीख में ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ होगा, तभी तो अग्रवाल जी को तसलीम करना पड़ा कि हेस्टी लेजिस्लेशन ठीक नहीं होता। इतना होने पर विरोधी दल वालों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिये कि इतनी सब दिक्कतों के होते हुए हम सरकार का साथ देने को तैयार हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जायं।

मैं माननीय अवस्थी जी की कद्र करता हूं। वे निरन्तर अध्ययन करते हैं और उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया समझता हूं। माननीय अवस्थी जी ने कोई चीज ऐसी नहीं रखी जो अनुचित हो। मैं तो केवल यही अर्ज कर रहा हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों सब की यही मांग है कि मारल टरपीट्यूड वाली बात इस बिल में रक्खी जाय। हर पार्टी के सदस्य की यह मांग रही है कि जिन लोगों का मारल टरपीट्यूड

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

रहा हो उनके लिये प्रवेश का इसमें दरवाजा खुला न रक्खा जाय कि वे जाकर म्युनिसिपल बोर्ड्स को pollute करें। सफाई न करके अगर पाल्यूट करने वे चले जायंगे तो वहां और गन्दगी फैल जायगी। माननीय मंत्री जी ने परिषद् में कहा कि मारल टरपीट्यूड की परिभाषा क्या बनायी जाय। श्रीमन्, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती। अगर सरकार यह चाहे कि मारल टरपीट्यूड वाले एलेक्शन न लड़ सकें तो उसको रोकने वाला कौन है ?

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन् ने कहा था कि मैं दोबारा वार्न कर रहा हूं, लेकिन यह चौथी बार हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--उस वार्निंग के बाद तो मैं एक बार मुल्तवी कर चुका।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि जो मारल टरपीट्यूड करते हैं उनके लिये म्युनिसिपल बोर्ड या कारपोरेशन के दरवाजे खुले नहीं रहने चाहिये क्योंकि वे सिटी फादर्स कहलायेंगे और जब सिटी फादर्स ही ऐसे होंगे तो उनकी औलाद कैसी होगी ? अब जहां तक उसके डेफिनीशन का सम्बन्ध है, तो वह पार्टी जिसके नेता और जिसके मंत्रीगण गांधी जी का नाम लें वह मारल टरपीट्यूड को डिफाइन न कर सकें। गांधी जी ने हमेशा मारैलिटी का स्टैंड लिया, उनकी सारी जिन्दगी इसी में लगी। मैं उधर के बैठने वालों को एक चुनौती देता हूं कि जो भी डेफिनीशन सरकार मारल टरपीट्यूड की बना देगी उसको हम स्वीकार कर लेंगे क्योंकि डेफिनीशन न बना सकने के माने यह हैं कि उनमें परख नहीं है कि क्या मारल है और क्या इम्मारल है। जो सरकार यह न समझ पाये वह किस तरह से राज्य चलायेगी, मेरी समझ से बाहर की बात है। कुछ तो जो परिभाषा ताजीरात हिन्द में दी हुई है उसी से लिया जा सकता है जैसे थेफ्ट, इम्पर्सोनेशन, फाल्स एविडेन्स, फोर्जरी, फाल्स एकाउन्ट्स, रेप, एडल्टरी, वगैरह वगैरह। मैं तो यहां तक कहता हूं कि फर्स्ट आफेन्डर्स ऐक्ट में भी जिसको एक दिन की भी सजा मारल टरपीट्यूड के लिये हो जाय उसके लिये कतई स्थान नगरपालिका और कारपोरेशन में नहीं होना चाहिये। इसके अलावा जो आदमी कम्युनल फीलिंग फैलाता हो उसका भी कोई स्थान नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कुछ इशारा किया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि कौन कम्युनल है। क्या वह पार्टी कम्युनल नहीं जिसने देश का बटवारा कौमों के नाम पर कर दिया, जिसने परिगणित, हरिजन और न जाने कितने टुकड़े यहां के लोगों के कर दिये ? आज हरिजन कल्याण के नाम पर रुपये मांगे जाते हैं तो उनको सेठ जी खा जाते हैं और गरीबों को नहीं मिल पाते हैं। जनसंघ में ऐसी कोई बात नहीं मानी जाती है कि यह हरिजन है, यह ब्राह्मण है। हमारे कोष में ये शब्द ही नहीं हैं। यह तो इधर के कोष में लिखा हुआ है जिन्होंने भारतवर्ष के खंड-खंड कर डाले हैं और जिन्होंने भाषा के नाम पर सारे देश में खूंरेजी कर डाली है; श्रीमन्, अगर कहेंगे तो सुनेंगे भी...

श्री उपाध्यक्ष--आपने काफी जवाब दे दिया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जी हां, मैं यह कह रहा था कि इन्होंने भाषा और जाति के नाम पर अलग अलग कमीशन बिठाये। उसका नतीजा आज हमारे सामने है। बहुत से हरिजन लोग अपने को हिन्दू नहीं कहलाना चाहते हैं। कोई बौद्ध हो गया है और कोई कुछ हो गया है। आप अपने पैमाने को देखिये। श्रीमन्, इनके एक आका तामिलनाड से आये थे। क्या हालत थी ?

श्रीमन्, जो दफायें बतायी हैं उनके अलावा ये भी हैं, १७१, १७१ (इ),(एफ),(जी), (एच) और (आई)। इन दफाओं के तहत जो कोई जुर्म करता है और उसको सजा होती है तो उसको भी न रखा जाय। श्रीमन्, हमारे देश का दुर्भाग्य है . . .

श्री रामस्वरूप यादव—दफा (१७१) को ले लिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, जब एक को ले लिया गया है तो दूसरे को क्यों नहीं लेते। यह भी उसके भाई-भतीजे तथा चचा आदि हैं। यह तो मेरे तर्क की और पुष्टि करता है।

श्रीमन्, आज देखिये तो हर तरफ शासन की डोर कमजोर हो गयी है। अब तक छः महीने के आदमियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब दो साल वालों को छोड़ने जा रहे हैं। यह लोग किसी न किसी तरह अपने विरोधियों को फंसा दिया करते हैं। श्री बलदेवसिंह जी के ऊपर सेशन जजी में मुकदमा चला। उसमें बड़े बड़े राजनीतिक तथ्य थे। श्रीमन्, जो हमारे बड़े भाई कहलाते हैं उन्होंने बड़ी खराब प्रथा डाली है। वैसे मैं मानता हूं कि जिसने त्याग किया है उसको पुरस्कृत करना चाहिये। लेकिन इस तरह की चीजें बिलो डिगनिटी हैं।

श्रीमन्, कांग्रेस का टिकट बांटा जाता है तो देखा जाता है कि कितना जुरमाना हुआ। अगर थोड़ा हुआ तो पेंशन दी जाती है, ज्यादा हुआ तो टिकट मिलता है। अगर साल भर की सजा हुई तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह के चेयरमैन का टिकट मिलता है। अगर इससे ज्यादा सजा हुई तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और इसी तरह से अगर ३–४ साल की सजा हुई तो मिनिस्टर हो जाता है। हमारा पैमाना हो गया है कि जितनी बड़ी सजा हुई उतनी बड़ी गद्दी मिलेगी। उनको मदद करें। लेकिन जब शासन में बड़े से बड़े अपराधी हाकिम होंगे तो देश का क्या होगा? यह सोचने की बात है। जेल के बारे में मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, कारटून भी था कि जो जेल में गये वे मोटे होकर आये। श्रीमन्, जब योग्यता से पद आधारित नहीं होंगे, विद्या आधार नहीं होगी और जेल जाने का एक क्राइटेरियन रहेगा तो देश का सत्यानाश नहीं साढ़े सत्यानाश हो जायगा।

अब मैं एक चीज और अर्ज कर दूं—'जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, यानी छूट में दो साल तो कैद हो गयी, उसके बाद जो अनर्ह हो गये, डिस्क्वालीफाइड हो गये उसको भी राज्य सरकार की स्वीट विल पर रखा गया है। हमें बड़ा कड़ुआ तजुर्बा है मौदहा के चुनाव में—इसी आदरणीय सदन में उस पर डिबेट हो चुकी है—कि वहां पर कातिल लोगों को छोड़ा गया था वोट लेने के लिए। बाद को कहा गया कि फसल कटने वाली थी इसलिए छोड़ा गया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उनको इसलिए छोड़ा गया था कि वे एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के लिए डंडे के बल से या किसी तरह से डरा धमका कर वोट लें। हम देखते हैं, जिहां पर नामिनेशन का मामला होता है हर जगह सरकार अपने लोगों को जिनमें बहुत ब्लेक मार्केटिंग का चार्ज होता है, भ्रष्टाचार का चार्ज होता है उन्हीं को नामिनेट करती है। तो यह डिस्क्वालीफिकेशन किसकी रिमूव होगी? सरकार जिसे चाहेगी, जिसे पिया चाहे वही सोहागिन। जो इनकी पार्टी का होगा, चाहे वह कितना ही भ्रष्ट क्यों न हो, दो साल से ज्यादा कृष्ण-भवन की हवा खाये हो, छूट उसी को मिलेगी, विरोधी पक्ष का होगा उसको छूट नहीं मिलेगी। तो यह निरंकुश ताकत सरकार को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने की ताकत कमीशन को है। माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि वहां कमीशन चुनाव कराता है और यहां हम कराते हैं। लेकिन कमीशन जितना निष्पक्ष है क्या सरकार भी वैसी निष्पक्ष है? सरकार ने तो पक्षपात में इन्तिहा कर दी। शायद दुनिया की तवारीख में इतना बड़ा पक्षपात नहीं मिलेगा जितना इस सरकार में पक्षपात है। तो मैं कहता हूं कि यह न सोचिए कि आपकी ही सरकार हमेशा रहेगी। कल को

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

कोई दूसरा वहां आ सकता है। दिन पर दिन कांग्रेस का घर खंडहर होता जा रहा है। हमारी वजह से नहीं :

"Old order changeth yielding place to new
And God fulfils Himself in many ways
Lest one good custom should corrupt the World."

यह टेनीसन ने कहा है। नया पत्ता लगता है, कितना अच्छा दिखाई पड़ता है! वही पुराना पड़ता है तो गिर जाता है। जो एक बार चोटी पर चढ़ जाता है, वह नीचे भी आता है। तो, श्रीमन्, यह ताकत सरकार को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। किसी हाई कोर्ट के जज को या किसी ऐसी अथारिटी को यह ताकत दी जाय जिस पर किसी को शक न हो। अगर माननीय मंत्री हमारी बात न मानें तो कम से कम अपने साथ में बैठने वालों की बात मानें कि मारल टरपीट्यूड वालों को इजाजत न दी जाय। मैं समझता हूं कि बेटर सेन्स विल प्रिवेल। मैं आशा करता हूं कि वह मेरी बात को स्वीकार करेंगे।

श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि इधर कांग्रेस के व्हिप साहब भी कह रहे हैं कि कोई लम्बी तकरीर न हो। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि ५८० सेक्शन्स का ऐक्ट है जिसके ऊपर यह संशोधन विधेयक लाया गया है और बदकिस्मती से जब पहली दफा हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया उस वक्त दो रोज इस पर डिबेट हो सकी और यह आश्वासन दिलाया गया था कि इस पर दुबारा डिबेट होगी। फिर और बदकिस्मती हुई, सितम्बर में जब यह बिल लाया गया उस वक्त अपोजीशन के ज्यादातर आदमी जेलों में थे और मैं भी खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से उन लोगों में से एक हूं जो कि उस वक्त जेल में थे। हालांकि मुझे याद है बहुत काफी इसमें संशोधन मैंने दिये थे। इत्तिफाक से कारपोरेशन बिल की जो सेलेक्ट कमेटी थी उसका भी मेम्बर होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी जब यह संशोधन बिल हमारे सामने लाया गया है, इस वक्त भी इस हाउस की फिजा ऐसी है कि इस पर ज्यादा देर डिसकशन करना संभव नहीं है और मुनासिब भी नहीं है।

जहां तक इस विधेयक में प्रस्थापित संशोधनों का ताल्लुक है इसमें सिर्फ एक ऐसा संशोधन है जिसके मुताल्लिक मैं अपने खयालात का इजहार करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं मोतीलाल जी अवस्थी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जिसको परिधि बढ़ाने का हक हासिल हो ताकि ज्यादा तफसील से नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि इसमें नहीं आ सकी हैं उनके बारे में मैं आपके सामने निवेदन कर सकूं। इस बात का मुझे कोई खतरा नहीं है कि बहुमत दल या कांग्रेस पार्टी कोई कानून अपने फायदे के लिए बनाती है कि या नुकसान के लिए बनाती है। मैं तो उन व्यक्तियों में से हूं जो यह समझते हैं आज बहुमत कांग्रेस का है कल को किसी दूसरे का हो सकता है। तो हमें इस विधेयक को इस नुक्ते नजर से नहीं देखना है कि यह किसी गवर्नमेंट के नुक्तेनजर से बनाया गया है बल्कि हमें यह देखना है कि यह अवाम के लिए कितना कारआमद है और जिस दृष्टिकोण से हम विधेयक को लाये हैं उससे उसकी पूर्ति होती है या नहीं। मेरा कहना यह है कि इस गवर्नमेंट ने जो-जो वायदे किये उनको पूरा करने में यह गवर्नमेंट जरूर कासिर रही है। सिद्धान्त और उसूल के तौर पर यह हमेशा कहा गया है कि जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी, निकायों के बारे में खेर कमेटी बनी। हमारे खेर साहब जो इस ऐवान के सदर हैं वह उस कमेटी के सदर थे। उस कमेटी ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, म्युनिसिपलटीज में, लोकल बाडीज में एटानामी हो, उनको पूरा अख्तियार हो। लेकिन यहां पर जब इनकी हुकूमत आती है तो जिस चीज को वह पहले कहा करते थे मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, कोटेशन भी नहीं देना चाहता, बहुत सी किताबें हैं हवाले दे सकता हूं, लेकिन नहीं देना चाहता, थोड़े में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो वादे किये गये थे कि एटानामी होनी चाहिए, उनका एक अलहिदा पबलिक

सर्विस कमीशन होना चाहिए, यह खेर कमेटी की रिपोर्ट है। इन सारी चीजों को छोड़ दिया गया है। जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत आई उन्होंने इस चीज की आवश्यकता नहीं समझी कि लोकल बाडीज के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन अलहिदा से बनावें या और जो उस कमेटी ने रिकमेन्डेशन्स की थीं उनके मुताबिक काम करें।

मैं मोटी-मोटी दस पांच बातें लूंगा। आज हम देखते हैं कि हम इन पांच बड़े शहरों में, कबाल टाउन्स में नगर महापालिका का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखें कि आया हम जो यह संशोधन लाये हैं उससे उसकी तलाफी हो जाती है या नहीं। मैं अपना फर्ज समझता हूं कि यह कहूं कि इससे इसकी तलाफी नहीं हो पाती है। जहां तक सिंगिल वार्ड कांस्टीट्युएंसी का सवाल था हम चाहते थे कि कहीं भी ऐसा न हो कि एक वार्ड से बहुत से लोग चुनकर आयें जैसे कि असेम्बली की सीट में डबुल मेम्बर तो हैं, लेकिन दो से ज्यादा कोई सीट नहीं है। बंगलोर, पटना और कलकत्ता तीन चार ऐसे कारपोरेशन्स हैं जहां कि एक वार्ड से एक आदमी लौट कर आता है। केलकटा एनवेस्टीगेशन कमीशन की रिपोर्ट से दो तीन लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"The Commission is not in favour of any constituency returning more than one Councillor. To have two or three Councillors in a ward is on the other hand to introduce the principle of divided responsibility to the detriment of the civic interest of the ward concerned."

उसकी रिपोर्ट यह है कि एक हलके से, एक वार्ड से, एक से ज्यादा कौंसिलर को निर्वाचित करके नहीं भेजना चाहिए। जैसा कि आज के एक्जिस्टिंग बिल में है कि एक वार्ड से ५ आदमी भी हो सकते हैं, तीन आदमी भी हो सकते हैं और १० भी हो सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी ज्वाइन्ट रहेगी। एक आदमी उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा बल्कि सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। यह भी हो सकता है कि जिस पक्ष की ज्यादा मेजारिटी होगी उसकी कैबिनेट बन जायगी। तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि एक हलके से सिर्फ एक आदमी का निर्वाचन होना चाहिये जैसा कि बहुत से कारपोरेशन में है।

इसके अलावा जहां तक कारपोरेशन का वास्ता है हिन्दुस्तान में और इसके बाहर फारेन कन्ट्रीज के, उन सबको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो इंग्लैंड में कारपोरेशन की हालत है वह इस वक्त सारे देशों से अच्छी है और उसके बाद नम्बर आता है अमेरिका का। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि हम इंग्लैंड या अमेरिका या किसी दूसरे देश या कलकत्ता या बम्बई के कारपोरेशन को अपने यहां एडाप्ट करें, वैसे हमारे यहां के कारपोरेशन में बम्बई के कारपोरेशन से बहुत कुछ लिया गया है। उस मकसद को हम किसी की नकल करके हासिल न करें बल्कि वाकयात को सोच समझ कर हासिल करें और जो चीज उनमें दुरुस्त हो उसको लेने की कोशिश करें। इस तरफ हमको तवज्जह करनी चाहिये।

इस वक्त तक मेरे खयाल से सदन में यह बात नहीं आई कि जो मैंने नोट आफ डिसेन्ट दिया था उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि यहां पर हम यह चाहते हैं कि न्याय सस्ता हो। हर आदमी आसानी से इन्साफ पा सके। आपके कानून की बात यह है कि जब एक ट्रिब्युनल बनता है तो उस ट्रिब्युनल में जो आदमी जाना चाहता है पहले उससे ७ हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में लिये जायेंगे, उसके बाद कोई आदमी क्लेम कर सकता है। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित है। जिस आदमी की जमीन ले ली गयी वह ट्रिब्यूनल के सामने ७ हजार रुपया कैसे देगा। और फिर उसके बाद उसको क्लेम करने का अख्तियार होगा, मैं समझता हूं यह दुरुस्त नहीं है।

जहां पर विद्यार्थी रहते हों वहां पर कहा गया है कि इंक्वायरी होगी। दो शख्स दरख्वास्त देंगे तब उसके बाद मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करेगा कि फलां लोकेलिटी में कुछ जगह ब्राथल के रूप में इस्तेमाल हो रही है तो उसके लिये नोटिस दिया जायगा कि वह २ या ३ या ४ दिन के अन्दर वहां से हटा दें नहीं तो उसके ऊपर २५ रुपया जुर्माना पड़ेगा। अब इसके बाद ५० रुपया उसको कर

[श्री शिवराज बहादुर]

दिया गया है । मैं यह समझता हूं कि इतने सीरियस आफेन्स के लिये इतना रुपया रखना काफी नहीं है । एक आदमी हीनस आफेन्स करने न पावे इससे वह रुकेगा नहीं बल्कि मैं तो समझता हूं कि और बढ़ेगा ।

मकानों के बारे में भी यही है कि जब मकान बन जायगा तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उसमें वह रहेगा । पहले तो वह आपके कारपोरेशन के अधिकारियों की इजाजत से बनेगा ही, लेकिन बाद को भी जब वह बन जायगा उसको इजाजत लेनी होगी कि वह उस मकान को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं । मैं तो यह समझता हूं कि इतना ही काफी है कि जब अधिकारियों की इजाजत से मकान बन गया और वह मुकम्मिल हो गया तो उसमें चाहे वह रहे या किसी किरायेदार को दे । मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार उसूल की बात करती है और दूसरी तरफ यह है कि कोई आदमी मकान बनावे तो उसके लिये सर्टिफिकेट वह हासिल करे और तब वह रह सकता है ।

जहां तक टैक्सेज का वास्ता है, लेडेन कुली पर भी टैक्स रखा गया है । यह उचित नहीं है कि कुली पर भी टैक्स लगाया जाय, इस टैक्स को अवश्य खत्म कर दें ।

एक सवाल और है । मान लीजिये कि लखनऊ का नगर निकम्मा है और इसके पड़ोस की जमीन की कीमत बढ़ जाती है ५० रुपया तक, तो २५ रुपया सरकार ले लेना चाहती है बेटरमेंट टैक्स के रूप में । यानी जितना इजाफा कीमत में होता है उसका हाफ ले लेना चाहती है, यह बड़ी अनुचित बात है, इसको भी एक-चौथाई से ज्यादा नहीं होना चाहिये । एक बात यह भी है कि हमारी जमीन पर कोई मलबा पड़ा हुआ है तो वह सख्ती से हमसे उठवाया जा सकता है ।

सबसे बड़ी चीज जो इसमें है वह सुपरसेशन है । कांग्रेस सरकार जब बरसरे इक्तदार नहीं थी, अपोजीशन में थी तो हम सब लोग कहते थे कि किसी भी हालत में सुपरसेशन नहीं होना चाहिये किसी निकाय का, डिसोल्यूशन भले ही हो जाय । उनमें से एक सदस्य माननीय भारतीय जी मौजूद हैं, उनकी कमेटी में यह तय हुआ था । इस सम्बन्ध में मैं ३-४ लाइन खेर कमेटी की रिपोर्ट से पढ़ देना चाहता हूं :—

"We are strongly against supersession of a District or Municipal Board being allowed under any circumstances but we have no objection to Government dissolving a Board when it persists in making default in the performance of its statutory duties, in exceeding or abusing its power or increasing deadlock, provided warning has first been issued. In the interest of the Board as also of the general public we strongly think that a Board should not be dissolved more than once during its term."

तो किसी सूरत में सुपरसेशन न हो, डिस्सोल्युशन चाहे हो जाय और वह एक टर्म में एक दफा से ज्यादा न हो । तो जो चीजें खुद आपने बनायीं बड़े गौर व खोज के बाद, जहां पर कि बड़े-बड़े महारथी थे, और जब पावर आपके हाथ में थोड़ी-सी आयी तो उनको फरामोश कर दिया । मैं ही क्या, आप खुद इस राय के थे, मुमकिन है कि आपके दृष्टिकोण में कोई तब्दीली आ गयी हो । लखनऊ में क्या आपकी नगरपालिका काम कर रही है ? सब पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर्स के हाथ में दे देते हैं और जो थोड़े बहुत अख्तियार थे वे भी खत्म कर देते हैं, जैसे कि अन्तरिम जिला परिषद् बनाकर जो थोड़े बहुत अधिकार जिला बोर्ड के थे, वे भी खत्म कर दिये गये । तो अगर इस तरह से हम अख्तियारात को सलब करते रहें तो हमारी आटोनामी को बड़ा जबरदस्त धक्का लगेगा । इसलिये यह निहायत जरूरी है कि आज का जो संशोधन है उस पर गौर करें । एक महीना चाहे देर हो जाय, लेकिन ढंग से हम काम करें । मैं अवस्थी जी के व्यू का हूं और शुरू से आखिर तक हम देखें तो इसमें हमें तरमीमात लानी पड़ेंगी । एक दफा नहीं, ५० दफे आप लावेंगे । इसमें ५७६ दफा थीं और अब शायद ५८० हो गयी हैं । इन पर हम गौर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते । ठीक कहा अवस्थी जी ने, मेरे पास

किताब नहीं है, पिछली याद्दाश्त के भरोसे पर अपने खयालात इसके बारे में मैंने अर्ज किये। आज आपके सामने जो विधेयक प्रस्तुत है उसके बारे में कहा गया कि कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि जल्दी से बिल आ जाय। यह जरूर है कि हमारी तरफ से प्रताप सिंह जी ने और अवस्थी जी ने यह कहा कि इसको न लाया जाय और ठीक था अगर न लाया जाता ताकि गौर करते, विचार कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। किसी चुनाव को टालना नहीं था, लेकिन यह भी नहीं था कि गौर न किया जाय। मैं समझता हूं कि हम जस्टिस नहीं कर सकेंगे और इन्साफ की जैसी नजर डालनी चाहिये वैसी नहीं डाल पायेंगे।

इस विधेयक में जहां तक संशोधनों का ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक संशोधन के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं। डिस्क्वालिफिकेशन्स का जहां तक ताल्लुक है, उनके बारे में बड़े जोरों से कहा गया कि मारल टरपीट्यूड डिफाइन नहीं किया गया है। सन् ५३ में एक्स्ट्राआर्डिनरी गजेट से १५ सितम्बर के करीब इसको डिफाइन किया गया है। मैंने एक केस आर्ग्यू किया था, उस सिलसिले में मैंने देखा। मैं इस व्यू का नहीं हूं कि अगर एक घंटे की सजा हो जाय किसी को तो उसको निकाल दिया जाय। हर आदमी में परिवर्तन की गुंजायश होती है। जब एक आदमी असेम्बली का मेम्बर हो सकता है, एम० पी० हो सकता है तो वह काउन्सिलर क्यों नहीं हो सकता? मारल टरपीट्यूड हो जाय, लेकिन फिर भी आदमी के खयालात में तब्दीली आती है। अच्छे से अच्छे आदमी ने गलत काम किया है और बुरा आदमी अच्छा बन जाया करता है। जब एटमास्फीयर अच्छा होता है, सोसाइटी अच्छी होती है तो वह आदमी में परिवर्तन ला दिया करती है। इसलिये यह कह देना कि अगर एक घंटे की सजा मारल टरपीट्यूड में हो गयी तो उसको इसमें नहीं रखना चाहिये और जिसको मारल टरपीट्यूड की सजा नहीं हुई उसको इसमें रख दिया जाय, यह आखिर क्यों? ए मैन इज आलवेज सब्जेक्ट टु करेक्शन (A man is always subject to correction), इन्सान से ही गलतियां होती हैं, इसलिये यह नहीं होना चाहिये। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में भी ऐसा नहीं है। एक आदमी असेम्बली का मेम्बर हो सकता है, एम० पी० हो सकता है, लेकिन कारपोरेशन का मेम्बर नहीं बनेगा। इसमें २ साल की बात कही गयी है। दो साल की सजा होने के बाद इतना टाइम गुजर जाय या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वह खड़ा हो जायगा, यह चीज भी समझ में नहीं आयी। अगर २ साल के बजाय दो महीने और ज्यादा हो गये किसी के और जुर्म वही है जो दो साल वाले का है तो वह खड़ा नहीं हो सकेगा। और फिर जब सरकार की नजरें इनायत हो तब वह खड़ा हो सकेगा। मैं तो यह कहता हूं कि इसमें खुली छूट है। और स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में यह राइट नहीं लेना चाहिये। शायद मंत्री जी इसको कबूल करलें क्योंकि आज अगर कांग्रेस की सरकार है तो कल कोई और सरकार हो सकती है और वह भी वैसे ही करने लगे। इसमें किसी सरकार का कोई वास्ता नहीं है और न मैं सरकार की नीयत पर ही शुबहा कर रहा हूं। मैं तो निवेदन करूंगा कि इसमें प्रिन्सिपिल यही है कि कोई आदमी, जिसको सजा हुई हो, इसमें दो साल का सवाल नहीं है, चाहे दस साल की ही सजा क्यों न हो जाय, अगर वह ठीक उतरे दूसरीबातों पर, तो उसको अधिकार दे दिया जाय। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोगों को सजायें हो गयीं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किये और जिन्होंने १८–१८ कत्ल किये वह छूट गये। आज जिस तरह से मुकदमें तय होते हैं वह system इतना डिफेक्टिव है कि सच्चाई पर पहुंचने की गुंजायश नहीं है। जनमत की कोई कद्र नहीं है, बल्कि वहां पर जैसा सबूत दे दिया गया वैसा फैसला हो जाता है। मैं एक बड़े क्रिमिनल कोर्ट के वकील होने के नाते बड़े साफ शब्दों में कह सकता हूं कि बीसियों बार ऐसा हुआ है कि कसूरवार निकल गये और इन्नोसेंट का कनविक्शन हो गया। गांधी जी ने कहा था कि वकील का काम है कि सचाई को मनवाये, लेकिन ऐसा होता ही है कि मुजरिम छूट जाता है और बेकसूर आदमी सजा पा जाता है।

मैंने ये इशारात किये कि यह बिल इस बात का मुन्तजिर है कि इसमें तरमीमात की जायें। इसलिये अगर इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा और इसमें देश का हित होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब वाद-विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री सुरथबहादुरशाह---मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप विरोध के कारण बताइये ।

श्री प्रतापसिंह---नरेन्द्रसिंह जी ने आपको बताया कि वह क्लोजर मूव कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे दुख है कि बहुत-सी गैरजरूरी बातें भी मेम्बरान कह दिया करते हैं । क्या आप समझते हैं कि मेरी और उनकी सांठ-गांठ है ?

श्री प्रतापसिंह---मैंने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, आपने कुछ ऐसा कहा । आप उसे वापस लीजिये ।

श्री प्रतापसिंह---मैं वापस लेता हूं ।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, मुझे यह कहना था कि इस विषय पर और वाद-विवाद की आवश्यकता है । मैं यह समझता था कि उधर से कांग्रेस-दल से लोग बोलेंगे । अगर वह नहीं बोलना चाहते हैं तो इधर से बोलने के लिये माननीय सदस्य तैयार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---बोलने के लिये तैयार होने का सवाल नहीं है । आप कारण बताइये कि आप नरेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध क्यों करते हैं ?

श्री सुरथबहादुरशाह---तो ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं इस संशोधन का, जो माननीय अवस्थी जी ने पेश किया है, विरोध कर रहा हूं ।

श्री मन्, जब यह विधेयक लाया गया था, जैसा मैंने शुरू में कहा, उसका मंशा यह था कि हमारे सदन के कुछ ऐसे दल थे जिन्हें कुछ धाराओं के रहते हुए दिक्कत हो रही थी । इतिहास के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि जब मूल विधेयक सन् ५७ में लाया गया था, उसके बाद भी जब दोनों सदनों की प्रवर समिति बनी थी, उसमें माननीय अवस्थी जी, माननीय शिवराज बहादुर जी और विभव जी भी थे, जो आज इसके बारे में बोले हैं, सभी बैठे थे । बैठने का स्थान भी कानपुर या लखनऊ न होकर इसलिये नैनीताल रखा गया कि वातावरण में शान्ति रहे । उन्होंने सहयोग दिया और उससे विधेयक बना और वह अधिनियम हुआ । उसके बाद उन्हीं की दिक्कतों को देखकर यह आवश्यक समझा गया कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार के लिये यह कहा जाय कि किसी द्वेष के कारण उसने ऐसा किया है और आज जो विषय माननीय अवस्थी जी ने उठाया मैं नहीं समझ सका कि जब वह १०७ धारा के बारे में कह रहे थे कि नगराधिकारी का स्थान उस कमेटी में होगा जिसमें उपनगराधिकारी का चुनाव होगा, मैं नहीं समझ सका कि किस धारा को देखकर यह ऐसा कह रहे हैं । उपनगराधिकारी का चुनाव किसी सूरत में भी नगराधिकारी नहीं करेगा, बल्कि नगर प्रमुख करेंगे और वह भी लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर करेंगे । कुछ सेवायें ऐसी हैं जो निम्न स्तर के कर्मचारी कहे जा सकते हैं, उनके लिये एक कमेटी बनेगी । उसके प्रेसीडेंट नगर प्रमुख अधिकारी होंगे । उसमें दो चुने जाने वाले सदस्यों का जिक्र रह गया था । इसलिये आवश्यक समझा गया कि.....

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप शान्त रहें, बाद में मौका दूंगा ।

श्री रामस्वरूप यादव--खैर, यह जिक्र किया गया कि कारपोरेशन की सीमायें बढ़ायी गयी हैं और उसके संबंध में टैक्स के नोटिस आने लगे। मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ। अभी तो कारपोरेशन बने भी नहीं हैं, उनके टैक्स के नोटिस का क्या सवाल हो सकता है? यह हो सकता है कि कुछ समय पूर्व म्युनिसिपैलिटी ने अपनी सीमायें बढ़ायी और संभव है कि उनके बारे में नोटिस जारी हुए हों।

कुछ हाफ हार्टेड कसा जिक्र यह भी किया गया कि जो अवधि बढ़ा कर २ वर्ष की गयी है उसमें मारल टर्पीट्यूड का शब्द भी होना चाहिये। जहां यह है कि केन्द्र और प्रदेश के कानून यकसां हों, वहां यह भी है कि उनमें सामान्यता के साथ-साथ सरलता भी होनी चाहिये। मारल टर्पीट्यूड की परिभाषा बड़ी मुश्किल है कि क्या जुर्म इसमें आवे। अगर भारतीय दंड विधान की चन्द धारायें इसमें रख दी भी जावें फिर भी बहुत से विषय ऐसे रह जाते हैं जिनके लिये यह कहना कठिन होगा कि वे मारल टर्पीट्यूड में आते हैं या नहीं। मिसाल के लिये, अभी एक आन्दोलन १ महीने पहले चला था जो कि 'ताला तोड़ो' आन्दोलन कहा जा सकता था। अगर किसी ने जाकर ताला तोड़ दिया होता तो उस पर अगर ३९४, ३९५ धारायें लगा दी जावें तो मारल टर्पीट्यूड में आ जाता है, लेकिन साथ में यह भी कहा जाता कि वह राजनीतिक आन्दोलन था। इसलिये उसके बारे में यह कहा जाता कि यह मुकदमा इसीलिये चलाया गया है क्योंकि सरकार का मंशा था कि कुछ लोगों को वंचित कर दिया जाय।

माननीय जगदीश शरण जी ने कहा कि जैसा देहली कारपोरेशन में है वैसा ही यहां भी होना चाहिये। वह शायद इस समय उपस्थित नहीं हैं। यह सही है कि दिल्ली कारपोरेशन के अधिनियम में एक ही जगह धारा ९ में सब-सैक्शन (ई) में दोनों बातें लिख दी गयी हैं। अंग्रेजी में वह है :—

"If he has been sentenced on conviction by a criminal court to imprisonment for any of the offences referred to in clause (*d*) or to imprisonment for a term of not less than two years for any other offence....

(डी) में हवाला दिया है :

"If he has, in proceedings for questioning the validity or regularity of an election, been found to have been guilty of any corrupt practice."

इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मूल अधिनियम में धारा ८० पहले से दी गयी है जिसमें धारा १७१ (ई०) और (एफ०) भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत सजा हुई हो, उसका जिक्र है तथा अगर १३५ और १३६ रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में सजा हुई हो तो उन सूरतों में डिसक्वालीफाई समझा जायगा, इस महानगर पालिका चुनाव के लिये। इस स्थिति में प्रश्न यह उठा कि क्या यह उचित है कि उसमें करप्ट प्रैक्टिस शब्द रख दिया जाय। यदि यह मान भी लिया जाय कि इस संशोधन के द्वारा यही प्राविधान किया गया होता कि जिनको मारल टरपीट्यूड के अन्तर्गत सजा हो जाय, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वे आज विधान सभा और विधान परिषद् के लिये तो खड़े हो सकते हैं, चाहे उनको किसी धारा में सजा हुई हो, लेकिन दो बरस से कम हुई हो तो महानगरपालिका के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। इसको देखकर और यह देख कर कि कानून सरल से सरल होना चाहिये, पीपिल्स रिप्रेजेन्टशन ऐक्ट, जिसकी धाराओं के अनुसार चुनाव होता है, उसकी धाराओं के अनुसार ही इसको बनाना चाहिये, इस वजह से ही यह संशोधन लाया गया है।

श्रीमन्, आपत्ति यह भी उठायी गयी कि सरकार ने अपने ऊपर इस बात का अधिकार क्यों ले लिया है कि डिसक्वालीफिकेशन ५ बरस से पहले भी उठायी जा सकती है। लेकिन विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं। मेरा जहां तक खयाल है, वह दल जो शासन करता है उसको अपने आदमियों पर इसको प्रयोग करने की आवश्यकता न होगी, विरोधी दल के ही ऐसे कोई अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको किसी वजह से दो बरस से ज्यादा सजा हो गयी

[श्री रामस्वरूप यादव]

हो, तो उस हालत में सरकार यह भी देखेगी कि ऐसा व्यक्ति चुनाव से वंचित न हो जाय। हम तो इसी दृष्टि से कोई भी कानून बनाना चाहते हैं कि जनतंत्र में कोई भी पार्टी कभी भी बहुमत में आ सकती है और जो बहुमत में आ जायगी, वही सरकार बनायेगी। सभी इसको समझते हैं और इसी दृष्टि से कानून बनाये जाते हैं। तो इसमें हमारी मंशा बिलकुल साफ है। हम चाहते तो इसको चार महीने के बाद भी ला सकते थे, लेकिन हम किसी को गलत तौर से दूर रखना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार की दिक्कतों को हटाने के लिये यह विधेयक लाना पड़ा है। यह ठीक है कि ज्यादा समय मूल अधिनियम के वक्त नहीं दिया जा सका लेकिन जहां तक इस संशोधन विधेयक का ताल्लुक है इसको प्रवर समिति में भेजे जाने के कोई कारण नहीं मालूम पड़ते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय सदन इसको स्वीकार करेगा। विभव जी तो यहां हैं नहीं, अवस्थी जी मौजूद हैं, वह यद्यपि हमारी बात मानते तो हैं नहीं, लेकिन इसको वह वापस लेकर विधेयक को पास करने की कृपा करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से यह विधेयक लाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, इस सदन की एक प्रवर समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन में इस सदन में उपस्थित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसे अपनी परिधि भी विस्तृत करने का अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन १० दिन के अन्दर प्रस्तुत कर देवें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री मोतीलाल अवस्थी की मांग पर हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:

पक्ष में--१४,

विपक्ष में--८२।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब डिवीजन की घंटी बन्द हो गयी तो इस तरफ का फाटक तो बन्द हो गया था, लेकिन उधर का फाटक खुला था जिससे मैं उसी तरफ से आया। तो इस तरह से उधर का फाटक खुला नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--आपका मतलब लाबी के फाटक से है। नोटिस आफिस की तरफ से आने का जो फाटक है वह बंद कर दिया जाता है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, ऐसा होता है कि हम लोगों की तरफ का तो बन्द कर दिया जाता है और उधर का खोल दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय गोविन्दसिंह जी ने इस पर ध्यान आकर्षित किया है तो उस पर अवश्य कार्यवाही होगी।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, आज प्रातःकाल माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था के प्रश्न पर यह व्यवस्था दी थी कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री उस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। तो इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मुमकिन है कि अध्यक्ष महोदय उस समय तक आ जायं। उनके समय तक बयान नहीं दिया जा सका तो आप आपत्ति करें, अभी समय भी है।

खंड २-३

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "तदर्थ निश्चित करें" और कोलन के बीच में शब्द "और विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा १ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में:—
(१) खंड (२३) में शब्द "इंडियन" निकाल दिया जाय, और
(२) खंड (५७) में "इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट, १८९९" के स्थान पर "पेट्रोलियम ऐक्ट, १९३४" रख दिया जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा २ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग बन जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं नियमावली के नियम १४३ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें दिया हुआ है—

The Speaker may, if he thinks fit, put as one question group of clauses to which no amendments have been moved:

Provided that if a member requests that any clause be put separately, the Speaker shall do so.

मैं एतराज करता हूं, आप इनको सेपरेटली रखें।

श्री उपाध्यक्ष—एतराज या प्रार्थना?

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्रार्थना ही सही।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मैं जान सकता हूं कि जिनमें लिखा हुआ है कि हटा दी जायं.....

श्री उपाध्यक्ष—भविष्य के लिये मैं बता दूं कि जब मैं कोई खंड लूं तो हर माननीय सदस्य को उसका विरोध करने का अधिकार है। 'निकाल दिया जाय', यह संशोधन नहीं माना जाता, बाकी विरोध करने का सबको अधिकार है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जब आप खड़े हो जाते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--हर खंड का विरोध करने का सबको अधिकार है और कोई भी खड़ा हो सकता है ।

खंड ४

४--मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसको अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा २५ का संशोधन

*श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "किसी" तथा शब्द "अपराध" के बीच में शब्द "अनैतिक आचरण सम्बन्धी" रख दिये जायं तथा पंक्ति ३ में शब्द 'दो वर्ष' के स्थान पर शब्द "दो मास" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख इस बात को रख दूं कि अभी इस सम्बन्ध में माननीय उपमंत्री जी ने कुछ स्पष्टीकरण किया था और यह बताने की कोशिश की थी कि इसमें नैतिक आचरण की बात बढ़ाने से कुछ ऐसे भी राजनीतिक अपराधियों को शरीक किया जा सकेगा जैसे 'ताला तोड़ो आन्दोलन' की मिसाल उन्होंने दी, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह हमें वकीली दलील से समझाने की कोशिश कम करें, हम जानते हैं कि हम और वह राजनीतिक दल के लोग हैं, दोनों एक दूसरे की भाषा को जानते हैं । यह ताला तोड़ना तो गरीबों के अधिकारों के लिये जारी रहेगा और उन मक्कारों, बदमाशों और खून चूसने वालों की मक्कारी को खत्म करने के लिये, उनसे गरीबों को बचाने के लिये चाहे हमें आप चोर कहें, सबसे बड़े चोर तो श्री कृष्ण जी ही थे, जो मक्खन चुराते थे, फिर नमकचोर गांधी जी भी थे, उनकी सरकार उस समय होती तो वह गांधी जी को भी चोर ही कहते । वह तो अब भी उसी सरकारी भाषा में बोलना चाहते हैं, वह राजनीतिक बातों को भी चोरी कहते हैं, लेकिन उनको चाहिये कि इस तरह की राजनीतिक कार्यवाहियां देशभक्ति के आधार पर होती हैं, जनता की सेवा की बिना पर होती हैं । आप कुछ भी कहें लेकिन इन 'ताला तोड़ने वालों' को हजारों लोग माला पहनाते हैं और उनकी जय-जयकार बोलते हैं । ऐसे लोग जो अनैतिक कार्य करेंगे उनको कोई माला नहीं पहनायेगा और कोई उनकी जय-जयकार नहीं करेगा । आपकी किताब में माना जा सकता है, आप रूलिंग पार्टी हैं.....

श्री रामस्वरूप यादव--आई० पी० सी० में माला वालों के लिये कोई एक्सेप्शन नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आई० पी० सी० में नहीं होगा, लेकिन व्यवहार की बात मैं कहना चाहता हूं । अपने आल इंडिया कांस्टीट्यूशन और विधान सभाओं के निर्वाचन में विशेष प्रकार की जो डिस्क्वालीफिकेशन रखी गयी है यदि बिलकुल वही बात आवे तो हमें एतराज नहीं है । लेकिन आप अपनी सुविधाओं के लिये इसमें कोई विशेष बात रखते हैं तो वह खटकने लग जाती है । इस संबंध में हम लोगों ने अपना एतराज प्रवर समिति में भी किया था कि इसमें पोलिटिकल टिन्ज है और उस समय हमारे माननीय मंत्री जी, श्री विचित्र नारायण जी ने विश्वास दिलाया था कि ऐसी हमारी मंशा नहीं है, और हमारे कहने पर कि इसमें यह सुविधा बढ़ा दें कि राजनीतिक अपराधों पर ऐसी अयोग्यता नहीं आवेगी, उन्होंने एतराज किया और नहीं माना । अब आप समय की अवधि लिखते हैं और सेक्शन्स को खुला छोड़ देते हैं तो दिक्कत आवेगी । हम दफा १४४ तोड़ते हैं और आप कहते हैं कि १०९ में पकड़े गये । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो आप करते ही रहते हैं। लेकिन इन चुनावों में जो हमारे नगरों में होंगे वहां हमारे नागरिकता के अधिकार सुरक्षित रखने के लिये हमें दावा करने का अधिकार है। हमें यह भी कहने का अधिकार है कि राजनीतिक कार्य करने वाले नागरिकता के कार्य में भी आगे बढ़ते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले भी बढ़ते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्य करने वाले ज्यादा बढ़ते हैं। फिर, हम अपनी बात पर चलते हैं और आप अपनी बात पर। हम जानते हैं कि कानून को तोड़ना हमारा फर्ज है, आप समझते हैं कि यह अपराध है, मैं मानता हूं कि आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हमारा अधिकार है कि हम अपनी चीजों को कहें और तब तक कहें जब तक कि हमारी आवाज जनता तक न पहुंच जाय जो सबसे बड़ा न्याय करने वाली है।

हमारा इसमें संशोधन था कि इसमें "नैतिक अपराध" के शब्द बढ़ा दिये जायं। इसके संबंध में ट्रेजरी बेंचेज से श्री अग्रवाल और श्री विभव जी जो कुछ समझदार हैं, कभी-कभी आत्मा की बात कह देते हैं, उन लोगों ने भी इसकी राय दी। लेकिन हमारे मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ दूसरे ढंग की बात घुसी हुई है। हमने दो वर्ष की जगह दो माह रक्खा है। अगर सरकार चाहे तो दो दिन कर दे। लेकिन होना चाहिए कि नैतिक अपराध हो तभी यह डिस्क्वालीफिकेशन पैदा हो। मैं चाहूंगा कि सरकार इस हठवादिता को छोड़कर इसे स्वीकार कर ले। राजनीतिक कार्य आपके अनेक सेक्शनों के अन्दर अनेक रूप से आ सकते हैं। अतः राजनीतिक बातों को छोड़ दीजिये और नैतिक बातों पर आ जाइए। इस तरह से इसमें डिस्क्वालीफिकेशन की शर्त दुरुस्त कर दी जाय। यह मेरा संशोधन है और मैं चाहता हूं कि सदन इसे स्वीकार करे।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन के समर्थन में माननीय मन्त्री जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय जो कुछ इसमें दलील पेश की उसमें इस बात की सफाई नहीं हो सकी, जैसे कि धारा ४ में दिया गया है कि दो वर्ष से अधिक किसी भी जुर्म में सजा हो, तो क्या मन्त्री जी ऐसा गोल-मोल या सुनिश्चित वाक्य या धारा न रख करके इस बात का अधिकार नहीं ले लेते हैं कि अपने हाथ में कि यदि इसका इस्तेमाल करने में किसी भी विरोधी पार्टी को दबाने में इसको हथकंडा बनाया जाय तो उसे किया जा सकता है। मन्त्री जी अप्रत्यक्ष रूप से यह अधिकार ले लेते हैं। विधेयक इस कानून के बरतने वाले के हाथ में यह अधिकार दे देता है कि अगर जनतांत्रिक परम्पराओं के अन्दर चुनाव किया जाय और कहीं नामिनेशन लेने वाले अफसर को अगर इस बात का एतराज उठाया जाय तो उसे अधिकार है वह उनके नामिनेशन को खारिज कर सकता है क्योंकि दो साल की जो सजा है। खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में सोशलिस्ट पार्टी के तमाम सदस्यों को सजायें हुयीं। माननीय राजनारायण जी को १९ महीने की सजा हुई विक्टोरिया की मूर्ति को तोड़ने में और १९६० में सोशलिस्ट पार्टी देशव्यापी आन्दोलन करने जा रही है। तो आगे चल करके सोशलिस्ट पार्टी या विरोधी पार्टी का कोई भी सक्रिय कार्यकर्त्ता इन कबाल टाउन्स में न रह जायगा जो इस कानून के अन्दर चुनाव लड़ सके। माननीय मोतीलाल जी ने सही कहा; अगर 'नैतिक आचरण' सम्बन्धी कोई अपराध हो और जैसा इलेक्शन कमीशन और पिपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में था सम्भवतः होगा अगर नैतिक अपराध की कोई धारायें हों और उस के अन्दर सजा होती हो तो उस को डिबार किया जाय। तो इसमें अगर इसको न रखा जायगा तो जो विरोधी पार्टीज के लोग हैं, सजा पाते जायेंगे और वे कभी भी महापालिकाओं के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

मन्त्री जी ने सजाओं की बात कही। दफा १०७/११७ आई० पी० सी० की है क्रिमिनैलिटी को रोकने के लिए। लेकिन अगर आंकड़े लिये जायं तो १९५७–५८ में दफा १०७/११७ में जितना विरोधी पार्टी के लोगों का चालान हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। और खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में इन सजाओं का पर्दा फाश हो जाता, मुकदमे झूठे पाये जाते, अगर खाद्य आन्दोलन के बहुत से मुकदमे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के और अन्य विरोधी पार्टियों के लोगों

[श्री उग्रसेन]

क उठा न लिये गये होते। तो आज के मुकदमों का क्या स्टैन्डर्ड है, यह आये दिन पास होने वाले हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर्स से जाहिर है। तो इस हालत में हमारी जो सजायें होंगी तो हम वंचित रह जायेंगे। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर कठिनाई क्या है। सजाओं पर क्यों ज्यादा महत्व देते हैं? अगर सचमुच उनके चरित्र पर जोर देने की मन्त्री जी की मन्शा है तो बात दूसरी है। मगर कैरेक्टर से भी नैतिक आचरण का सम्बन्ध हो जाता है और उन दफाओं में ही उन्हें चुनाव में भाग नहीं लेने देना चाहिए। जैसा मन्त्री जी ने कहा जो हटाया जा रहा है, इससे कुछ सही माने में लाभ होगा। मैं लाभ नहीं देख रहा हूं क्योंकि हमारे सर पर तलवार कच्चे धागे में लटकी हुई है, न मालूम किस वक्त गिर पड़े। अगर गिरी तो हमारी तो गर्दन साफ हो जायगी। तो सही माने में अगर सरकार इस बात में न्याय देना चाहती है कि जनतन्त्रीय परम्परा में यहां के कार्य हों तो उसको यह करना पड़ेगा और इस में "नैतिक आचरण" की धारा जोड़नी पड़ेगी। यदि नहीं तो लड़ने वाले लोग राजनीतिक पार्टीज के ही लोग होंगे इन बड़े बड़े शहरों में और बनारस, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद वगैरह में रोज प्रदर्शन होते हैं, तो कोई भी पोलिटिकल आदमी इस काबिल नहीं रह जायगा कि वह चुनाव लड़ सके। अगर मन्त्री जी सही माने में जनता की मदद करना चाहते हैं और लोकतान्त्रिक परम्परा की स्थापना चाहते हैं तो इतना मानने में क्या एतराज है, इसको वह जरूर बतायेंगे। इसलिए मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न इस सदन के समक्ष उपस्थित किये गये हैं। एक तो नैतिक अपराधों के सिलसिले में किसी को दण्ड दिया जाय तो उसको वंचित करने का अधिकार तो माना जाता है, लेकिन दूसरा प्रश्न जो उपस्थित किया गया वह यह है कि अगर कोई राजनीतिक आन्दोलन हो और उसमें कोई दण्डित हो तो उसके लिए इस किस्म की कोई बाधा न रखी जाय।

श्रीमन्, जहां तक मैं समझता हूं क्रिमिनल आफेंसेज वे हैं जिनके सम्बन्ध में समस्त समाज यह निश्चित करता है कि इस प्रकार का कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता और वह कार्य वे होते हैं जिनके कारण समाज अव्यवस्थित होता है और इतना अव्यवस्थित होता है कि राज्य इस परिणाम पर पहुंच जाय कि ऐसे व्यक्ति को इतर समाज से अलग कर दिया जाय। एक व्यक्ति को कारावास में रखने का अर्थ यह है कि समाज में उस व्यक्ति से लाभ नहीं होता अपितु उसके विपरीत समाज इस परिणाम पर पहुंचा कि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को इतर समाज से अलग रख कर कारावास में रखा जाय। अगर यह सिद्धान्त हम मान लें जो कि मैं समझता हूं कि सार्वभौम है तो स्पष्ट रूप से "नैतिक" शब्द जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस वास्ते कि प्रत्येक वह कार्य जिस को समाज ने दण्डनीय निश्चित किया है, वह अनैतिक है ही। हमारे मित्र चाहते हैं कि इस अनैतिक के साथ यह भी हो कि उस के चरित्र के सम्बन्ध में कोई कालिमा लगी हो तब उस को वंचित किया जाय। मेरा विचार ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए अनिष्ट है, वह अनैतिक भी है और कोई कारण नहीं मालूम देता कि क्यों हम इस शब्द को इस विधेयक में रखें, इसका कोई कारण नहीं बतलाया जाता।

दूसरा प्रश्न जो हमारे सम्मुख है वह राजनैतिक कार्यकर्ताओं का है। बहुत ही नम्रता से मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि प्रत्येक राजनीतिक दल को अधिकार है कि अपने सिद्धान्तों का वह प्रचार करे, प्रत्येक राजनीतिक समुदाय को यह अधिकार है कि जनसमुदाय में अपने मत को प्रचारित करे, परन्तु किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है डिमोक्रेसी में कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करे। मेरी समझ में, श्रीमन्, सत्याग्रह आता है। अगर हमें किसी ऐसे राज्याधिकारी के विरुद्ध आन्दोलन करना हो कि जो विदेशी हो या ऐसी राज्य सत्ता हो जिसने जनतंत्रात्मक रीति से नहीं, किसी अन्य रीति से प्रभुता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राप्त कर ली हो और शासन समाज की इच्छा के विरुद्ध करती हो, जहां पर जनतंत्र शासन हो, जहां पर हर ५ वर्ष में जनमत लिया जाय और बहुमत जिसे प्राप्त होता हो उसके हाथ में राज सत्ता दी जाती है, ऐसे जनतंत्र राज्य में मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कैसे कोई दल जो माइनारिटी में हो वह बहुमत को प्राप्त करे। जंग करे या कानून भंग करे और कानून इस आधार पर भंग करे कि वह माइनारिटी में है और जनता ने जिसे चुना है, उसका विरोध करे --विरोध करना उनका अधिकार है--लेकिन कांस्टीट्यूशन के अन्दर, नियमों के अन्दर जो समुदाय स्वयं जिम्मेदार नियमों के बनाने का है, इस सदन में आकर कानून व कायदा बनाता है, वह समुदाय अगर यह कहे कि हमें अधिकार यह है कि उन्हीं कायदे व कानूनों को तोड़ें तो मैं तो यही अर्ज करूंगा कि इसे आन्दोलन नहीं कहा जा सकता, इससे जनमत को अपने अनुकूल बनाना नहीं है, यह तो हम कहें कि हिटलरिज्म होगी तो गलत न होगा। मेरा निवेदन है कि जनतंत्र राज में किसी को भी अधिकार है कि अपना आन्दोलन करे और वह बहुमत को अपने अनुकूल जनता को बनाये, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि वह कानून तोड़े।

अन्त में एक बात और निवेदन कर दूं कि जो भी कायदा या कानून इस सदन में स्वीकृत होता है, चाहे वह एक ही दल के बहुमत के कारण होता हो, लेकिन एक मर्तबा स्वीकार हो जाने के अनंतर वह कानून और कायदा समस्त हाउस का हो जाता है। उसमें कोई यह नहीं कह सकता कि हमने कानून नहीं बनाया और दूसरी पार्टी ने बनाया है और जब कानून बन जाता है तो कोई विशेष दल यह नहीं कह सकता है, इस सदन के बाहर जा कर कि हमने यह कानून नहीं बनाया है, इस वजह से हमें यह कानून तोड़ना है। किसी भी दल को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून तोड़े और अव्यवस्था पैदा करे और ऐसा करने पर भी उसको वह अधिकार प्राप्त रहे जो कि समाज को प्राप्त है। मैं समझता हूं कि इस समय जो हमारे सामने संशोधन बिल रखा गया है वह वस्तुतः इस विचार से रखा गया है कि यथाशक्ति हम किसी भी दल पर कोई प्रतिबन्ध न डाल दें कि वह इस चुनाव में भाग न ले सके। मुझे विश्वास है कि ६ महीने के स्थान पर २ साल इसी कारण से रखे गये हैं कि जब तक राजनीतिक अपराध इतना घोर न हो जिसमें सजा २ साल से अधिक दी जाय तब तक हम राजनीतिक आन्दोलन को भी सहन करेंगे। मैं तो समझता हूं कि विरोधी दल को, यह जो हमारे सामने संशोधन आया है, इसको स्वीकार करना चाहिए था और इस सदन के समक्ष जो प्रस्ताव रखा गया है वह स्वीकार होना चाहिये और विरोधी दल को भी उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजनारायण, मैं समझता हूं कि वर्मा जी के आवाहन पर आप खड़े हुए हैं। (हंसी)

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, बहुत दिनों से इस प्रकार का विधेयक लाने की सरकार की इच्छा रही है। इस सदन में भी माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, इस बात को कह चुके थे और डिप्टी मिनिस्टर साहब भी कह चुके थे कि महा नगरपालिका विधेयक में जो एक दोष रह गया है उस दोष को एक संशोधन द्वारा सरकार निकाल देना चाहती है। मगर हम ऐसा देखते हैं कि जो दोष पीपुल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में रह गया है उसी दोष को यह सरकार संशोधन के द्वारा पुनः रखना चाहती है और अपने इस संशोधन के समर्थन में सरकार की ओर से बार-बार इस बात की दुहाई आयेगी कि चूंकि पीपुल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में ऐसी बात है लिहाजा हम भी इसको यहां पर रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि पीपुल्स रेप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के संबंध में जिन लोगों को चुनाव याचिका को लेकर कुछ दिक्कत महसूस हुई होगी या जिन लोगों ने उसके संबंध में पैरवी आदि की होगी, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया होगा कि उसमें जो यह धारा रखी गयी है, यह कोई स्वस्थ धारा नहीं है।

श्रीमन्, अभी-अभी एक अच्छे वकील जो फैजाबाद से आते हैं उन्होंने कुछ जनतन्त्र की परिभाषा की, जनतन्त्र में अल्पमत के अधिकार और बहुमत के अधिकार की व्याख्या की,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

आन्दोलन की परिभाषा की, अराजकता की परिभाषा की । मैं समझता हूं कि वे जरूर पोलिटिकल साईन्स के विद्यार्थी होंगे । मगर भारत ने जो जनतन्त्र में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आन्दोलन को जोड़ा है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया । मैं नहीं कह सकता, मुझे मालूम नहीं कि अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत के विरुद्ध जब स्वातन्त्र्य संग्राम चलता था गांधी जी के नेतृत्व में तो उन्होंने कभी जेल काटी या नहीं, सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया या नहीं, मगर इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि गांधी जी के नेतृत्व में जिस राजनीतिक कार्यकर्त्ता ने अंग्रेजी साम्राज्यशाही के विरुद्ध लोहा लिया है वह उनकी व्याख्या से सहमत नहीं होगा । सविनय अवज्ञा आन्दोलन क्या है ? अल्पमत और बहुमत के अधिकार क्या हैं ? क्या इस बात को मान लिया जाय कि जनतन्त्र में बहुमत अमर्यादित होगा, उसके लिये कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई रोक नहीं , कोई सीमा नहीं ? माननीय लायक वकील आज जिस तथ्य को और जिस सार को यहां रखना चाहते हैं उसमें वे यही साबित करना चाहते हैं कि बहुमत असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, जब उसकी जो इच्छा हो वह कर डाले, वही न्याय है, वही मर्यादा है । कितना भयंकर तूफान इस विचार धारा को लेकर उत्पन्न होगा । आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि वह इसका गम्भीरता से अध्ययन करें । बहुमत के लिये मर्यादा है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत है तो क्या उसका अधिकार मान लिया जाय कि वह अल्पमत को कत्ल कर दे, उसको रहने ही न दे ? यदि ऐसा हो तो फिर लिखित कांस्टीट्यूशन की जरूरत ही क्या है ? हमारे यहां क्यों लिखित कांस्टीट्यूशन है ? ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति में जहां लिखित संविधान नहीं है वहां जो परम्परा पड़ गई हैं वह संविधान से ज्यादा शक्तिशाली है । लेकिन यहां ऐसी बातें कह दी जाती है और पता नहीं किस आवेश में कह दी जाती हैं और उसको परम्परा , मर्यादा, भारतीय सम्मान की सुरक्षा, इन तमाम बातों से आभूषित करके अच्छे से अच्छे शब्दों की एक लड़ी बनाकर अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है ।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि क्या जनतंत्र में कोई मर्यादा बहुमत के लिये होगी या नहीं ? आज सब से विचारणीय प्रश्न रईसे फैजाबाद ने रख दिया । उस पर मैं चाहूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्य विचार करें । हमारा ऐसा खयाल है कि यदि बहुमत अपने को अमर्यादित कर देगा तब अराजकता होगी, मारकाट होगी, लूटपाट होगी । लेकिन अगर बहुमत अपनी मर्यादा रखेगा, अपनी सीमा को रखेगा, अपने अधिकारों को असीम नहीं समझेगा, अपनी इच्छाओं को न्याय नहीं समझेगा और अपनी इच्छा को ही कानून नहीं समझेगा तो सही माने में समाज में व्यवस्था रहेगी । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने भावों में हमारे इस निवेदन को जगह देंगे और इस पर गौर करेंगे ।

(इस समय ४ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उन्होंने यहां तक कह डाला कि जब कोई कानून बन गया तो अल्पमत को उसका विरोध करने का, आन्दोलन करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---आन्दोलन की क्या बात है ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, रईसे फैजाबाद ने बताया कि अल्पमत की सीमा क्या है, बहुमत की सीमा क्या है । हम थोड़े में कहना चाहते हैं ....

श्री अध्यक्ष---अगर उन्होंने कहा है तो असंगत कहा है और आप असंगत बात का जवाब न दें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन् उनको रोकना चाहिये था । अगर उनका उत्तर न दिया जाय तो आप समझेंगे कि कुछ अन्याय सा हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष---*Two wrongs cannot make one right.*

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर वह हमारे कहने से अपने विचार न बदलें तो हरिजन सेवक की फाइल देखें तो उनको मालूम होगा कि सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, घर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तक लागू होंगे, यह पूज्य बापू ने कहा है। एक बार पंत जी ने कह दिया था कि जनतंत्र में सत्याग्रह को स्थान कहां? इस पर विनोबा जी तथा कई विद्वानों के लेख आये तो पंत जी ने जबाब दिया कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। खैर, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। मर्यादा सब के लिये सीमित है। बहुमत के लिये भी और अल्पमत के लिये भी। हमारी अभिलाषा होती है कि हमारी पत्नी सती साध्वी और सीता जैसी पतिव्रता हो, लेकिन हम अपने को पवित्र रखने की चेष्टा नहीं करते हैं तो अल्पमत के लिये तो बराबर सबक देते हैं, सरमन देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं और बहुमत के लिये तीन दिन के अन्दर तीन तरह का प्रस्ताव इसी सदन के अन्दर रखा जाता है। बहुमत है, बहुमत को मर्यादित कीजिए। बहुमत को एक प्रगतिशील परम्परा, मर्यादा, सम्मान की सुरक्षा के लिये रखिए। अल्पमत को हमेशा कुचलने के लिये अगर बहुमत रहेगा तो अराजकता होकर रहेगी।

अब हमारे सम्मानित सदस्य इस विषय पर बोल रहे थे, जो यह चौथा क्लाज इसमें है कि मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। पहले था श्रीमन्, कि अगर छः महीने से अधिक किसी को सजा हुई हो और सजा बीतने के बाद पांच साल बीत चुका हो तभी वह कार्पोरेशन का चुनाव लड़ सकता है। यह पहले था। अब उसको परिवर्तित करके सरकार क्या रखना चाहती है? छः महीने का समय वह दो साल कर रही है। बस इतना ही परिवर्तन कर रही है। लुब्बोलुबाब इसका यही है। इसके साथ-साथ वह यह कहते हैं कि चूंकि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में ऐसा है इसलिये हम भी किये दे रहे हैं और इसमें जो चीज पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में नहीं थी ...

श्री अध्यक्ष---और यह भी तो कहा था कि अल्पमत के जो लोग छः महीने से ज्यादा के लिये जेल गये थे, जैसे आपकी पार्टी के, वह भी चुनाव में भाग ले सकें, इसलिये भी इसकी जल्दी है।

श्री राजनारायण---ठीक है। अच्छा कहा। वह तो काफी उदार हैं अल्प मत के बारे में। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस पार्टी के सदस्य हैं उसका नाम सोशलिस्ट पार्टी है। मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे हमारा नुकसान भले ही हो जाय मगर हमने जो अपने लिये मर्यादा बना ली है, हम उसको जरा सी अपनी उंगली दबने पर तोड़ेंगे नहीं और हम चाहते हैं अगर सरकार जनतंत्र को पल्लवित देखना चाहती है तो उसको अच्छी तरह से इस मर्यादा को अपनाना चाहिये। हमारा फायदा थोड़ा सा हो जाय और उतने में हम भूल जायं और उनका समर्थन कर दें इसके लिये कुछ दूसरे लोग हैं। श्रीमन्, आप देखें, दो संशोधन विशेष रूप से इसमें हैं। एक तो छः महीने की अवधि दो वर्ष की जा रही है और आखिर में जो अधिकार पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में नहीं है सरकार को, वह अधिकार भी यह सरकार लेना चाहती है। अब जरा उसको देखें। किसी ने कहा मुर्गी इतनी बड़ी। दूसरे ने कहा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? तो उसने कहा अरे बेवकूफ, तरे वाला हाथ तो तूने देखा नहीं। इसमें वही तरे वाला हाथ है। "या इससे कम ऐसी अवधि जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे"। राज्य सरकार किसको अनुमति देगी श्रीमन्? सोशलिस्ट पार्टी को अनुमति देगी? आप इस बात को भली भांति जानते हैं श्रीमन्, कि सन् १९५७ में जो सत्याग्रह, सिविल डिसओबिडिएन्स मूवमेंट, सोशलिस्ट पार्टी ने प्रारम्भ किया था उस सत्याग्रह को वापस लेने के बाद भी आज तक उसके मुकद्दमें हम पर चल रहे हैं, जब कि दूसरी पार्टियों के सदस्यों को छोड़ दिया गया है। यह सरकार डबुल स्टैन्डर्ड खेलती है। जो इस सरकार से मिली जुली कुश्ती लड़ते हैं उनके लिये दूसरा रास्ता अख्तियार करती है और जो पार्टी जनतन्त्र के तरीके से उसका सीधे मुकाबला करती है उस पार्टी के मारेल को खराब करने के लिये यह सरकार पतित से पतित काम करेगी। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह सरकार क्यों इस अधिकार को लेना चाहती है,

[श्री राजनारायण]

जरा सफाई आनी चाहिये । आज भी हमारे ऊपर मुकदमें चल रहे हैं । खाद्य आन्दोलन के संबंध में ट्रांसफर एप्लीकेशन उनको देकर आया । अब कलेक्टर ने उसको खारिज कर दिया पहली तारीख को । अब वह जायगा सेशन में, फिर जायगा हाई कोर्ट में । अभी उन्नाव वाला ....

श्री अध्यक्ष---मुकदमे को उठाने का सवाल नहीं है । जरा आप असंगत हो रहे हैं ।

श्री राजनारायण---जैसा आपने कहा कि हमको सहूलियत देते हैं ।

श्री अध्यक्ष---खड़े होने को तो दे ही रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें आकर ।

श्री राजनारायण---मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अवस्थीजी ने एक बात अपने संशोधन में रक्खी है, जरा उस पर भी गौर किया जाय। उन्होंने कहा है कि अनैतिक अपराध जोड़ा जाय । हमने अखबारों में कौंसिल के विवाद को पढ़ा था । उसमें माननीय राम स्वरूप जी यादव ने एक बात कही थी सरकार की ओर से कि अनैतिक अपराध एक वेग टर्म है । इसका कोई स्थूल रूप नहीं है । यह भावात्मक है, काल्पनिक है । तो उसके लिये हम उनकी दिक्कत और कठिनाई को महसूस कर सकते हैं । इसके पहले भी जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन हुआ है, पंचायत राज ऐक्ट संशोधन हुआ है तब भी इसकी चर्चा बराबर चली है कि अनैतिक अपराध के लिये जिनको सजायें हुई हैं उनको दंडित होना चाहिये और उनके खड़े होने पर रोक लगनी चाहिए, यद्यपि कि हमको एक डर है । हम अपने माननीय मित्र अवस्थी जी से भी निवेदन करेंगे और आप के द्वारा सरकार से भी निवेदन करेंगे, आपसे भी निवेदन करेंगे कि अगर अनैतिक अपराध हो जायेंगे तो अवस्थी जी फिर अनैतिक ही अपराध में फंसाये जायेंगे । यह न समझ लें कि वह छूट जायेंगे जब तक सरकार की यह मनोवृत्ति बनी रहेगी । क्या नहीं कर सकती है यह सरकार ? अब उसको हम कहने के लिये असमर्थ हैं, हमारे पास वाणी नहीं है । तो उससे भी मसला हल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो अपराध लगाये जाते हैं, १०७, १०९, ११०, ११७ न मालूम कितने तरह के अपराध लगा दिये जाते हैं इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि जो समस्या है उसका समाधान हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---तो आप अवस्थी जी के संशोधन का विरोध करते हैं ।

श्री राजनारायण---नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं । सुझावात्मक बातें कह रहा हूं । उसको सोचें गम्भीरता से । उसमें कुछ सेक्शन लिखे जायं । जैसे कि अनैतिक अपराध के कुछ सेक्शन हम बताते हैं कि कौन-कौन से अपराध अनैतिक अपराध होंगे और उसमें यह भी सफाई होनी चाहिये कि मान लीजिए, राजनैतिक आन्दोलन कोई चलता है, जैसे कि हमारे फैजाबाद के वकील साहब ने कहा था कि यह अराजकता है, जो सरकार बनी हुई है उस सरकार के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करना यह कतई नहीं होना चाहिये । तो एक तो इस अवसर पर इस बात की सफाई होनी चाहिये कि राजनीतिक पार्टी के लोग राजनीतिक आन्दोलन के संबंध में अगर गिरफ्तार होते हैं, चाहे उनके ऊपर दूसरी दफायें लगा दी जायं, क्यों कि श्रीमन्, जो पुराने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल काट चुके हैं और आज कांग्रेस में पड़े हुए हैं वह भी इस बात के साक्षी हैं कि उनके ऊपर भी अनुचित दफायें लगाई गयी थीं । पकड़े जाते थे किसी काम में, लगा दी जाती थी गुंडई की दफा या और कोई दफा । तो वे साक्षी हैं । हम इस अवसर पर आप लोगों को भी साक्षी बनायेंगे कि इस तरह से ऐसी कोई बात होनी चाहिये कि राजनीतिक आन्दोलन के संबंध में अगर कोई राजनैतिक पार्टी आन्दोलन करती है अपने कार्यक्रम को लेकर के, अपने पालिसी प्रोग्राम को लेकर के तो उसको दबाने के लिये जो सरकार के हथकंडे चलते हैं और गलत-गलत धाराओं में उनको सजा दी जाती है वह इसमें नहीं शामिल होना चाहिए । मुझे पता नहीं कि अभी अवसर है संशोधन देने का या नहीं । अवस्थी जी जोड़ें उसको अपने संशोधन में या सरकार की तरफ से कोई बात

आये, मगर इस बात की सफाई जरूर होनी चाहिए कि राजनैतिक पार्टी के द्वारा संचालित जो आन्दोलन हैं या राजनीतिक पुरुष अपनी पार्टी के कार्यक्रम को चलाने में यदि गिरफ्तार किये जाते हैं और उन पर गलत धारायें लगा कर उनको सजा होती है तो उनको इसमें बरी किया जाय वरना इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

हम थोड़े ही में एक बात और कहना चाहते हैं ताकि सरकारी पक्ष के लोग अल्पमत बहुमत वाले सवाल को लेकर के, अब इस बात की पुनरावृत्ति न करें। क्योंकि अ[illegible] अगर देखा जाय वकील साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके जरिए तमाम सदस्यों से निवेदन करूंगा, कि आज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ४२ फीसदी वोट पर आई है। जितने वोट पड़े हैं उसके ४२ प्रतिशत ही लेकर के आज कांग्रेस की सरकार बनी है। तो यह जनता का बहुमत तो नहीं हुआ। आज जिस तरह की जनतन्त्र प्रणाली है उसमें सरकार बन गई मगर यह नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार जनता के बहुमत से बनी है। इसलिए जो वह बार-बार कहा करते हैं कि जो जनता के बहुमत को लेकर के सरकार बने उस सरकार की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई आन्दोलन करता है तो गलत करता है। वह संशोधन कर लें अपने विचार में। आज भी स्थिति यही है, चाहे जिस भी तरीके से हो। यह सरकार अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है, बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो अगर कोई ऐसी पार्टी है जो आज बहुमत के लिये अपना कार्यक्रम रखती है तो क्यों न वह सरकार के बुरे कानून को तोड़े और गलत कानून को तोड़े? जो हमने इतने दिनों तक महात्मा गांधी की परम्परा से सीखा है उसको आज यह सरकार हमसे छीनना चाहती है। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि हमारी इस लोकमान्य प्रवृत्ति और नैतिक प्रवृत्ति को, जिसका लेकर अंग्रेज साम्राज्यशाही को ध्वस्त कि ा गया, हमसे आप छीनने न दें चाहे यह सरकार कितना ही चाहे, आप में जितनी शक्ति हो उसमें हमें सहारा दें। अब मैं अपने सुझाव को तीन वाक्यों में दोहरा देना चाहता हूं--

पहला तो यह है कि सरकार जो यह अधिकार अपने हाथ में ले रही है इसको न लेकर सरकार निश्चित धारा बना दे कि अनैतिकता के अन्तर्गत फलां-फलां धारा[illegible] आ[illegible]येंगी।

दूसरा यह है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो आन्दोलन चलाये गये हैं उन आन्दोलनों के फलस्वरूप यदि कोई कार्यकर्ता गिरफ्तार होता है और फिर विभिन्न धाराओं में सजायें होती हैं तो वह इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे और तीसरी बात यह है कि जनतन्त्र, जनतान्त्रिक प्रणाली और जनतान्त्रिक व्यवस्था इन तीनों की प्रतिष्ठा के लिये यह सरकार तैयार हो और उसको अच्छे तरीके से मूर्तरूप देने के लिये जो कुछ भी संशोधित सुझाव हों, उनको नियम के रूप में लाने की व्यवस्था करे। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इन सुझावों पर विचार करे तभी इस संशोधन का फल मिलेगा, वर्ना बड़ी-बड़ी दिक्कतें सामने आती रहेंगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक की धारा ४ को पढ़ा और मैंने यह महसूस किया कि यह सरकार नित नई मान्यतायें कायम करने की कोशिश में रहती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ताकत सरकार के हाथ में आवे चाहे जिस तरह से जनतान्त्रिक परम्परा को ठेस लगे और ध्वस्त हो जाय, लेकिन जिस प्रकार से भी हो सरकार के हाथ में ज्यादा ताकत आवे। इसी प्रकार से सरकार काम करना चाहती है।

श्रीमन्, जहां तक माननीय मोतीलाल जी के संशोधन का सवाल है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं और माननीय राजनारायण जी ने जो उसमें सुझाव दिये उनको स्पष्ट बनाने के लिये [illegible] आवश्यक थ। अगर सरकार अपनी हठवादिता को छोड़कर इनको मान ले तो मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि उत्पन्न हो रही है और यह सरकार इस ओर कदम उठाना चाहती है और इस प्रकार से वह जनतान्त्रिक परम्परा के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाती है। श्रीमन, आप देखें कि इस धारा में यह लिखा हुआ है कि "जो किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो"। इसमें कोई परिभाषा

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

नहीं है कि किस धारा के अन्तर्गत वह दोषी पाया गया हो या कौन-कौन अपराध हो सकते हैं। जो राजनीतिक परम्परा जनतान्त्रिक प्रणाली में ऐसे हटाई जाती है उससे जनतन्त्र पर आघात होता है। हमारी परिभाषा में अपराध भी वही हो सकता है जिसके करने से जनतान्त्रिक प्रणाली पर खतरा पैदा होता है। ऐसे अपराध जिनसे जनतन्त्र प्रणाली पर खतरा पैदा होता है वह तमाम अपराध नहीं हो सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया और लोग जेल गये। जो अवधि इसमें रखी गई है कारावास की, इसमें बहुत से लोग आ जायंगे। यदि दो साल के लिये भी लिख दिया तो उसको जेल उतने दिनों के लिए भिजवा दें। मैं समझता हूं कि इसमें सब से बड़ा दोष यह है कि "अपराध" शब्द की परिभाषा नहीं की गयी है और अगर की जाय तो यह निश्चित है कि हमें उन धाराओं को गिनाना पड़ेगा कि अगर इनके अन्तर्गत अपराध तो अनर्ह होगा जो जनतांत्रिक प्रणाली को पोषित करने वाले तरीके हैं उनके लिए आन्दोलन हो, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो। अगर हम रईस फैजाबाद की तरह यह मान लेंगे कि वह सब देशद्रोह है तो हमारी जनतंत्र की भावनाओं का पनपना मुश्किल हो जायगा। इस प्रकार की धाराओं को स्पष्ट रूप से रखा जाय। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इसी स्वायत्त शासन का बनाया हुआ पंचायत राज ऐक्ट है, उसकी धारा ५ में लिखा हुआ है जो कि गांव सभा के सदस्यों के लिए अयोग्यता है कि :

"who has been convicted for an offence involving moral turpitude or ordered to give security for good behaviour under section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898."

इसमें साफ तौर से अपराध का प्रकार दे दिया है और दफा ११० भी बतला दी है। श्रीमन्, देखें कि हम शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं एक निश्चित जनतंत्रीय प्रणाली के अनुसार और इस सिद्धान्त को सरकार भी मानती है। एक और कानून टाउन एरियाज ऐक्ट है, उसको देखा जाय तो अनेक अपराध और खास तौर से ११० दफा रख दी गयी कि अगर उसके अन्तर्गत सिक्योरिटी भी दी गयी हो तो भी उसका सदस्य नहीं हो सकेगा। इसमें पेज ४७९ पर लिखा हुआ है कि वह सदस्य नहीं होगा यदि उसमें निम्न अयोग्यता हो :

"that he has been ordered to find security for good behaviour in consequence of proceedings taken under section 109 or section 110 of the Code of Criminal Procedure, such order not having been subsequently reversed and a period of five years from the date of the order has not elapsed."

तो गांव पंचायत भी इकाई है और टाउन एरिया भी एक प्रकार की इकाई है, उनको एक प्रकार से शहरी समझना चाहिए। उनके लिए २ ही धाराएं हैं। अनेक अपराधों के शब्द भी नहीं आये। १०९ और ११० के लिए कहते हैं कि अगर उसमें सजा पायी हो और ऊपर की अदालतों से सजा बहाल रही हो तो अनर्हता आ जायगी। समझ में नहीं आता कि जब इस प्रकार के कानून स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बनें जिनमें निश्चित दफाएं हैं और खास तौर से ११० है जिसके अन्तर्गत अयोग्यता हो सकती है, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं किया गया? नैतिकता का क्या मापदंड होना चाहिए और क्या उसकी मर्यादाएं हैं, इसमें मतभेद हो सकता है। हो सकता है कि मंत्री जी कुछ बातों को अनैतिक समझते हों, लेकिन दूसरे न समझते हों। इसलिये अगर एक स्पष्टता रहती कि वह कौन सी बातें हैं जिनको मंत्री जी अनैतिक समझते हैं तो बहुत अच्छा होता। यह नहीं कि कोई भी अपराध हो गया हो, चाहे देश के उत्थान के लिये या सरकार के अन्याय की ओर ध्यान आकृष्ट करने में सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया हो [illegible] दो साल के लिये तब भी वह खड़ा नहीं हो सकता। इसलिये हम उन मर्यादाओं को देखें जो हमारे देश में [illegible] जो प्रजातन्त्र के लिय आवश्यक हैं। इसलिये कम से कम यह सफाई जरूर होनी चाहिये जिससे आदमी समझ ले कि वह कौन सी हालतें हैं जिनमें उसकी योग्यतायें होंगी इसका बड़ा फायदा होगा।

नागरिकता प्राप्त करना एक बड़ा अधिकार है और हर नागरिक की यह ख्वाहिश होती है कि वह किसी जगह के लिये चुना जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि कार्पोरेशन के लिये ऐसे काम न किये जायं जिससे गड़बड़ी फैले और जनता के दिमाग में उनका चरित्र खराब हो। उससे कार्पोरेशन का फायदा होगा। क्योंकि प्रजातन्त्र में यह स्वाभाविक है कि हर एक के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि वह अच्छे से अच्छे पदों पर पहुंचे, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसको पनपने में मंत्री जी कोई बाधा न खड़ी करें कि अगर सजा हो जाय जो कि एक अच्छे काम में भी हो सकती है, देश के उत्थान के लिये जो प्रदर्शन होते हैं उसमें भी सजायें होती हैं और २-३ साल तक हो जाती हैं, तो वह डिसक्वालीफाई हो जायगा। इस प्रकार से प्रजातन्त्र कैसे पनप सकेगा? इसलिये सरकार की ओर से सफाई होनी चाहिये और ऐसा कानून बने जो जनता को सच्चरित्रता की ओर ले जाय और जनता के मस्तिष्क को सुधारे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि इस तरह के कानून से जनता का कोई हित नहीं होगा। सिर्फ कागज पर यह रह जायगा और कोई फायदा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे संशोधन को मानें और मैं यह सुझाव दूंगा कि ज्यादा अच्छा हो कि अपराधों को गिना दें जिनसे कोई अनर्ह हो जायगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन में यदि किसी को ६ साल सजा हो जाय तो उसका कोई मूल्य नहीं है लेकिन अगर एक दिन की भी कोई ऐसी सजा हो जो राष्ट्र के लिये हानिकारक हो तो वह एक दिन भी अनर्हता के लिए मूल्य रखता है। हम दोनों में क्यों न फर्क कर दें? सब धान २२ पसेरी नहीं होना चाहिये। कानून में स्पष्टता न होने के कारण जनता के सामने कठिनाई आयेगी। सरकार जिनके लिये चाहेगी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हटा देगी और ऐसे भी लोग हो सकते हैं दो साल की सजा वाले जो कि अर्ह होने पर लड़ नहीं पायेंगे। इसलिये अगर सरकार साफ तौर पर उन जुर्मों को रखती तो सदन उन पर विचार करता और उनसे एक आदर्श प्रस्तुत होता कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो सामाजिक उन्नति के लिए घातक हैं और ऐसे अपराधों को करने से जनता को अलग रखे। इसलिये माननीय मंत्री जी अपनी हठवादिता को छोड़ें और इस संशोधन को स्वीकार कर लें, क्योंकि इससे जनता का चरित्र ऊंचा उठेगा, जनता को उत्साह होगा और जनतंत्र पनपेगा। इन तमाम बातों से सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले और अगर अवस्थी जी के इस सुझाव को भी मान लें तो बहुत अच्छा होगा कि वह निश्चित धाराओं को भी दे दें।

माननीय मंत्री जी ने पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट का भी जिक्र किया। तो यह पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट अपनी कुछ मान्यताओं को लेकर चला है, लेकिन हमारा यह जो संगठन चला है वह भी कुछ मान्यताओं के लेकर चला है। इसमें हम छोटी इकाइयों को लेकर चले हैं। हम अपनी सत्ता को विकेन्द्रित करना चाहते हैं और उसको उन हाथों में पहुंचा देना चाहते हैं, जो हाथ दुर्बल हैं। उन दुर्बल हाथों को हम मजबूत कर देना चाहते हैं। उनमें जो हाथ मजबूत हैं, जिनके हृदय में हेकड़ी है, शक्ति है, देश के उत्थान और राजनैतिक आन्दोलनों में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जो प्रदेश की इकाई के नेता हैं ऐसे लोगों को हटाने का इस कानून में पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है। फिर बताइये जनतंत्र किस प्रकार पनपेगा? एक ओर जब आप गांवों के हाथ में ताकत देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे आदमियों को उसमें से निकाल देंगे तो किस प्रकार से अपने प्रदेश में विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को लागू कर पायेंगे, किस प्रकार से प्रजातन्त्र को पनपा पायेंगे, यह समझ में नहीं आया।

इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा गया है कि पांच वर्ष की अवधि के लिये वह विवर्जित था। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह चीज कुछ कड़ी है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि कड़ाई को नापने के लिये माननीय मंत्री जी के पास कौन-सी बोतल है, थर्मामीटर है या नाप है? अगर यह ज्यादा कड़ाई थी तो कम कड़ाई क्या है? आप कड़ाई रखना चाहते हैं तब तो दूसरी बात है, लेकिन हमारा सजेशन तो यह है कि कड़ाई बिलकुल न रहे। तभी आप विकेन्द्रीकरण और जनतंत्र के लिये स्वस्थ्य परम्परा को कायम कर सकते हैं। अगर

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

आपने कानून में इस चीज को रखा तो वह जनतंत्र के लिये नुकसानदह होगा, घातक होगा। क्या मंत्री जी ने इसकी परिकल्पना की है कि वे प्रदेश को इस कानून के द्वारा किस प्रकार ऊंचा उठाना चाहते हैं. मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे संशोधनों के लिये माननीय मंत्री जी अपने हृदय से इस भावना को हटा दें और जो संशोधन हमने उसमें रखा है उसको सरकार स्वीकार कर ले। पिछली बार यह संशोधन आया था कि 'कारावास' का शब्द हटा दिया जाय, लेकिन उस वक्त यह चीज नहीं मानी गयी और यह कानून अब लाना पड़ा। यद्यपि मैं अंग्रेजी राज्य को बुरा समझता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे कानून थे जनमें कोई संशोधन वर्षों से नहीं आया, लेकिन आज संशोधन रोज आते रहते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह संशोधन जो आया है वह इसलिये आया है कि जितनी कड़ाई सरकार द्वारा बरती गयी है उसे खत्म कर दिया जाय, क्योंकि कुछ दिनों के बाद देश की जनता महसूस करेगी कि सरकार यद्यपि बुद्धि के साथ....

श्री अध्यक्ष—आपने तो आम बहस शुरू कर दी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—आम बहस नहीं है श्रीमन्, मैं तो धारा ४ के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि अगर सरकार बुद्धि के साथ सामने आयेगी तो जनता भी उसकी तारीफ करेगी और इससे देश का भला ही होगा। श्रीमन्, यह दूसरा संशोधन है और अब यह स न नहीं चाहता कि तीसरा संशोधन भी लाना पड़े। मैं चाहता हूं कि इस धारा की पूरी सफाई हो जाना आवश्यक है। ऐसी और भी धारायें हैं लेकिन यह धारा ऐसी है जिस पर सरकार को सहानुभूति के साथ अपनी भावनाओं को कम से कम स्पष्ट कर देना चाहिये, अगर सरकार जनतन्त्र को पनपाना चाहती है। इस बात को अगर देखा जाय तो अवस्थी जी का जो सशोधन है वह बहुत ही मासूम है और माननीय मंत्री जी से फिर मैं यह चाहता हूं कि धारा को स्पष्ट होना चाहिये, यद्यपि मैं समझता हूं कि इसको अस्पष्ट रखने से कुछ लाभ भी उठाया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि अवस्थी जी को अपने संशोधन में साफ-साफ लिखना चाहिये था कि किन अनैतिक अपराधों के लिये इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद बन्द किया जाय।

श्री राजनारायण—जरा एक मिनट मुझे भी दे दिया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन् यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और अभी तक हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य इस संशोधन पर नहीं बोल पाया है। तो अगर इस तरह से विवाद बन्द कर दिया जायगा तो हमारी पार्टी की जो भावना इस संशोधन के सम्बन्ध में है वह व्यक्त नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो आप बोल लें, उसके बाद इधर का कोई बोलेगा। तो अभी मैं १५ मिनट का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय विष्ट जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मुझे विरोध करने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—उसे तो मैं अभी ले ही नहीं रहा हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक पर आया है वह इस बात का प्रमाण है कि देहाती [illegible] है कि जल्दी का काम शैतान का हुआ करता है। पिछली बार जब यह नगर महापालिका विधेयक आया था तो उस समय विरोधी पक्ष के सदस्य लोग प्रदेश में भारी खाद्य संकट के सम्बन्ध में सत्याग्रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके जेलों में चले गये थे । उस परिस्थिति का फायदा उठा कर सरकार ने बहुत जल्दी में उ विधेयक को पास किया था । यही कारण है कि अभी वह विधेयक लागू भी नहीं हुआ, इसका अनुभव भी हम नहीं कर सके कि उसके अन्दर क्या-क्या त्रुटियां हैं, उसके लागू होने के पहले ही ऐक्ट के अन्दर एक संशोधन लाना पड़ा और मेरा पूरा विश्वास है कि उस ऐक्ट के अन्दर आज भी इतनी अधिक खामियां हैं कि उनके लागू करने पर सरकार की वही गति होगी जैसी कि सेल्स टैक्स के अन्दर सरकार की गति होती है कि हर साल सरकार को उस ऐक्ट के अन्दर दो, तीन संशोधन लाने पड़ते हैं । आगे चलकर इस महा नगरपालिका ऐक्ट के अन्दर भी वही होगा। श्रीमन्, जिस संशोधन पर हम इस समय विचार कर रहे हैं यदि हम उसको देखें तो माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन इसके अन्दर प्रस्तुत किया है वह अपनी जगह बहुत ही भोला भाला और साधारण-सा संशोधन है । सरकार द्वारा स्वयं इस संशोधन के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था लानी चाहिये थी। इसी सरकार ने दो ऐक्ट इसी सदन के अन्दर पास किये हैं-- गांव पंचायत ऐक्ट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट और इन दोनों के अन्दर इस बात की व्यवस्था है कि केवल ऐसे अपराधों के लिये, जिनको नैतिक अधःपतन का अपराध कहते हैं, जिस व्यक्ति को सजा हुई होगी उसे चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी । इसी सरकार ने, श्रीमन्, एक जी० ओ० इश्यू किया है जिसके अन्दर ऐसी धारायें हैं कि क्रिमिनल केस, नैतिक अधःपतन का अपराध किसे माना जायगा । उसका भी उल्लेख है कि फलां फलां धारायें हैं जो नैतिक अधःपतन की धारायें हैं और उनके अन्तर्गत जो लोग आते हैं उनको अधिकार नहीं होगा कि वे चुनाव में भाग ले सकें । इसके अलावा जब जिला बोर्ड ऐक्ट पर विचार हो रहा था उस समय विरोधी पक्ष ने कहा था कि नैतिक अधःपतन की धाराओं को सरकार स्पष्ट करे और उस समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम विधेयक के अन्दर केवल नैतिक अधःपतन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब हम धाराओं का निर्णय करेंगे तो सदन के समक्ष हम उन धाराओं को लायेंगे और विरोधी पक्ष की मदद भी हम लेंगे और तब उसमें परिवर्तन कर सकेंगे। जब सरकार ने सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था और दोनों ऐक्टों में इस बात की व्यवस्था की थी कि हर आफेन्स के लिये सजा पाया हुआ व्यक्ति इस अधिकार से वंचित नहीं होगा और केवल नैतिक अधःपतन वाले ही वंचित होंगे तो फिर सरकार की ओर से उस सिद्धान्त के विरुद्ध कैसे तर्क दिया जा रहा है, यह जानकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है । सरकारी पक्ष के लोगों ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि केवल नैतिक अधःपतन वालों को ही वंचित करना चाहिये लेकिन उस के विरोध में जो तर्क आये उनको सुनकर बड़ा आश्चर्य हमें हुआ ।

श्री मदन मोहन वर्मा ने कहा कि राजनैतिक आन्दोलन जो होते हैं उनमें सजा पाये लोग राज्य के विरुद्ध अराजकता की भावना फैलाते हैं । मुझे उनके मुख से ऐसी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । वह जानते हैं कि अगर हम इस बात की कल्पना करें कि हमारे मुल्क में विदेशी सत्ता होती और उस समय ऐसा बिल आता तो क्या हम उस सरकार के अन्दर यही तर्क उपस्थित करते और उस समय हम अगर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते तो ऐसी व्यवस्था से हम वंचित हो जाते और चुनाव में भाग नहीं ले सकते और फिर हम यह दलील पेश करते कि आजादी के आन्दोलनों में हिस्सा लेने वाले लोगों को इस बड़े और महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।

आज सब जानते हैं कि हमारा देश चाहे राजनैतिक दृष्टिकोण से भले ही आजाद हो, लेकिन अभी हमें आर्थिक आजादी नहीं प्राप्त हुई है और किसी भी देश के लिये आर्थिक आजादी का प्राप्त करना एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है और बगैर आर्थिक आजादी के राजनैतिक आजादी भी महत्वहीन हो जाती है । ऐसी हालत में जब विरोधी पक्ष के लोग आर्थिक आजादी के लिये प्रयास करते हों और उस दिशा में जनता का समर्थन लेकर आन्दोलन करते हों, जनता की भावनाओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और जो जनसंघर्ष में हिस्सा लेते हैं उसको अराजकता कहना और उसको ऐसा अपराध बताना कि जिस को किसी आजाद मुल्क में नहीं करना चाहिये, इस तर्क को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ । हम सब जानते हैं कि बहुत-सी ऐसी बातें हैं कि जिन को सरकार उचित समझती है और जिनको उसने उचित माना है, लेकिन विरोधी पक्ष की बात को सरकार हमेशा

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अनुचित ही कहती है । सब जानते हैं कि श्री राजनारायण जी को २० मास की सजा हुई थी इसलिये कि उन्होंने एक आन्दोलन छेड़ा था कि जो विदेशी मूर्तियों प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों में लगी हैं वे हटाई जायं । यह मानी हुई बात है कि हम सब महसूस करते थे कि जब मुल्क आजाद हो चुका है उस समय ऐसे लोगों की मूर्तियां सार्वजनिक स्थानों पर लगी रहें, जिन्होंने कि हमारे आजादी के आन्दोलन को पैर के बूटों से कुचला हो, देश की जनता ऐसे लोगों की मूर्तियों को कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर पसन्द नहीं कर सकती, परन्तु इसी आन्दोलन के सम्बन्ध में श्री राजनारायण जी को २० मास की सजा हुई । वह कह सकते हैं कि यह बड़ा भारी अपराध था, लेकिन सरकार को भी उस तथ्य की सत्यता में विश्वास था और चन्द दिनों के बाद सरकार को वह बात माननी पड़ी, और ईल्ड करना पड़ा और मूर्तियों को हटाया गया । परन्तु इसी सरकार की अदालत से उनको सजा दी गई, जिन्होंने उस ठीक बात को उठाया । तो इस तरह का तर्क देना मैं समझता हूं एक खतरनाक परिस्थिति है और इस तरह का तर्क देना उचित नहीं है ।

दूसरी बात, अगर दो वर्ष की व्यवस्था हम कर दें तो यह होगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर की दफा ११० या १०९ में सजा हुई हो उनको हम यह अधिकार दे देते हैं कि चुनाव में हिस्सा ले सकें, यह कितनी गलत बात होगी ? हम जानते हैं कि ११० में सजा याफ्ता वह व्यक्ति होते हैं जो पूरी समाज के लिये टेरर पैदा कर देते हैं । ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज की शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा करते हैं । ऐसे व्यक्तियों को अधिकार दे दिया जाय कि चुनाव में हिस्सा ले सकें तो मैं समझता हूं कि महापालिका के चुनाव में जहां क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं, वे अपनी शक्ति का नाजायज इस्तेमाल करेंगे । अगर पार्लियामेंट का चुनाव हो या एसेम्बली का चुनाव हो जिसमें लाखों मतदाता होते हैं तब तो यह बात मानी जा सकती है कि जनता इतनी अधिक होती है कि सबको प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन महापालिका में जहां छोटा सा क्षेत्र होता है उनको यह अधिकार दे देना प्रजातन्त्र के विरुद्ध बात होगी और वह उसका नाजायज लाभ उठायेंगे । हमारी सरकार ने गांव-पंचायत के अन्दर ११० और १०९ में सजा पाये हुये लोगों को अधिकार नहीं दिया । महापालिका के अन्दर इस प्रकार के व्यक्तियों को अधिकार देना अनुचित होगा ।

दूसरी व्यवस्था जो है वह यह कि जब यह ऐक्ट पास हुआ तो सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की थी कि पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले ही सरकार जिसको चाहे उसको इससे मुक्त कर सकेगी और उसकी डिस्क्वालीफिकेशन रिमूव कर सकेगी । अब यह और जोड़ दिया गया है । मैं समझता हूं कि इस बात से अनुचित लाभ उठाया जायगा । जिस प्रकार से गांव पंचायतों के अन्दर सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर दी कि एस० डी० ओ० वहां का चाहे जिस क्षेत्र का व्यक्ति हो उसको रिमूव कर सकता है, हालांकि वह भी एक गलत व्यवस्था है, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी एक्जीक्यूटिव अधिकारी को इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिये । मेरा निश्चित मत है कि इस प्रकार के अधिकार को सरकार अपने हाथ में लेगी तो उसका अनुचित लाभ उठाया जायगा, इस बात की पूरी-पूरी सम्भावना है । इसलिये सरकार को चाहिये जिस जिले की महापालिका हो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को यह अधिकार दे । बहुत सी सजा ऐसी होती है जो टेक्नीकल होने के नाते सजा हो जाती है, लेकिन वस्तुतः वह आफेन्स नहीं होते । तो ऐसे लोग जिनको टेक्नीकल ग्राउंड पर सजा हो जाती है उनकी डिस्क्वालीफिकेशन रिमूव की जा सकती है । यह अधिकार जूडिशयरी को होना चाहिये न कि सरकार अपने हाथ में ले ले या एक्जीक्यूटिव को दे दे ।

मैं समझता हूं श्रीमन्, इन बातों के कारण जो यह संशोधन सरकार ने पेश किये हैं और जिस रूप में हैं उन्हें पास नहीं होना चाहिये । और माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे । वह स्वीकार करेंगे तो कोई कृपा नहीं करेंगे बल्कि पहले सदन में जो आश्वासन दिया है उसी का पालन करेंगे । मारल टर्पीट्यूड के जो अफेन्सेज होंगे उनकी व्यवस्था इस बिल में नहीं करेंगे तो अपने आश्वासन को दोहरायेंगे कि उन धाराओं को जिन्हें

मारल टर्पीट्यूड के लिये रक्खेंगे उनको सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमको इस बात का अवसर मिले कि वस्तुतः वही चीज उसमें होनी चाहिये या कोई और चीज होनी चाहिये ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था, विरोधी दल के कुछ उन सज्जनों को संतुष्ट करने के लिये था जो आगामी चुनाव में भाग लेना चाहते थे । यदि आज विरोधी दल के माननीय सदस्यों को दिक्कत है इसको पारित करने में, तो २० तारीख के लिये—जब कभी सदन बैठे—इसे टाल दिया जाय । मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है । मैं जो कुछ कह रहा हूं इस समय बहुत दुखः के साथ कह रहा हूं । देखिये हम लोग डेढ़ लाख आदमियों के प्रतिनिधि हैं और हम लोगों को कम से कम आपस में तो व्यवहार ठीक रखना चाहिये । अभी हमारे पास विष्ट जी आये थे उन्होंने कहा कि श्री रामस्वरूप यादव जी की इच्छा है कि यह २० तारीख तक टल जाय तो क्या हर्ज है ? दूसरे को उन्होंने कहा कि दूसरे दल के लोग चाहते हैं आज ही हो जाय, आप ही अकेले क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं ? तो इस तरह की बातें आपस में होती हैं । किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये इस तरह की बातें होती हैं ? लंगड़ी बिलार घर ही में शिकार—छोटी-छोटी बातों के लिये भ्रामक बातें की जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप आज ही पास करना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—मेरा मतलब यह है, मैं चाहता हूं इसकी हर बातों को प्रकाश में आना चाहिये, आज हो, कल हो, परसों हो । सरकार का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे समय पर विधेयक लाये, ताकि समुचित रूप से विचार हो सके और ठीक समय पर उनका कार्य रूप में परिणत करके चुनाव करा सकें । अगर सरकार चाहती है कि हम विरोधी पक्ष के ऊपर यह लांछन लगा करके जन में होने वाले चुनावों को टालें तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । हम चाहते हैं हर धारा पर विचार हो अच्छी तरह से ।

श्री अध्यक्ष—सवाल यह है कि आज नहीं पास करना है, यह आपका इरादा है ? तो फिर भाषण भी वैसे ही होने चाहिये । सभी सदस्य अक्ल रखते ही हैं । यह तो नहीं है कि भाषण से पता न लग सके, भाषण बिल्कुल असंगत हो रहे हैं या संगत हो रहे हैं या किसी भाषण में एक-एक बात को १० दफा कहा जाता रहा है । यह सब को सुनाई देता है और उससे नतीजा निकाला जा सकता है, इस लिये आप अगर यह चाहते हैं कि आज इसे पास न होने दें, अगर ऐसा इरादा है, तो न होने दीजिये, वह कहते हैं २० तारीख को हो जाय ।

श्री राजनारायण—उन्होंने कहा कि श्री रामस्वरूप यादव जी की इच्छा है कि इसको २० के लिये कर दिया जाय ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—माननीय राजनारायण जी तोड़-मरोड़ कर बात कह रहे हैं । अगर माननीय राजनारायण जी अब भी आधे घंटे के अन्दर पारित करने को तैयार हों तो सदन बैठ सकता है तब तक । क्योंकि मैं इसके सिलसिले में यह भी कह देना चाहता हूं कि माननीय गोविन्द सिंह विष्ट जी से मेरी बातें हुईं वह कहते हैं कि वे अपने संशोधनों को प्रेस नहीं करेंगे और वह चाहते हैं आज ही पास हो जाय । २० तारीख तक न जाय ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—मेरे पास माननीय सदस्य आये और कहा कि चुनाव जल्दी होना चाहिये । मैं भी मानता हूं इसे । मैंने कहा कि मैं अपना संशोधन प्रेस नहीं करूंगा । माननीय राजनारायण ही सबकी तरफ से काफी हैं । मैंने अपना संशोधन प्रेस नहीं किया । उधर से कहा गया कि हम इच्छुक हैं, तो मैं भी कम इच्छुक नहीं हूं और चाहता हूं जल्दी काम हो ।

श्री अध्यक्ष—आपने सोचा कि बुरा बनना है तो माननीय राजनारायण जी बनें, हम क्यों बनें ।

[श्री अध्यक्ष]

मेरा मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं इसी खंड के ऊपर थोड़ी-सी बहस हो जाय और बाकी के ऊपर बहस न हो और घंटे भर के अन्दर यह विधेयक पास हो जाय तो मैं समय बढ़ा दूं, लेकिन अगर १२ बजे रात तक बैठने का इरादा हो तो मैं समय देने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह कहना चाहता हूं जब-जब सदस्यों की रायों को न सुनने देने की कोशिश की जाती है, बिक्री-कर की मैं याद दिलाऊं, उसमें यह कोशिश की गयी कि सदस्यों की राय न जानी जा सके और यहां तक कि संशोधनों के विवाद पर भी बन्दिश लगा दी गयी और वैसे ही बिना राय प्रकट किये ही संशोधनों को मत के लिये रखवाया गया । आज भी वही दशा लाया जा रही है । आज भी यह इसी दशा में लाया गया है और हमसे कहा जाता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो बाद में हो जाय नहीं आज ही पास कर दो । अब इतना बड़ा अधिनियम बगैर पढ़े हुये कैसे हम राय दें ? इतना हेस्टी लेजिस्लेशन करना और उसके बाद हमारे ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी लाद देना कि हमने पास किया तो हम बिना पढ़े हुये कैसे इसको पास कर दें ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, तो २० को हो । तो अब हम उठते हैं और २० अप्रैल, सोमवार को फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर सोमवार, २० अप्रैल, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२ अप्रैल, १९५९ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर)

BRICK KILNS ARE FACTORIES.

Kanpur, March 4—The Chief Inspector of Factories, U. P., drawing the attention of the employers of brick kilns to the definition of "factory" as given under section 2(M) of the Factories Act, 1948, states that all brick kilns wherein bricks are laid or baked by 20 or more employees without the help of power are covered under the definition of "factory" and therefore the employers are required by the provisions of the Act to obtain a licence.

He warns that if a factory is found working without obtaining licence legal action under section 92 of the Factories Act will be taken against them.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१० पर)

पदोन्नति के विवरण

क्रम संख्या	पद जिस पर पदोन्नति हुई					अन्य विवरण
१—कम्पोजिटर ८	क्लर्क १*	असिस्टेन्ट सेक्शन होल्डर २	सेक्शन होल्डर २	प्रूफ अरेंजर २ लाइनो बार मैन १		*क्लेरिकल परीक्षा के जरिये कर्मचारी सीनियरिटी तथा टेस्ट के आधार पर।
२—डिस्ट्रीब्यूटर २	कम्पोजिटर २					टेस्ट के आधार पर।
३—इम्पोजिटर २	प्रेसमैन २					,, ,,
४—प्रूफ अरेंजर ४	क्लर्क ३*	सेक्शन होल्डर १				सीनियरिटीर के आधार पर।
५—जी० पी० पी० मैन २	मोनो कास्टर २					टेस्ट के आधार पर।
६—मशीन असिस्टेन्ट २३	मशीन मैन २१	कापी होल्डर १	लारी ड्राइवर १			,, ,,
७—बाइन्डर ८	क्लर्क १*	सेक्शन होल्डर २	फोल्डिंग मशीन मैन ४	वाउचर क्लर्क १		सीनियरिटी तथा टेस्ट के आधार पर।
८—बाइन्ड्री असिस्टेंट ९	क्लर्क १*	बाइन्डर ८				टेस्ट के आधार पर।
९—कापी होल्डर ८	रिवाइजर ७	क्लर्क १*				सीनियरिटी के आधार पर।
१०—रिवाइजर ६	जूनियर रीडर ६					,,
११—जूनियर रीडर ५	सीनियर रीडर ५					,,
१२—फाउन्ड्री वर्कर २.२	फाउन्ड्री वर्कर १.२					,,
१३—फिटर २.२	फिटर १.१			टूल मेकर १		,,
१४—कुली ६	काउन्टर पैकर ६					,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१५—काउन्टर पैकर १५	क्लर्क १३					कापी होल्डर २, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के कारण सीनियरिटी के आधार पर प्रोमोशन और ट्रायल के आधार पर ।
१६—चपरासी ११	काउन्टर ७	मशीन असिस्टेन्ट १	मोनो कास्टर १	दफ्तरी १	ऐड्रेसोग्राफ आपरेटर १,	सीनियरिटी तथा टेस्ट के आधार पर ।
१७—क्लर्क रो० मे० १६	एकाउन्ट्स ग्रेड १६					सीनियरिटी के आधार पर ।
१८—एकाउन्टस ग्रेड क्लर्क ९	नोटर ऐण्ड ड्राफ्टर ९					”
१९—नोटर ऐण्ड ड्राफ्टर ४	असिस्टेंट इंचार्ज ४					”
२०—असिस्टेंट इंचार्ज २	कैशियर १	हेड क्लर्क १				”
२१—असिस्टेंट मोनो मैकेनिक ४	मोनो मैकनिक ४					”
२२—मोनो कास्टर १	असिस्टेंट मोनो मैकेनिक १					”
२३—पेपर ब्राय ४	मशीन असिस्टेंट ४					”
२४—सेक्शन होल्डर ५	वाउचर क्लर्क १	असिस्टेंट फोरमैन २		फोरमैन २		टेस्ट व सीनियरिटी के आधार पर ।
२५—असिस्टेन्ट फोरमैन ४	फोरमैन ३	सुपरवाइजर १				सीनियरिटी के आधार पर ।
२६—सुपरवाइजर १	फोरमैन १					”
२७—स्टोन हैण्ड ३	इम्पोजिटर ३					”
२८—मोनो आपरेटर ३	मोनो मैकेनिक ३					टेस्ट के आधार पर ।
२९—नाइफ ग्रेनर १	फिटर २.१					सीनियरिटी के आधार पर ।
३०—मेटल मेल्टर १	मोनो कास्टर १					टेस्ट के आधार पर ।
३१—लाइथो राइटर २	ड्राफ्ट्समैन २					सीनियरिटी के आधार पर ।
३२—असिस्टेन्ट इलेक्ट्रीसियन १	इलेक्ट्रीसियन १					”
३३—असिस्टेन्ट सेक्सन होल्डर १	सेक्शन होल्डर १					”

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या		पद जिस पर पदोन्नति हुई	अन्य विवरण
३४—वाउचर क्लर्क १		सेक्शन होल्डर १	सीनियरिटी के आधार पर।
३५—गेट मैन ३		टाइप सप्लायर १ मशीन असिस्टेन्ट १ गेट जमादार १	,,
३६—जिन्क प्लेट ग्रेनर १		ए० एन० पी० पी० १	,,
३७—लाइथो असिस्टेन्ट २		एचर २	,,
३८—असिस्टेन्ट कैमरा मैन १		कैमरा मैन १	,,
टोटल पदोन्नति ..	१८३	प्रोमोशन इन क्लीयर वैकेन्सीज ६७ प्रोमोशन इन लीव वैकेन्सीज ११६ योग .. १८३	

अवध विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २११ पर)

उत्तर प्रदेश हाथ करघा बुनकर कांग्रेस कार्यकारिणी की २७-१२-५८ की बैठक में स्वीकृति प्रस्तावों की प्रतिलिपि

प्रस्ताव संख्या २--उत्तर प्रदेशीय हाथ करघा बुनकर कांग्रेस की कार्य समिति राज्य सरकार से यह अनुरोध करती है कि हाथ करघा उद्योग को उन्नति करने हेतु इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुनकरों की जो सहकारी समितियां सहकारी नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड हैं उनमें से कितनी समितियां राज्य हाथ करघा विकास योजना के अन्तर्गत पुनर्गठित की जा चुकी हैं और कितनी समितियों का पुनर्गठन न होने के कारण उन्हें योजनानुसार उत्पादन समितियों की सूची में नहीं जोड़ा गया । ऐसी चालू समितियों को क्या क्या सुविधा देकर पुनर्गठित किया गया और बन्द समितियों को पुनः चालू करने के हेतु योजना से क्या सुविधा दी जाय ताकि वह सहकारी क्षेत्र में आ सकें ।

प्रस्ताव संख्या ३--उत्तर प्रदेश हाथ करघा बुनकर कांग्रेस की कार्यसमिति यह अनुभव करती है कि राज्य हाथ करघा बोर्ड ने प्रदेश के समस्त करघों को चालू करने तथा उन्हें सहकारी समितियों में संगठित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसकी पूर्ति नहीं हो सकी है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश का उद्योग विभाग इन करघों को चालू करवाने तथा सहकारी समितियों में संगठित करने के लिये शीघ्र ही सक्रिय कदम उठाये और जब प्रदेश में इस दिशा में पूर्ण सफलता हो जावे तब उसके बाद इन्हीं चालू करघों को ही पावरलूम में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जावे ।

प्रस्ताव संख्या ६--उत्तर प्रदेशीय हाथ करघा बुनकर कांग्रेस की कार्य समिति यह अनुभव करता है कि बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की बाजार में खपत न होने से उनकी पूंजी बिना बिके माल में फंस जाने के कारण करघा बाद हो जाता है और पूरे माह नहीं चल पाता । इसीलिये बुनकर प्रायः गरीबी और बेकारी के शिकार रहते हैं और महाजन उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं । यदि उनके माल को सुरक्षित रख कर सत्तर फी सदी माल पर तत्काल एडवान्स दिये जाने की सहकारी समितियों द्वारा व्यवस्था करा दी जाय तो इससे बुनकर को बहुत ही राहत मिलेगी । अतः कार्य समिति राज्य उद्योग विभाग द्वारा ऐसी प्रणाली चालू करने पर अधिक बल देती है और मांग करती है कि उसकी व्यवस्था के लिये सक्रिय कदम उठाये जांय ।

प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण

प्रस्ताव संख्या २--उन समितियों की जिलेवार सूची (क) पर संलग्न की जा रही है जो राज्य हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं विपणन् समितियों में पुनर्गठित की जा चुकी है । सूची में उन समितियों का भी विवरण है जिनका पुनर्गठन योजनान्तर है । सरकार बुनकर समितियों को उत्पादन तथा विपणन् के लिये अंश तथा कार्यकारी पूंजी के लिये ऋण तथा बिक्री केन्द्र, रंगाई घर तथा मढ़ाई घर आदि खोलने के लिये अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता की व्यवस्था करती है । हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत बन्द बुनकर सहकारी समितियां उपर्युक्त सुविधाओं से लाभ उठा सकती हैं ।

प्रस्ताव संख्या ३--उद्योग विभाग प्रदेश के समस्त हाथकरघों को सहकारी समितियों में संगठित करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील है। परिणामस्वरूप प्रदेश के पंजीकृत २,६१,७७३ हथकरघों में से लगभग १,०७,००० हथकरघे विभिन्न सहकारी समितियों में अब तक संगठित किये जा चुके हैं। सर्वप्रथम समस्त बुनकर सहकारी समितियों को वास्तविक उत्पादन समितियों में पुनर्गठित करने की ओर प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक हाथकरघों को शक्तिचालित करघों में परिवर्तित करने का प्रश्न है, इस पर शासन द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति पृथक विचार कर रही है।

प्रस्ताव संख्या ६--बुनकर समितियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री हेतु सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध आर्थिक सहायता से विभिन्न सहकारी समितियों के नियन्त्रण में १५० बिक्री केन्द्र खोले जा चुके हैं। यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर, जो प्रदेश की समस्त बुनकर सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था है, को बुनकर समितियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री हेतु अनुदान तथा ऋण के रूप में आर्थिक सहायतायें प्राप्त हैं, जो महान् स्तर पर विपणान् व्यवस्था करती हैं। जहां तक सहकारी समितियों के पास एकत्र माल के ७० प्रतिशत अग्रिम ऋण की व्यवस्था का प्रश्न है यदि सहकारी समितियां सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से यह योजना चलावें तो सरकार को आपत्ति नहीं होगी।

सूची 'क'

जिले का नाम	टेक्सटाइल सोसाइटी	उत्पादन सोसाइटी
अलीगढ़	४३	३३
आगरा	३४	९
आजमगढ़	६८	२२
इलाहाबाद	२२	३
अल्मोड़ा	८	२
बुलन्दशहर	२१	६
बिजनौर	५४	४
बनारस	४०	१६
बलिया	१६	६
बस्ती	५२	२३
बाराबंकी	३५	५
बदायूं	१७	७
बरेली	२८	१२
बांदा	३	१
बहराइच	११	—
देवरिया	२०	९
देहरादून	९	—
इटावा	५२	२५
एटा	१७	१२
फैजाबाद	४५	१५
फतेहपुर	११	[illegible]

जिले का नाम					टेक्सटाइल सोसाइटी	उत्पादन सोसाइटी
फर्रुखाबाद	..	..	..	..	५५	१५
गाजीपुर	..	..	..	..	२५	१०
गोरखपुर	..	..	..	..	४४	१८
गोंडा	..	..	..	..	६	२
गढ़वाल	..	..	..	..	३	—
हमीरपुर	..	..	..	..	६	४
हरदोई	..	..	..	..	२१	१५
जौनपुर	..	..	..	..	३१	७
झांसी	..	..	..	..	४५	२१
जालौन	..	..	..	..	२३	५
लखीमपुर-खीरी	..	..	..	..	४	—
कानपुर	..	..	..	..	३२	१३
लखनऊ	..	..	..	..	१०	२
मिर्जापुर	..	..	..	..	६	३
मथुरा	..	..	..	..	४२	२१
मैनपुरी	..	..	..	..	१०	६
मुरादाबाद	..	..	..	..	४३	२१
मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	१०	८
मेरठ	..	..	..	..	२६	१८
नैनीताल	..	..	..	..	१०	३
पीलीभीत	..	..	..	..	८	६
प्रतापगढ़	..	..	..	..	१०	५
राय बरेली	..	..	..	..	७	—
रामपुर	..	..	..	..	१८	६
सुल्तानपुर	..	..	..	..	६	—
शाहजहांपुर	..	..	..	..	८	१२
सीतापुर	..	..	..	..	२८	१६
सहारनपुर	..	..	..	..	२०	३
उन्नाव	..	..	..	..	१५	५
टहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर)

तालिका

तालिका जिसमें गत दिसम्बर, १९५८ में गन्ना आन्दोलन के कारण प्रदेश की जिन चीनी मिलों को जितनी अवधि के लिये गन्ना नहीं मिल सका उसका विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	फैक्टरी का नाम	फैक्टरी के बन्द रहने की अवधि	
१	सहारनपुर	इकबालपुर	१९-१२-५८ से २२-१२-५८ व २३-१२-५८	तीन दिन
२	सहारनपुर	देवबन्द	१६-१२-५८ से २१-१२-५८	छः दिन
३	मेरठ	सखौली टोडा	१५-१२-५८ से २०-१२-५८	छः दिन
४	मेरठ	दौराला	१६-१२-५८ से २०-१२-५८	पांच दिन
५	,,	जसवन्त	१५-१२-५८ से १७-१२-५८	तीन दिन
६	,,	मोहिउद्दीनपुर	१५-१२-५८ से १९-१२-५८	पांच दिन
७	,,	बेपमाबाद (मोदी नगर)	१४-१२-५८ से २०-१२-५८	सात दिन
८	,,	सिभौली	१५-१२-५८ से २०-१२-५८	छः दिन
९	,,	मवाना	१६-१२-५८ से २०-१२-५८	पांच दिन
१०	मुजफ्फरनगर	खतौली	१६-१२-५८ से १९-१२-५८	चार दिन
११	,,	रोहानां कलां	१६-१२-५८ से १९-१२-५८	चार दिन
१२	,,	मंसूरपुर	१६-१२-५८ से १९-१२-५८	चार दिन
१३	बस्ती	बस्ती	१५-१२-५८	एक दिन
१४	बाराबंकी	बुढ़वल	१५-१२-५८	एक दिन
१५	,,	बाराबंकी	१६-१२-५८	एक दिन
१६	देवरिया	खड्डा	२०-१२-५८	बारह घंटे

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर)

ब्यौरा

जिला	पेंशनरों की संख्या	दी गयी धनराशि
		रु० नये पैसे
१—देवरिया	२१	१३१४.६८
२—गोरखपुर	९	६२६.१२
३—आजमगढ़ ..	४३	८२५.००
४—बस्ती	६०	५६७१.४७

विधान सभा प्रतिवेदन

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२० पर)

उन अधिकारियों की सूची जिन्हें जिला खीरी में तीन वर्ष से अधिक हो गये

क्रम-संख्या	नाम व पद	सचिवालय का विभाग
१	श्री ए० एन० शास्त्री, असिस्टेंट इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, १६-९-५५ से	सार्वजनिक निर्माण (ख) विभाग
२	श्री बीर सिंह, असिस्टेंट इन्जीनियर, प्रथम सब-डिवीजन, सिंचाई डिवीजन, खीरी, ७-११-५५ से	सिंचाई (क) विभाग
३	श्री कामता नारायण माथुर, जिला कृषि अधिकारी, २०-११-५५ से	कृषि (क) विभाग
४	श्री श्रीपतिसिंह, कालोनाइजेशन आफिसर, खीरी, पीलीभीत, कालोनाइजशन स्कीम, सम्पूर्णनगर (जिला खीरी), ५-३-५६ से	कृषि (ग) विभाग
५	डा० जे० पी० शर्मा, मेडिकल आफिसर, निघासन डिस्पेंसरी, जिला खीरी, ६-३-५६ से	चिकित्सा (क) विभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

मार्च, सन् १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक के समय में जो हरिजन जिन-जिन विभागों और पदों पर नियुक्त हुए उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

१—सिविल एरोड्रोम, सरधना	चौकीदार ..	१
२—बंगाल इन्जीनियरिंग ग्रुप, सहारनपुर ..	धोबी,	४
	मेहतर ..	५
३—रिमाउन्ट ट्रेनिंग स्कूल, ऐन्ड डिपो, सहारनपुर ..	बेलदार	८
	ब्वायलर	१
	फार्म लेबरर	२८०
४—उत्तरी रेलवे, सहारनपुर	मेहतर	१५
	लेबरर	६
५—स्टेशन हाईजीन आर्गनाइजेशन, सहारनपुर ..	बेलदार	४
६—स्टेशन हाईजीन आर्गनाइजेशन, रुड़की ..	बेलदार	७
७—पब्लिसिटी आर्गनाइजेशन, सहारनपुर ..	क्लर्क	१
८—सुपरिन्टेंडेंट, पोस्ट आफिसेज, सहारनपुर ..	ब्वाय पियन	६
९—सिविल सर्जन, सहारनपुर ..	चौकीदार	१
	मेहतर	३
१०—हरिजन वेलफेयर आफिसर, सहारनपुर ..	पियन	१
११—एम्प्लायमेंट एक्सचेंज, कर्नाल ..	मेहतर	१६
१२—उत्तरी डिवीजन, गंगा नहर, रुड़की ..	टेलीफोनिक पियन	१
	स्टोर मुन्शी	१
१३—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, सहारनपुर ..	मेहतर	१
	बस कन्डक्टर	२
१४—कैनाल आफिस, सहारनपुर ..	पियन्स	२
	तबलदार	७
१५—यू० पी० रोडवेज, रुड़की	मजदूर	२
१६—जजेज कोर्ट, सहारनपुर	पियन	१
१७—गवर्नमेंट वर्क हाउस कार बेगर्स, ज्वालापुर ..	मेहतर	१
१८—जिला लाइव स्टाक आफिसर, सहारनपुर ..	बुल अटेंडेंट	१
१९—रीजनल कन्सीलियेशन आफिसर, सहारनपुर ..	चौकीदार	१
२०—ऐन्टी मलेरिया आफिसर, सहारनपुर ..	मेट	१९
	मजदूर	१४५
२१—गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, ज्वालापुर ..	मेहतर	१
२२—एल० एल० बी० ई० डी० सहारनपुर ..	चौकीदार	१
	मेहतर	१
२३—डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर, सहारनपुर ..	पंचायत सेक्रेटरी	४
२४—यू० पी० इरिगेशन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की ..	माडेल असिस्टेंट	१
२५—बी० ए० सी०, रुड़की	पियन्स	१
२६—यू० पी० गवर्नमेंट फोटो लीथो प्रेस, रुड़की ..	बुक बाइन्डर	१
२७—एस० एस० लाइट रेलवे, सहारनपुर ..	चौकीदार	२

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

अधिकारियों के नाम जिनको गाड़ियां अब दी गयी हैं :--

(१) रीजनल कन्सिलिएशन आफिसर, कानपुर।
(२) आफिसर इन्चार्ज, हाउसिंग स्कीम (लेबर विभाग)।
(३) सेटिलमेंट आफिसर्स (कन्सालीडेशन)
(४) कमिश्नर, एन्टरटेन्मेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स।
(५) डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर्स आफ हेल्थ।
(६) केन इन्स्पेक्टर्स।

कृषि विभाग--

(७) डिप्टी डाइरेक्टर्स आफ लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली ऐण्ड वाराणसी रीजन।
(८) डिप्टी डाइरेक्टर्स, आगरा, मेरठ ऐन्ड गोरखपुर।
(९) रीजनल असिस्टेंट डाइरेक्टर्स आफ झांसी ऐन्ड कुमायूं।
(१०) ऐग्रीकलचर इन्जीनियर (हेडक्वार्टर्स) ऐण्ड दो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इन्जीनियर (हेडक्वार्टर्स)।
(११) असिस्टेंट ऐग्रीकल्चर इन्जीनियर, रहीमाबाद।
(१२) एन्टोमोलोजिस्ट टु गवर्नमेंट, यू० पी०, कानपुर।
(१३) प्रिंसिपल, ऐग्रीकलचर कालेज, कानपुर।
(१४) आफिसर इंचार्ज, एक्सटेंशन स्कीम।
(१५) आफिसर इंचार्ज, डैड कैटिल युटिलाइजेशन सेन्टर, देहरादून।
(१६) डाइरेक्टर आफ एग्रीकलचर एट हेडक्वार्टर्स।
(१७) रीजनल फूड कन्ट्रोलर्स।
(१८) डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स आफ कवाल टाउन्स।
(१९) रेन्ट कन्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन आफिसर, लखनऊ।
(२०) इन्जीनियर्स इन्चार्ज आफ रोड कन्स्ट्रक्शन डिवीजन्स इन प्लेन्स ऐन्ड हिल्स (सार्वजनिक निर्माण विभाग)।
(२१) इन्जीनियर्स आफ एल० एस० जी० (इन्जीनियरिंग) डिपार्टमेंट।
(२२) डिप्टी डाइरेक्टर, सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग सेक्शन, वूमेन।
(२३) डी० आई० जी०, सी० आई० डी० (इन्टेलिजेंस ब्रांच)।
(२४) कम्प्लेंट्स आफिसर्स।
(२५) चीफ इन्जीनियर, इरिगेशन डिपार्टमेंट।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)।

मद्यनिषेध व्यवस्थापक जिन जिलों में कार्य करते हैं उनकी सूची

१--कानपुर।
२--फतेहपुर।
३--बदायूं।
४--सुल्तानपुर।
५--आगरा।
६--एटा।
७--इलाहाबाद।
८--गोरखपुर।
९--*हरिद्वार जिला सहारनपुर।
१०--मैनपुरी।
११--प्रतापगढ़।
१२--मिर्जापुर।
१३--पौड़ी-गढ़वाल।
१४--फर्रुखाबाद।
१५--गाजीपुर।
१६--*रानीखेत, जिला अल्मोड़ा।
१७--झांसी।
१८--फैजाबाद।
१९--बरेली।
२०--जौनपुर।
२१--उन्नाव।
२२--वाराणसी

नोट :--(*)चिन्हित स्थान मुख्यावास हैं।

विधान सभा सचिवालय

नथी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पष्ठ २२७ पर)

सुविधाओं की सूची

१——राजकीय सीमेंट फैक्टरी प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को काम करने तथा रहने के लिए यथासाध्य सुन्दर सुविधायें प्रदान की गई हैं। कर्मचारियों को रहने के लिये फैक्टरी तथा खदान में आधुनिक सुनिर्मित निःशुल्क मकान दिये गये हैं। जिसमें बिजली तथा भूगर्भ स्थित मल प्रवाह नालियों का प्रबन्ध है पानी तथा बिजली मुफ्त दिया जाता है।

२——एक उच्च शिक्षित मेडिकल आफीसर के अन्तर्गत आधुनिक यंत्रों व सामग्रियों से सुसज्जित चिकित्सालय से फैक्टरी के कर्मचारियों को निःशुल्क औषधियां व चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं। इस चिकित्सालय में एक विराट सल्यागार, प्रसवागार, विद्युतिक चिकित्सा यंत्र, एक्सरे तथा रोगों की छानबीन के लिये एक प्रयोगशाला भी है। चिकित्सालय के लिये एक एम्बुलेंस उपलब्ध है। इसी प्रकार की व्यवस्था खदान स्थित आठ बिस्तरों वाले अस्पताल के लिये भी है।

३——फैक्टरी तथा खदान दोनों पर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाओं का प्रबन्ध है। एक जूनियर हाई स्कूल तथा छोटे शिशुओं के लिये एक मान्टेसरी स्कूल है। बच्चों के लिये कई क्रीड़ा उद्यान, बाग, खेल के मैदान, सुन्दर सड़कें तथा हजारों की संख्या में घने छायादार वृक्ष हैं जिससे कर्मचारियों को स्वस्थ वातावरण की अनुभूति होती है।

४——फैक्टरी तथा खदान दोनों स्थानों पर पूर्ण परिसज्जित कैन्टीनों का प्रबन्ध है जहां से कर्मचारियों को सस्ते दर से भोजन तथा जलपान प्राप्त होता है।

५——कर्मचारियों द्वारा संचालित एक सहकारी उपभोक्ता भंडार फैक्टरी जो बस्ती के निवासियों को विविध सामग्री, कपड़ा, सस्ते दर का अनाज, कोयला आदि सरवराह करता है तथा इसकी एक पृथक शाखा खदान में भी खोली गयी है। इस भंडार में फुटकर सीमेंट भी बिकता है।

६——फैक्टरी तथा घुर्मा दोनों स्थानों पर कर्मचारियों के लिये सुन्दर क्लब भवन हैं जहां कई प्रकार के घरेलू तथा बाहरी खेलों का प्रबन्ध है तथा रेडियो भी है। इसके अतिरिक्त चुर्क स्थिति श्रम कल्याण केन्द्र भी कर्मचारियों के मनोरंजन के लिये स्थापित है। कर्मचारियों को खेलकूद, नाटक, आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। क्लब भवन में एक वृहद हाल का निर्माण भी इसीलिये कराया जा रहा है। फैक्टरी ने एक १६ मि० मी० सिनेमा प्रदर्शनार्थ मशीन क्रय की है।

७——जनवरी, १९५८ से इस फैक्टरी में भविष्य निधि योजना लागू कर दी गयी है। फैक्टरी के ९२४ कर्मचारी अब तक इस योजना के सदस्य बनाये जा चुके हैं।

८——धूल में काम करने वाले कर्मचारियों को साबुन, सोडा, गुड़, सरसों का तेल तथा कपड़ा मुफ्त वितरित किया जाता है। मोटर चालकों, चपरासियों तथा वाच एन्ड वार्ड कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन वस्त्रों के दो सेट तथा शरद कालीन वस्त्रों का एक सेट जिसमें एक बुशर्ट, एक लम्बा पैन्ट और एक टोपी सम्मिलित है, प्रदान किये जाते हैं। भंगियों या झाड़ू देने वालों को जर्सियां प्रदान की जाती हैं। क्लिकर तोड़ने वालों को जूते भी प्रदान किये जाते हैं।

९——सभी श्रमिकों को वर्ष में ५ दिनों का सवेतन अवकाश गणतंत्र दिवस एवं स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष में छुट्टी प्रदान की जाती है। होली, दशहरा और दिवाली की छुट्टियां हिन्दुओं, को ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा और मुहर्रम की छुट्टियां मुसलमानों को, गुरू नानक जन्म दिवस तथा गुरूगोविन्दसिंह जन्म दिवस एवं वैसाखी की छुट्टियां सिक्खों को तथा ईसाइयों के लिये नव वर्ष दिवस, ईस्टर एवं एक्समस की छुट्टियां प्रदान की जाती हैं।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पष्ठ २८८ पर)

जिला मैनपुरी में नशीली वस्तुओं के इस्तेमाल करने या बेचने के सिलसिले में चलाये गये मुकदमों का विवरण

	वर्ष १९५७	वर्ष १९५८
१—मुकद्दमे जो सरकार की ओर से चलाये गये	१७६	३२१
२—मुकद्दमे जो सजायाब हुए ..	१५२	२००
३—मुकद्दमे जो छूट गये	२०	४०
४—मुकद्दमे जो अदालत में विचाराधीन हैं ..	४	८१

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर)

इलाहाबाद जिले में तहसीलवार १९५५–५६, १९५६–५७ व १९५७–५८ में रहटों की तकावी के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्र तथा जिस पर तकावी दी गई निम्न प्रकार है—

वर्ष	तहसील के नाम	प्राप्त प्रार्थना-पत्र	प्रार्थी की सं० जिसको तकावी दी गई
१९५५–५६ ..	.. करछना	१	१
१९५६–५७ ..	.. करछना	१	१
	हंडिया ..	१	१
		२	२
१९५७–५८ ..	.. मेजा ..	१	१
	चायल ..	२	२
	हंडिया ..	१	१
	मंझनपुर ..	२	२
		६	६

संसद प्रदेश सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८ तथा ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर)

उन ट्रेड यूनियनों की नामावली जिनकी रजिस्ट्री की दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश के यहां प्राप्त हुये ६ महीने से अधिक हो चुके हैं और जिनकी रजिस्ट्री अब तक नहीं की जा सकी है--

क्रम-संख्या	यूनियन का नाम व पता	प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के कारण
१	सप्लाई डिपो कर्मचारी संघ, ९९, नई बस्ती, कीटगंज, इलाहाबाद।	१६-६-५८	रजिस्ट्रेशन शुल्क अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।
२	सफाई मजदूर यूनियन, हाथरस।	१४-४-५८	कई बार लिखा-पढ़ी के बाद यूनियन के मंत्री ने १७-११-५८ को पूर्ण कागजात रजिस्ट्रार के पास भेजे। २४-११-५८ को ट्रेड यूनियन्स निरीक्षक इस यूनियन की स्थापना की जांच के लिय हाथरस गये परन्तु यूनियन के मंत्री, हस्ताक्षरकर्त्ताओं को तथा यूनियन के रेकार्ड, प्रस्तुत नहीं कर सके। अब यह पत्रजात श्रम निरीक्षक, हाथरस को जांच करने के लिये भेज दिये गये हैं।
३	शुगर मिल मजदूर यूनियन, वाल्टरगंज, जिला बस्ती।	५-४-५८	कागजात में त्रुटियां पाई गईं जिन्हें दूर करने के लिये यूनियन को कई बार लिखा गया परन्तु वे अभी तक दूर नहीं की गई हैं।
४	भटनी चीनी मिल कर्मचारी सभा, भटनी जिला देवरिया।	२०-१-५८	कागजात में त्रुटियां पाई गईं जिन्हें बार-बार लिखने पर भी यूनियन ने दूर नहीं किया अतएव ट्रेड यूनियन इंस्पेक्टर ३-११-५८ को जांच के लिये भटनी गये। जहां हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से केवल ३ ही उपस्थित हुये और उन्होंने भी लिखित बयान दिया कि वे न तो उक्त यूनियन के सदस्य हैं और न उन्होंने सदस्यता का कोई चन्दा ही दिया है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	यूनियन का नाम व पता	प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के कारण
५	सोहावल पावर हाउस मजदूर संघ, फैजाबाद, डाकखाना रौनाही, जिला फैजाबाद	१४-६-५८	कागजों में जो त्रुटियां पाई गई थीं उन्हें २५-७-५८ को यूनियन के सभापति ने ठीक किया। श्रम निरीक्षक, फैजाबाद, ने ४-९-५८ को इस यूनियन की जांच की तो केवल चार हस्ताक्षरकर्त्ता उपस्थित हो सके और ३ का तबादला हो गया। अब श्रम निरीक्षक को लिखा गया है कि वह यूनियन के मंत्री से उन तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर का अनुमोदन अपने समक्ष करायें।
६	तहसील कलेक्शन कर्मचारी संघ, शाहाबाद, जिला हरदोई।	११-१०-५७	केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिख कर भेजा था कि वह यूनियनें जो प्रशासकीय विभागों (Administrative Department) या सरकारी कार्यालयों के (Ministerial Employees) द्वारा बनाई जायें वह ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट की धारा २ (g) के अन्तर्गत "कामकर" की परिभाषा में न आने के कारण रजिस्टर नहीं की जा सकतीं। इस यूनियन का मामला इस आधार पर रजिस्ट्रार ने सरकार के पास १४ फरवरी, १९५८ को निर्णय हेतु भेजा था। यह प्रश्न कि इस यूनियन को उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर किया जाना चाहिये या नहीं इस समय शासन के विचाराधीन है।
७	दुकान कर्मचारी संघ, काशीपुर, जिला नैनीताल।	३-१-५८	कागजात में कुछ त्रुटियां पाई गई थीं जिन्हें ठीक करने के लिये यूनियन के अधिकारीगण के पास लिखा गया। यूनियन ने अपूर्ण कागजात रजिस्ट्रार के पास ९-१०-५८ को भेजे। १४-१२-५८ को सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक हस्ताक्षरकर्त्ताओं का सत्यापन करने के लिये भी गये परन्तु केवल २ हस्ताक्षरकर्त्ताओं से भेंट हुई। यूनियन को मौका दिया गया है कि वह सब हस्ताक्षरकर्त्ताओं को उपस्थित करे।

क्रम संख्या	यूनियन का नाम व पता	प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब के कारण
८	लाइफ इन्श्योरेंस फील्ड इम्प्लाइज यूनियन (आगरा डिवीजन), सिविल लाइंस, मुरादाबाद।	२६-१२-५७	कागजात में त्रुटियां पाई जाने के कारण वह यूनियन को ठीक करने के लिये लौटाये गये थे परन्तु बार-बार लिखने पर भी वे ठीक नहीं की गईं। ट्रेड यूनियन इन्सपेक्टर दो बार हस्ताक्षरकर्त्ताओं के सत्यापन के लिये भी गये परन्तु यूनियन द्वारा हस्ताक्षरकर्त्ता वहां उपस्थित नहीं किये जा सके। उनको एक मौका और दिया गया है और यदि सत्यापन न हो पाया तो कागजात जमा कर दिये जायेंगे।

मेव जयते

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३२ पर)

उन व्यक्तियों की सूची जिनको सन् १९५६–५७ में जिला औद्योगिक उप-समिति, बुलन्दशहर द्वारा औद्योगिक ऋण बांटा गया

क्रम-संख्या	ऋणी का नाम व पूरा पता	जाति	ऋण	उद्योग का नाम
१	२	३	४	५
			रु०	
१	श्री पूरन सिंह पुत्र मोहन सिंह ग्राम व पोस्ट उटरावली, जिला बुलन्दशहर।	जाटव	१००	चमड़े का काम
२	श्री पूसा राम पुत्र ज्ञासा, ग्राम मनकपुर, पोस्ट उटरावली, जिला बुलन्दशहर।	,,	३००	चमड़ा रंगना
३	श्री श्यामलाल पुत्र सोनपाल, ग्राम मनकपुर, पोस्ट उटरावली, जिला बुलन्दशहर।	,,	४००	,,
४	श्री मिकारी पुत्र खचेड़ू, ग्राम मनकपुर, पोस्ट उटरावली, जिला बुलन्दशहर।	,,	४००	,,
५	श्री संत लाल पुत्र खचेड़ू, ग्राम मनकपुर, पोस्ट उटरावली, जिला बुलन्दशहर।	,,	५००	,,
६	श्री केवल सिंह पुत्र दुरगा, ग्राम मनकपुर, पोस्ट उटरावली जिला बुलन्दशहर।	,,	३००	,,
७	श्री हेतराम पुत्र सुल्लड़ सिंह, ग्राम गुठावली खुर्द, पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर।	,,	३००	जूते बनाना
८	श्री पन्ना लाल पुत्र सुक्खन, ग्राम गुठावाली खुर्द, पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर।	,,	३००	दर्जीगीरी
९	श्री त्रिरञ्जी लाल पुत्र राम दयाल, ग्राम गुठावली खुर्द, पो० गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर।	,,	२००	जूता बनाना
१०	श्री रामस्वरूप पुत्र राम दयाल, ग्राम गुठावली खुर्द, पो० गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर।	,,	२००	,,
११	श्री रेवत सिंह पुत्र विसन सिंह	,,	३००	दर्जीगीरी
१२	श्री परमा पुत्र हर सहाय, ग्राम रायपुर तालाब, डाकखाना व जिला बुलन्दशहर।	,,	१००	रस्सी बनाना

क्रम-संख्या	ऋणी का नाम व पूरा पता	जाति	ऋण	उद्योग का नाम
१	२	३	४	५
१३	श्री ननुवां पुत्र कल्लू, ग्राम रायपुर तालाब, डाकखाना व जिला बुलन्दशहर ।	जाटव	रु० १००	रस्सी बनाना
१४	श्री नन्हें पुत्र कल्लू, ग्राम रायपुर तालाब, डाकखाना व जिला बुलन्दशहर ।	,,	१००	,,
१५	श्री होती पुत्र खुशाली, ग्राम रायपुर तालाब, डाकखाना व जिला बुलन्दशहर ।	,,	१००	,,
		योग	३,७००	

बुलन्दशहर के उन व्यक्तियों की सूची जिनको सन् १९५६–५७ में ऋण व अनुदान समिति द्वारा दिया गया—

क्रम संख्या	ऋणी का नाम व पूरा पता	जाति	ऋण	उद्योग का नाम
१	२	३	४	५
१	श्री उमराव सिंह, मोहल्ला चौधरी बाड़ा, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) ।	जाटव	रु० १,०००	जूते बनाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उन व्यक्तियों की सूची जिनको सन् १९५७–५८ में जिला औद्योगिक उपसमिति, बुलन्दशहर द्वारा ऋण बांटा गया

क्रम-संख्या	ऋणी का नाम व पूरा पता	जाति	ऋण	उद्योग का नाम
१	श्री राम चरन पुत्र खूबी राम, ग्राम कस्बा डड्डू, पोस्ट छतारी, बुलन्दशहर ।	जाटव	४००	दर्जीगीरी
२	श्री नत्थू पुत्र काले, ग्राम व पोस्ट गैसूपुर, जिला बुलन्दशहर ।	,,	४००	चमड़ा रंगना
३	श्री छिद्दा पुत्र काले, ग्राम व पोस्ट गैसूपुर, जिला बुलन्दशहर ।	,,	४००	,,
४	श्री नौबत सिंह पुत्र बलटू सिंह, स्थान व पोस्ट शिकारपुर, बुलन्दशहर ।	,,	४००	जूती बनाना
५	श्री देवी सहाय पुत्र इन्दरमन, स्थान व पोस्ट शिकारपुर, बुलन्दशहर ।	,,	४००	जूते बनाना
६	श्रीमती कल्लो पत्नी प्रभु दयाल, बड़ा मोहल्ला, बुलन्दशहर ।	,,	२५०	जूती बानना
७	श्री ज्ञानी पुत्र जौहरी, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	चमड़े का काम
८	श्री हरजस पुत्र जैसिया, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	,,
९	श्री फगनी पुत्र जीसुखा, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	चमड़ा रंगना
१०	श्री नत्थू पुत्र मंगत, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	,,
११	श्री हरज्ञान पुत्र गुलाब, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	,,
१२	श्री शीश राम पुत्र गुलाब, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	,,
१३	श्री जवाहर पुत्र घासी, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	,,
१४	श्री नछमन पुत्र सरमन, ग्राम व पोस्ट गुठावली टीकरी, जिला बुलन्दशहर ।	,,	२००	चमड़े का काम
		योग	३,८५०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुलन्दशहर के उन व्यक्तियों की सूची जिनको सन् १९५७–५८ में ऋण व अनुदानि समिति द्वारा बांटा गया

क्रम-संख्या	ऋणी का नाम व पूरा पता	जाति	ऋण	उद्योग का नाम
१	श्री बदलू सिंह पुत्र छिदा सिंह ग्राम व पोस्ट खास मोहन नगर (बुलन्दशहर)।	जाटव	१०,०००	साकिट, एल्वो बनाना
२	श्री छोटे लाल पुत्र जीवा राम, मोहल्ला साठा, बुलन्दशहर।	,,	१०,०००	क्रोम सोल चमड़ा रंगना
३	श्री देवी सहाय पुत्र बक्शी भगत, ग्राम हीरापुर, पोस्ट व जिला, बुलन्दशहर।	,,	१,०००	जूते बनाना
४	श्री हरशरन शर्मा पुत्र भगवन्त सिंह, मोहल्ला सराय नसरुल्ला खां, खुर्जा।	,,	५,०००	खंडसारी उद्योग
५	श्री हुलासी राम पुत्र कल्लू राम, सिकन्दाबांद।	,,	१,०००	जूते बनाना
६	श्री कुड़े राज पुत्र हर किसन, सिकन्दराबाद।	,,	१,०००	,,
७	श्री नरायन सिंह पुत्र राम दयाल, मोहल्ला खत्री बाड़ा, सिकन्दराबाद।	,,	५००	
		योग	२८,५००	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२३ एल० ए०—१९५९—८४५।